मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 05

5 जनवरी 2024

छत्तीसगढ़ को अब मिलेगा न्याय ?

क्या आईपीएस आरिफ शेख द्वारा की गई 133 अवैध नस्तियों में हुआ है भ्रष्टाचार?

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
विशेष संवाददाता	अर्चना शर्मा

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 24 अंक 05 05 जनवरी 2024

(पृष्ठ क्र.-6)

- मध्यप्रदेश : काँग्रेस पर भारी पड़ी बीजेपी 45
- राजस्थान : आपसी गुटबाजी से हारी काँग्रेस 48
- कश्मीर : इतिहास का तोड़ना-मरोड़ना शांति की राह में बाधक 50
- भारत में लोकतंत्र का घुटता दम 53
- महुआ मोइत्रा का संसद की सदस्यता से निष्कासन... 55
- क्या हमारी न्याय व्यवस्था में सभी को न्याय सुलभ है? 58
- Hindi belt versus Hindu belt 62

महादेव सट्टा घोटाला 508 करोड़ का घोटाला

अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा असमंजस में काँग्रेस

2024 में देश में लोकसभा के चुनाव हैं। इस चुनावी वर्ष में मौजूदा मोदी सरकार देशवासियों को अपनी ओर खींचने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। वर्तमान में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुद्दा गर्माया हुआ है। इस समारोह को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि समारोह के बहाने बीजेपी राजनीति करना चाहती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि यह आस्था का सवाल है और इसमें देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। देश भर से लोगों को आमंत्रण भेजे गए हैं। वहीं अयोध्या में इस भव्य समारोह को लेकर युद्ध स्तर कार्य किया जा रहा है। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। देश भर से लोगों को लाने के लिए विशेष इंतजाम किये जा रहे हैं। इसके साथ ही इस आयोजन को लेकर राजनीति भी काफी की जा रही है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने कांग्रेस को बेहद असमंजस में डाल दिया है। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से शामिल होंगे और उन्हीं के हाथों यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी होगा। इसको लेकर एक ओर भाजपा जहां खुलकर हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के साथ-साथ कांग्रेस में भी उलझन की स्थिति है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि, अब तक कांग्रेस यह साफ नहीं कर सकी है कि यह नेता शामिल होंगे या नहीं होंगे। राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण तो है लेकिन इसको लेकर उसने अभी तक रणनीति तय नहीं की है आखिर उसे करना क्या है? इस पर उलझन बरकरार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही है। हम लोग एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते भगवान राम की पूजा करते हैं। लेकिन इस पर सियासत हो रही है। यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है।

कांग्रेस के सामने दुविधाओं का दौर है। अगर कांग्रेस नेता इस समारोह में शामिल होते हैं तो अल्पसंख्यक वोट बैंक के नाराज होने का डर है और दूसरी ओर इसमें शामिल नहीं होते हैं तो भाजपा के लिए हिंदुत्व के पिच पर कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका मिल जाएगा। अगर कांग्रेस नेतृत्व इस समारोह से किनारा करता है तो हिंदुत्व विरोधी ठप्पा और भी मजबूत हो सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले एक दशक से कांग्रेस मुस्लिम वोटों को एक बार फिर से लामबंद करने के लिए कड़ी मशक्कत करती नजर आ रही है। 1989 तक मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में रहा। जहां तक कांग्रेस नेताओं के रुख का सवाल है तो कहीं ना कहीं यह साफतौर पर समझ में आ रहा है कि वह भाजपा पर राम मंदिर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता इस बात को लेकर दावा तो कर रहे हैं कि प्रभु श्रीराम पर सभी की आस्था है, राम सभी के हैं। लेकिन कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि आखिर चुनाव के पहले ही इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन क्यों नहीं हो सकता था। कई कांग्रेसी नेता तो यह भी कह रहे हैं कि वह चुनाव बाद राम मंदिर का दर्शन करेंगे।

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि चुनावी कारणों की वजह से भाजपा राम मंदिर को मुद्दा बना रही है। कुल मिलाकर इस मसले पर कांग्रेस में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। लोकसभा सांसद शशि थरूर की स्थिति दर्शाती है कि कांग्रेस के लिए कोई भी राह आसान क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है कि धार्मिक आस्था एक व्यक्तिगत मामला है और इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए या राजनीतिक रूप से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ को अब मिलेगा न्याय?

क्या आईपीएस आरिफ शेख द्वारा की गई 133 अवैध नस्तियों में हुआ है भ्रष्टाचार?

आखिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनकी चौकड़ी कि भय-दमन-अत्याचार-भ्रष्टाचार वाली सरकार का अंत हो गया है। दरअसल पिछले पांच वर्ष में प्रदेश में कांग्रेस सरकार न होकर एक व्यक्ति विशेष के साथ-साथ आठ-दस लोगों ने छत्तीसगढ़ को एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया। वह समय ऐसा था जब प्रदेश में किसी अधिकारी की भूपेश की चौकड़ी को मना करने की हिम्मत नही होती थी। पर कहते हैं ना कि बुराई का हमेशा अंत होता है वैसे ही छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वाले आम छत्तीसगढ़िया लोगों ने चुनाव में भूपेश और उसकी चौकड़ी को नकार दिया है।

छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सरकार का गठन भी हो गया है। मंत्रीमंडल के गठन के साथ ही सीएम साय ने कई विकास कार्यो के साथ बीजेपी के संकल्प पत्र के कामों पर मुहर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सवाल अब भी विद्धमान है कि प्रदेश की साय सरकार पिछले पाँच साल में भूपेश सरकार में हुए घोटालों और घोटालोंबाजों के साथ कैसा बर्ताव करती है। सरकार के पास यह गंभीर चुनौती है। क्योंकि सरकार का गठन हुए करीब एक महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक सरकार ने इस गंभीर और प्रमुख मुद्दे पर कार्य करना प्रारंभ नही किया है। यहां इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि प्रदेश में आज जिस बीजेपी की सरकार बनी है उसकी मुख्य वजह प्रदेश में हुए घोटाले और घोटालेबाज ही हैं। इन घोटालों से त्रस्त होकर ही राज्य की जनता ने बीजेपी का विकल्प चुना है। पिछले पाँच साल में प्रदेश की जनता ने काफी परेशानियां झेली हैं। भ्रष्टाचार और अत्याचार ने लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ था। आमजन भूपेश बघेल सरकार से भारी त्रस्त हो चुके थे। उन्हें बस ऐसे अवसर की तलाश थी जिससे वह छुटकारा पा सकें। उसी अवसर के रूप में प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। अब आगे की जिम्मेदारी मौजूदा बीजेपी सरकार की है कि वह लोगों की आकांक्षों और आशाओं पर खरी उतरते हुए इन घोटालेबाजों को अपनी करनी का फल दिलवाये।

शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, कोल लेवी टेक्स घोटाला, ऑनलाईन महादेव सट्टा ऐप घोटाला, डीएमएफटी घोटाला, गौठान घोटाला जैसे तमाम बहुचर्चित घोटाले हैं जिनमें न केवल भारी भ्रष्टाचार हुआ है बल्कि राज्य को भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इन घोटालों को अमलीजामा पहनाने वालों में प्रमुख घोटालेबाज सौम्या चौरसिया, विनोद वर्मा, आनंद छाबड़ा, सूर्यकांत तिवारी, अनिल टुटेजा, अनबर ढेबर, आरिफ शेख सहित कई और प्रशासनिक अधिकारी हैं। इन घोटालों के कारण प्रदेश के हर वर्ग को नुकसान हुआ है। युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। इसके साथ ही इन घोटालों को अंजाम देने वाले घोटालेबाज आज खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि कई घोटालेबाजों को लेकर ईडी द्वारा जांच की जा रही है। कई ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। पर यहां पर राज्य सरकार का रवैया भी महत्वपूर्ण मायने रखता है। सरकार की मंशा तय करेगी कि वह इन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है या देखना चाहती है। क्योंकि प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार को सख्त रवैया ही अपनाना होगा। जांच एजेंसियों को सरकार का साथ होना बहुत जरुरी है। खासकर भूपेश बघेल की चांडाल चौकड़ी के वह सदस्य जो इन घोटालों के साथी रहे हैं या कर्ताधर्ता रहे वह आज भी सरकार का हिस्सा हैं। वह प्रशासनिक स्तर पर बड़े पदों पर आसीन हैं। अब इन भ्रष्ट अफसरों के भाग्य का फैसला सरकार को करना है। हालांकि देखने में आ रहा है कि भ्रष्ट अफसर पाला बदलकर मौजूदा सरकार के साथ होने का ढोंग कर रहे हैं। पाला बदलने के कारण भी हैं। क्योंकि इन भ्रष्ट अधिकारियों का सोचना है कि यदि सरकार के साथ रहेंगे तो कई मामलों में सरकार का सहयोग प्राप्त हो जायेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनके साथ कैसा व्यवहार करती है। अपने साथ रखती है या लूपलाईन में डालकर इन्हें अपने कर्मो की सजा दिलाने में जांच एजेंसियों का सहयोग करती है।

दूसरी तरफ प्रदेश में हुए चर्चित घोटालों की बात की जाये तो ऐसे तमाम घोटाले हुए हैं जो कहीं न कही भूपेश सरकार को कठघरे में खड़ा करती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरपरस्ती में पनपे इन घोटालों के कारण आज प्रदेश गर्त में पहुँच गया है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, किसानों को अपना हक नहीं मिला, विकास के सारे काम ठप्प पड़ गये। क्योंकि तत्कालीन सीएम पूरे समय या तो इन घोटालों को अंजाम देने में लगे रहे या इन घोटालोंबाजों को बचाने में लगे रहे। उन्हें प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए करने वाले कामों के लिए समय ही नही था। यही कारण है कि आज इन पूरे घोटालों का मास्टर माईंड भूपेश बघेल में माना जा रहा है। हालांकि कुछ मामलों में तो खुद भूपेश बघेल भी फंसे हुए हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ऑनलाईन महादेव सट्टा ऐप मामले में उन्हें संदिग्ध माना जा रहा है। इस घोटाले में फंसे अपराधियों ने पूछताछ में बघेल को भी हिस्सेदार माना है। इसके आलावा शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, ऑनलाईन महादेव सट्टा ऐप जैसे मामलों में सीएम सचिवालय के तार जुड़ने के सबूत मिले हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब इन घोटालों की निष्पक्ष जांच होगी तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल पर भी शिकंजा कंसा जायेगा।

अब प्रदेश में भूपेश की भय-भ्रष्टाचार और अन्याय की सरकार का खात्मा हो चुका है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में आ गई है। सत्ता से बाहर होते ही अब इन चर्चित घोटालों के आलवा भी और अन्य कारनामों का उजागर होना बाकी है। ऐसे छोटे-बड़े कारनामों को उजागर करने का जिम्मा मौजूदा बीजेपी सरकार के कंधों पर आ गया है। विपक्ष की भूमिका में रहकर कांग्रेस का पहला काम होगा कि इन पर पर्दे डालने की पूरी कोशिश करेगी। तब सत्ताशीन सरकार का पहला कर्तव्य होगा कि वह कांग्रेस के मंसूबों को पूरा न होने दे।

चूंकि यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री का शासन आया है जिसकी छवि एकदम निर्दाग है और सुशासन का पक्षधर माने जाते हैं। उनसे उम्मीद भी यही की जा रही है कि वह प्रदेश में एक सुशासनयुक्त सरकार का संचालन करेंगे। भय-भ्रष्टाचार और अत्याचार से कोसों दूर रहकर आमजन की भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। राज्य के हर एक वर्ग ने पिछले पांच साल में जो दहशत और अन्याय का वातावरण देखा है उससे छुटकारा पाने की उम्मीद लगाई है। निश्चित तौर पर लोगों ने इसी मंशा और उम्मीद के साथ राज्य में सत्ता परिवर्तन किया है। शासन-प्रशासन का जो दंश पांच साल झेला है उससे राहत की सांस ली है। तानाशाही-हिटलरशाही का ऐसा मंजर आज तक छत्तीसगढ़ में नही देखा गया है। क्या मीडिया, क्या लोकतंत्र और क्या सुशासन। सब पर कुठाराघात किया गया था। पूरा छत्तीसगढ़ इसका साक्षी है कि भूपेश शासन में अभिव्यक्ति पर पूरा पहरा था। जिसने भी सरकार के खिलाफ , प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसको कानूनी शिकंजे में ऐसा फंसाया जाता था कि अन्य कोई ऐसा करने पर सौ बार सोचता था। अभिव्यक्ति पूरी तरह से मौन थी। चाहकर भी कोई अपनी मंशा को उजाकर नही कर पाता था। ऐसे कुशासन से मुक्ति पाकर प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है। अब यह खुशी तब और ज्यादा हो जायेगी जब जिन्होंने पिछले पांच सालों में प्रदेश में यह स्थिति बनाई है उनको अपने कुकर्मो का अंजाम मिल जाये।

विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपनी शपथ के साथ ही जनकल्याण और विकास के संकल्प का नमूना भी पेश कर दिया है। किसानों को जहां पिछले दो सालों का धान का बोनस देकर धान प्रधान प्रदेश के किसानों का दिल तो जीत लिया है वही चुनाव से पहले किये गए अपने वादों को पूरा करने का प्रयास भी प्रारंभ कर लिया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि प्रदेश में अब विकास का, जन कल्याण का एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जो पिछले पांच साल से रूका हुआ था। विकास को पंख देकर सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश को नई उचाईयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे।

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। यहां 54 सीटें भाजपा ने हासिल कर ली हैं, जबकि कांग्रेस महज 35 पर ही सिमट गई है। राज्य में बहुमत का आंकड़ा ही 46 है। इस तरह भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली है। इसके साथ ही प्रदेश में भूपेश सरकार के रावण राज का अंत हो गया है। हालांकि इसके कयास तो पिछले कई महिनों से लगाए जा रहे थे। भय-भ्रष्टाचार और अत्याचार की पांच साल के शासन से प्रदेश के लोगों ने छुटकारा पा लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के कई दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा है। जिसके लिए भूपेश बघेल को ठहराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव भी बुरी तरह हार गए हैं। उनके अलावा भूपेश सरकार के करीब 10 मंत्री हारे हैं। इनमें से अधिकतर लोगों को भूपेश बघेल ने हरवाया है। पिछले 05 वर्षों में छत्तीसगढ़ में

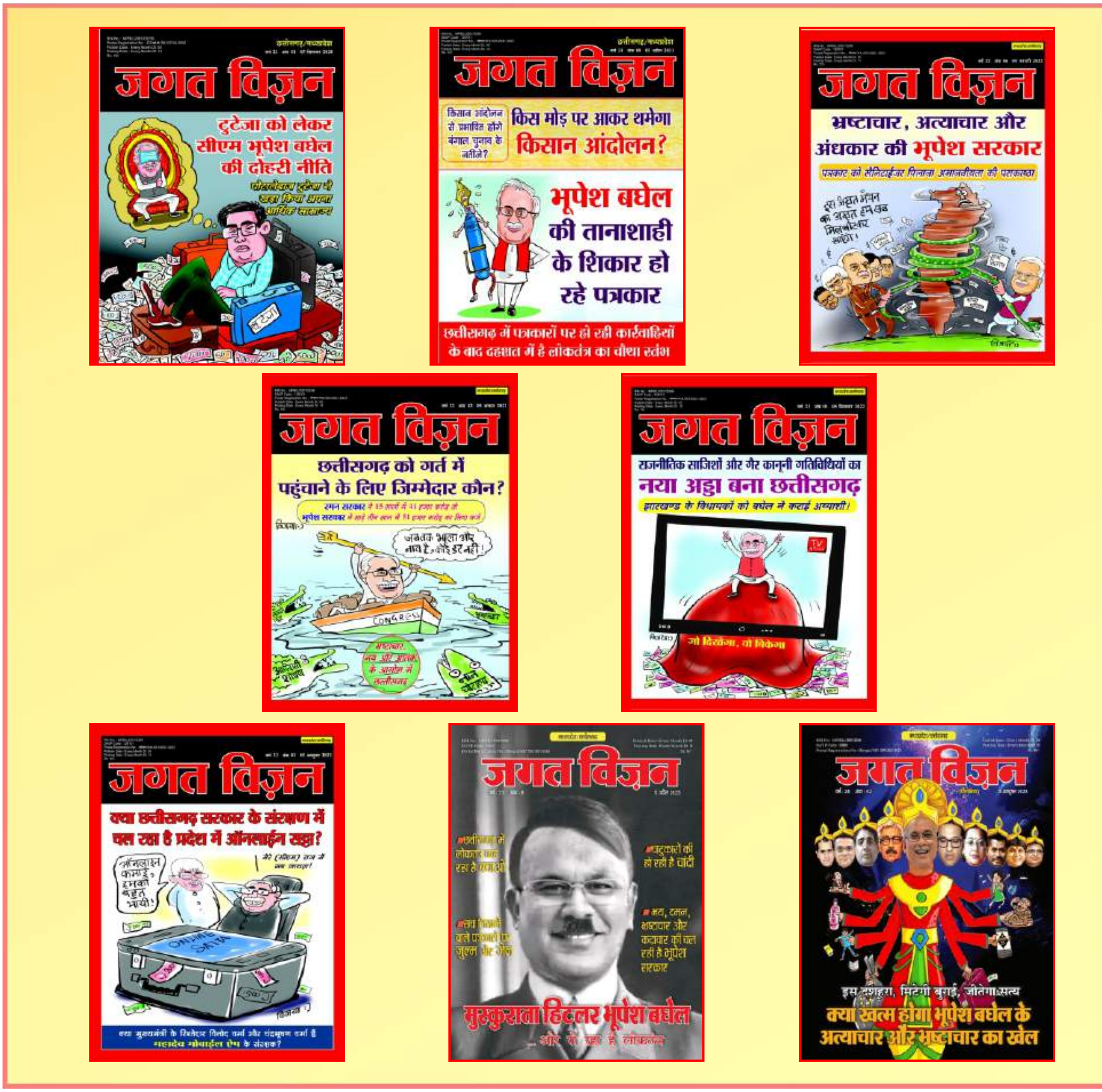

भय-भ्रष्टाचार-दमन-अत्याचार की सरकार चलाई गई हैं जिसका साक्षी छत्तीसगढ़ का हर प्रदेशवासी है। भूपेश बघेल के साथ उनके खास कोटरी के लोगों ने अपने हिसाब से प्रदेश चलाया था। प्रदेश का हर अधिकारी को इनके हिसाब से ही चाहे भय से या भ्रष्टाचार में शामिल होकर चलना ही पड़ता था। आज भूपेश बघेल की यह खास कोटरी के लोग में कुछ तो जेल पहुंच चुके हैं और बाकियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भूपेश बघेल का राजनीतिक भविष्य जरूर अस्त हो गया है। उनकी इस हालत के जिम्मेदार वो स्वयं ही है, मुख्यमंत्री बनने के बाद बेदम पैसा कमाने की हवस और अपने कोटरी की हिटलरशाहीनुमा अंदाज से सरकार चलाने के कारण आज यह स्थिति निर्मित हुई। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। ऐसे में यह रिजल्ट लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भी बताने वाला है। यहां बीते 05 सालों से कांग्रेस की सरकार

क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश और कांग्रेस में खत्म हो गया है भूपेश बघेल दौर?

कोई पांच साल पहले कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बड़ी मेहनत से आई थी जिसके पीछे एक टीमवर्क था। भूपेश बघेल के साथ हमकदम कांग्रेस के दिग्गज जैसे टीएस बाबा सिंहदेव, चरणदास महंत रहे। कांग्रेस के हर नेता, कार्यकर्ता ने अपने तन-मन-धन लगाकर उस समय कांग्रेस सरकार बनवाई थी। चार बड़े नेताओं को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया और राजतिलक भूपेश बघेल का हुआ। साथ में आगे जाकर टीएस बाबा सिंहदेव को सत्ता में बड़ी भागेदारी मिलने का निश्चय हुआ। चरण दास महंत को उस समय विधानसभा स्पीकर का दायित्व सौंपा गया। बस उस दिन से 03-12-2023 तक भूपेश बघेल और उनकी कोटरी ने राज्य में सरकार अपनी निजी जागीर जैसे चलाई। यह वो समय था जब छत्तीसगढ़ में पदस्थ कोई भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राज्य स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी के कोई भी आदेश बगैर कोटरी के सदस्यों की मंजूरी के बाद ही होते थे। भूपेश बघेल ने एकला चलो की नीति पर चले जहां कांग्रेस के किसी नेता का छत्तीसगढ़ सरकार में कोई वर्चस्व नहीं था। कोई 3.5 साल पहले जुलाई 2020 में, मैंने अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के भ्रष्टाचार और दमन को लेकर जगत विजन में अपनी पहली स्टोरी 'टुटेजा को लेकर भूपेश की दोहरी नीति, घोटालेबाज टुटेजा ने खड़ा किया अपना आर्थिक साम्राज्य की थी। उस स्टोरी के बाद भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मेरे लिए बैन सा लगा दिया था। पहली बार किसी ने मीडिया हाऊस ने अवैध कोल लेवी शराब घोटाला छापा था। समय वो था जब छत्तीसगढ़ भाजपा और मीडिया भी भूपेश बघेल और उसके चांडाल चौकड़ी के मुद्दे नहीं उठा पाती थी। छत्तीसगढ़ में भय-भ्रष्टाचार-दमन-अत्याचार का ऐसा चक्र चला जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। चौकड़ी में सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, विनोद वर्मा, विजय भाटिया, सूर्यकांत तिवारी, ढेभर बंधु, रूचिर गर्ग, आईपीएस अफसर आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, संजय ध्रुव और अभिषेक माहेश्वरी मिलकर सरकार चला रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य को इन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड बना के चलाया, ब्यूरोक्रेसी इनके इशारों पर चलती थी। मैने अपनी पत्रिका में भ्रष्टाचार को लेकर सात कवर स्टोरी अलग-अलग समय प्रकाशित की थी, अपने लेखों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को जागरूक किया। पहले कोयला घोटाला उसके बाद शराब घोटाला और फिर महादेव सट्टा ऐप घोटाला का पर्दाफाश किया। आश्चर्य था कि इतना बड़ा गोरखधंधा होते हुए भी किसी भी तरफ से कोई आवाज तब नहीं ना किसी राजनैतिक दल या मीडिया के तरफ से उठी थी। मेरे छापने के बाद जब कुछ आग लगी तब केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हुई और सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई। महादेव सट्टा ऐप का खुलासा करने के बाद भूपेश बघेल ने मुझे 4-5 बार छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा उठवाने का प्रयास किया। यहां तक कि लोकतंत्र को सुनिश्चित करने हेतु चुनाव आयोग के तरीकों को भी उजागर किया। खैर इसके फलस्वरूप भूपेश बघेल ने मुझे हर संभव मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति देने का भरपूर प्रयास किया। मेरे पत्रकारिता के 25 वर्षों के दौरान पहली बार इस तरह की कुकृत्य किसी ने किए होंगे। नीचे गिरने का कोई पैमाना नहीं होता वो मैने इस दौरान जाना। खैर अब रावण और उसकी लंका का दहन हो चुका है। बड़ा सवाल यह है की क्या इतने बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ को लूटने वालों पर क्या कार्यवाही होगी या इनको अभय दान दिया जायेगा। जिस तरह भूपेश बघेल भाजपा के बड़े नेताओं से मेल जोल बढ़ा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं को वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भूपेश बघेल उनकी कोटरी के साथ उनके पुत्र चेतन्य बघेल (बिट्टू) के ऊपर भी भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। इस कारण अपने और अपने पुत्र को बचाने के लिए वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय की तरफ नजरें गाड़े देख रही है, उनकी एक प्रमुख मांग छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वालों पर कार्यवाही को लेकर है। आखिर अब जनता पूछ रही है कब होगा न्याय ?

छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वाले भूपेश बघेल की चौकड़ी पर क्या अब होगी कार्यवाही?

प्रमुख घोटालेबाजों की कुंडलियां!

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कुशासन का अंत हुए करीब एक महीना हो गया है। पर पूरे छत्तीसगढ़ निवासियों का एक बड़ा प्रश्न है कि क्या भूपेश और उनके चांडाल चौकड़ी को उनकी करनी का फल मिलेगा या उनको अभयदान दिया जायेगा। दरअसल भूपेश बघेल की सरकार के कई सारे चेहरे थे जो कि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इनके आसपास चलती थी। इस अंक में मैं उन्हीं चेहरों की बात करूंगी।

1. विनोद वर्मा

विनोद वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार होने के साथ-साथ भूपेश बघेल के करीबी थे। पिछले पांच सालों में इनको आधा सीएम भी कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस बार के विधानसभा चुनावों का पूरा मेनेजमेंट भी विनोद वर्मा ने ही सम्हाली थी। विनोद वर्मा मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। शुरूआत से विनोद वर्मा और भूपेश बघेल काफी करीबी रहे थे साथ-साथ वो उनके रिश्तेदार भी हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में चर्चित सीडी कांड मामले में विनोद वर्मा आरोपी रहे। वहीं जब राज्य में कांग्रेस की जीत हुई तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार बनने के बाद विनोद वर्मा को सीएम भूपेश बघेल ने अपने सलाहकार के रूप में पास रखा। इस दौरान सीडी कांड के गवाहों/शिकायतकर्ताओं के उपर मानों पहाड़ सा टूट पड़ा था। उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई। ईडी ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर विनोद वर्मा के देवेंद्र नगर स्थित निवास पर पहुंची थी। इसके अलावा साल 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में चर्चित सेक्स

थी, जिसका मुख्य मुकाबला भाजपा से रहा है। भाजपा यहां 15 सालों के शासन के बाद 2018 में बेदखल हुई थी। इस बार उसने बिना किसी सीएम फेस के ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। हालांकि रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता चुनाव प्रचार में लीड रोल में दिखे थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अति आत्मविश्वास का शिकार हुए। कांग्रेस

सीडी कांड मामले में भी वह आरोपी रहे हैं। उन दिनों वह सीएम भूपेश के साथ जेल में भी रहे थे। दरअसल, विनोद वर्मा को साल अक्टूबर 2017 में विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के एक तत्कालीन मंत्री की सेक्स सीडी मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें रायपुर पुलिस की एक टीम ने ब्लैकमेलिंग और उगाही के केस में गिरफ्तार किया था। हालांकि दिसंबर 2017 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें एक लाख रुपए के बंध पत्र और एक लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके एवज में उन्हें सरकार बनने पर सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नवाजा गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जांच के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के रिश्तेदारों को तलब किया है। वर्मा के बेटे पुनर्वसु और तथागत और उनके बहनोई तुकेंद्र वर्मा से ईडी ने पूछताछ की है।

ईडी का दावा एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का सीएम के सलाहकार से संबंध है

महादेव सट्टा ऐप को छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षण मिला और उसको इतना फूलने फैलने का मौका मिला। इसके अलावा ईडी ने कहा है कि दुबई से भेजे गए रिश्वत के पैसे को चन्द्रभूषण ने वह वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहा है। इसके अलावा एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि वह कई शक्तिशाली लोगों को बड़ी मासिक रिश्वत दे रहा था और भुगतान कर रहा था। एएसआई ने स्वीकार किया है कि मई 2022 में पुलिस द्वारा की गई कुछ कार्रवाई के बाद रिश्वत भुगतान बढ़ाया गया था। विनोद वर्मा और रूचिर गर्ग ने पिछले पांच साल अपनी मर्जी से छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग को चलाया है। दिल्ली स्थित मीडिया एजेंसीज चैनल को अरबों रुपए का विज्ञापन दिया गया। प्रतिनियुक्ति में लाए अपने लोगों से मनमाफिक काम कराया गया था। सवाल यह है कि अब सरकार बदलने के बाद विनोद वर्मा पर क्या कार्यवाही होगी। गौर करने वाली बात यह है कि मेरे द्वारा महादेव सट्टा ऐप का पर्दाफाश करने पर और ईडी द्वारा कार्यवाही करने पर विनोद वर्मा ने मेरे और मेरी पत्रिका के ऊपर प्रेस वार्ता की थी जिसमें मेरे खिलाफ अपमानजनक बातें की गई थी। इसके साथ मुझे भोपाल से उठाने की पूरी साजिश भी इनके और भूपेश बघेल के आदेश के बाद रची गई थी।

2. सौम्या चौरसिया

इनको भूपेश बघेल सरकार में सुपर सीएम भी कहा जाता था। भूपेश की कोटरी में यह सबसे खास थी जिनके कहने भर से पूरे प्रदेश में कोई भी अधिकारी किसी भी स्तर का काम कर देता था। इनका रूबाब इतना था कि प्रदेश के डीजीपी इनके जवाब के बाद ही मुख्यमंत्री से मिल पाते थे। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव तो छाता लेकर इनके लिए खड़े थे, जिसे मेरे द्वारा छापने पर प्रदेश की महिला अधिकारी के द्वारा रायपुर में मेरे खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। कोयला घोटाले में ईडी की कार्यवाही के

नेतृत्व ने भी बघेल पर पूरा भरोसा किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। बघेल के कहने पर करीब 16 ऐसे विधायकों के टिकट काटे गए जो 20 से 25 हजार की बढ़त से जीते थे और जिनकी जीत की फिर संभावना थी। लेकिन इन विधायकों की वफादारी बघेल से ज्यादा टीएस सिंहदेव के साथ थी, इसलिए उन्हें मैदान से बाहर कर दिया गया। इसका खामियाजा पार्टी को हार

बाद यह लगभग एक साल से जेल में है। बड़ा सवाल यह है कि ईडी की जांच के अलावा भी भ्रष्टाचार के बहुत संगीन आरोप इन पर लगे हुए हैं। खैर, अब भाजपा सरकार को जांच को आगे बढ़ाना है तो उसको अपने प्रदेश की सीमा को लांघकर झारखंड जाकर जांच करना चाहिए। जांच का विषय सौम्या चौरसिया के भाई पर भी होना चाहिए, जहां वो एक होटल में अधिकारी हैं। विडंबना है कि जिस होटल की कीमत कोई 5-10 करोड़ की है वहां 50 करोड़ की सब्जी सप्लाई कैसे और क्यों होती है। सरकार को कालाधन को लेकर इसकी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा खेल डीएलएफ कंपनी के IPO (शेयर) में छत्तीसगढ़ के विभिन्न शैल कम्पनियों द्वारा कोई पांच हजार करोड़ का निवेश किया गया था। जांच का विषय यह भी होना चाहिए कि इन शैल कंपनियों में आखिर सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की क्या भूमिका थी ?

3. आरिफ शेख

विगत पांच वर्षों से आईपीएस आरिफ शेख भूपेश बघेल की चौकड़ी के सबसे खास मेम्बर रहे हैं। भूपेश के पुलिस सेनापति के रूप में पूरे प्रदेश को मैनेज आरिफ शेख किया करते थे। भूपेश बघेल और उनकी चौकड़ी के विरूद्ध हर उठने वाली आवाज को दबाने के लिए इन्होंने किसी भी स्तर के अनैतिक कार्य करने से गुरेज नही किया। आरिफ शेख के खिलाफ कुछ गंभीर शिकायत केन्द्र में लंबित हैं। साथ में राज्य में की गई शिकायतों को पूर्ववर्ती सरकार रद्दी के टोकरी में फेंक दिया करती थी। आरिफ शेख वही अधिकारी हैं जिसने खासतौर पर भूपेश सरकार की वापसी पर मुझे बाल घसीटते हुए और जेल में पिटवाने का भूपेश से वादा कर रखा था। इन पर भाजपा के नरेश चंद्र गुप्ता, कार्यालय प्रमुख ने 120 पन्नों का गंभीर भ्रष्टाचार और दमन को लेकर शिकायती पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनावी ड्यूटी से हटाने की मांग की थी, क्योंकि वह कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। भाजपा द्वारा इस पत्र में आईपीएस आरिफ शेख पर बहुत सारे आरोप लगाये, जिसमें कोयला घोटाला, शराब घोटाला के माध्यम से पॉलिटिकल फंडिंग का भी काम किया था। इसके साथ ही आरिफ शेख, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा के बीच की व्हाटसप चेट को भी उल्लेखित किया। जिसमें विभिन्न क्रिमिनल षड़यंत्रों को उजागर किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के विरूद्ध 100 से उपर झूठे मुकदमें दायर करने कि शिकायत आरिफ शेख के खिलाफ किया गया। इसमें से भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी कांड को उजागर करने का भी काम किया था। उनके विरूद्ध भी अवैध मामला दर्ज

के रूप में उठाना पड़ा।

2018 में राज्य में पिछड़ों और आदिवासियों की एकता ने कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई और 15 साल के भाजपा शासन से बदलाव के लिए शहरी वोट भी कांग्रेस को मिला था। वादे के बावजूद शराबबंदी न करने से महिलाएं नाराज हुईं। राज्य की सबसे बड़ी पिछड़ी आबादी साहू समाज की जिस तरह उपेक्षा

जगत VISION

जगत विजन द्वारा मुख्य सचिव छग को आरिफ शेख के खिलाफ मार्च 2023 में लिखा शिकायत पत्र

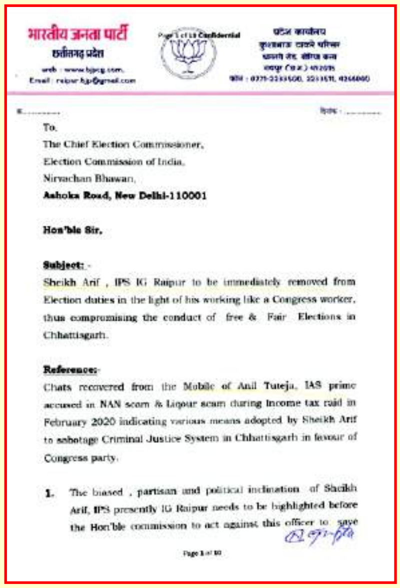
भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ प्रदेश

To,
The Chief Election Commissioner,
Election Commission of India,
Nirvachan Bhawan,
Ashoka Road, New Delhi-110001

Hon'ble Sir,

Subject: -
Sheikh Arif , IPS IG Raipur to be immediately removed from Election duties in the light of his working like a Congress worker, thus compromising the conduct of free & Fair Elections in Chhattisgarh.

Reference:-
Chats recovered from the Mobile of Anil Tuteja, IAS prime accused in NAN scam & Liqour scam during Income tax raid in February 2020 indicating various means adopted by Sheikh Arif to sabotage Criminal Justice System in Chhattisgarh in favour of Congress party.

1. The biased , partisan and political inclination of Sheikh Arif, IPS presently IG Raipur needs to be highlighted before the Hon'ble commission to act against this officer to save

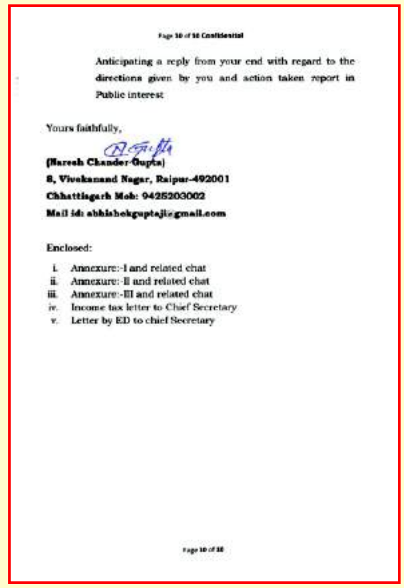
Anticipating a reply from your end with regard to the directions given by you and action taken report in Public interest

Yours faithfully,

(Naresh Chander Gupta)
8, Vivekanand Nagar, Raipur-492001
Chhattisgarh Mob: 9425203002
Mail id: abhishekguptaji@gmail.com

Enclosed:

i. Annexure:-I and related chat
ii. Annexure:-II and related chat
iii. Annexure:-III and related chat
iv. Income tax letter to Chief Secretary
v. Letter by ED to chief Secretary

वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश चन्द्र गुप्ता द्वारा आरिफ शेख के खिलाफ लिखा 120 पन्नों का शिकायत पत्र

किये गये। इसके अलावा पत्रकार सुनील नामेदव के खिलाफ झूठा मुकदमा, फेब्रिकेट करके उनको लंबे समय तक जेल में रखा गया था। महादेव सट्टा ऐप में इनकी भूमिका को लेकर साथ-साथ इनके सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा एवं अन्य लोगों के लिए अनैतिक कार्य करने का आरोप भाजपा द्वारा लगाया गया है।

मेरे द्वारा आईपीएस आरिफ शेख के खिलाफ केन्द्र एवं राज्य सरकार को मार्च 2023 में विभिन्न फोरमों पर शिकायत की गई थी। जिसमें केन्द्र की जांच अभी लंबित है। इसमें आरिफ शेख, आई.पी.एस. 2005 (छ.ग. कैडर) वर्ष 2019 से नवम्बर 2022 तक डिप्टी आई.जी. एन्टीकरप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी) छत्तीसगढ़ एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) में पदस्थ थे। वर्तमान में आरिफ शेख, महासमुंद आई.जी. के पद पर पदस्थ हैं। बतौर डी.आई.जी. एन्टीकरप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) छत्तीसगढ़ एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) इनका कार्यकाल भ्रष्टाचार में लिप्त रहा था। पद में रहते हुये यह शासकीय कार्य की गुप्त जानकारी व्हाट्सएप्प पर चैट के माध्यम से अशासकीय व्यक्ति(यश टुटेजा) एवं (अनिल टुटेजा आईएएस, (आरिफ शेख से गैर ताललुक विभाग में पदस्थ) से करते थे एवं शेख आरिफ के द्वारा हाल में एक दागी पुलिस अधिकारी को ए.सी.बी./ईओडब्यू में संविदा नियुक्ति नियमों के विपरीत एवं मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके दिलवायी गई है। इस अनियमित संविदा नियुक्ति के लिये भी इनके फेवर की निंदा हुई। आरिफ शेख ए.सी.बी./ईओडब्यू में पदस्थ रहते हुये रोजमर्रा अपने शासकीय कार्य की गुप्त जानकारी व्हाट्सएप्प पर चैट के माध्यम से यश टुटेजा उर्फ (YT) (पुत्र अनिल टुटेजा, आई.ए.एस. छ.ग. प्रमुख आरोपी-36 हजार करोड़ के नान घोटाले में है) एवं अनिल कुमार टुटेजा उर्फ (AKT)/(TA KUMAR) से की। जिनकी व्हाट्सएप्प चैट केंद्रिय एजेंसियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की थी। अनिल कुमार टुटेजा उर्फ (AKT)/(T A KUMAR) गृह विभाग से संबंधित किसी भी मंत्रालय में पदस्थ नहीं रहे थे। तब भी आरिफ शेख ने कई

हुई उसने कांग्रेस के पिछड़े जनाधार को बिखेर दिया और भाजपा ने उसमें सेंधमारी की। रही सही कसर मतदान से कुछ दिन पहले ईडी की छापेमारी और महादेव ऐप को लेकर सीधे मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों ने पूरी कर दी और शहरी मतदाताओं का रुझान भी बदल गया।

विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटें जीती हैं जबकि कांग्रेस

गोपनीय जानकारी उनसे साझा की। यश टुटेजा उर्फ (YT) ने मंहगा गिफ्त (code word alphanso) आरिफ शेख को इन जानकारी साझा करने के एवज में दिया गया। व्हाट्सएप्प चैट से आरिफ शेख, सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की कंडिका 12. Unauthorised Communication of Information. "No Government servant shall, except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance in good faith of the duties assigned to him" comll1unicate, directly or indirectly, any official. document or any part thereof or information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information." का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही आरिफ शेख ए.सी.बी. ईओडब्यू में पदस्थ रहते हुये रोजमर्रा अपने शासकीय कार्य की गुप्त जानकारी व्हाट्सएप्प पर चैट के माध्यम से यश टुटेजा (पुत्र अनिल टुटेजा, आई.ए.एस. छ.ग. प्रमुख आरोपी 36 हजार करोड़ के नान घोटाले में है) से करते थे। आरिफ शेख अपने पद का गलत इस्तेमाल कर पत्रकारों, व्यवसायियों, शासन में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को अवैध तरीके से फंसाने के लिये करते थे। अपनी शासकीय गोपनीय कार्यों की जानकारी एवं आदेश वह यश टुटेजा से सांझा करते थे। आरिफ शेख ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यश टुटेजा अशासकीय व्यक्ति एवं आरिफ शेख ने व्हाटसप चैट अनिल कुमार टुटेजा के साथ भी की, जिसमें वह किसी मामले में एक न्यूज चैनल के मालिक के साथ MAN-HANDLING के साथ-साथ किसी मामले को रफा-दफा करने की खबर सांझा कर रहे थे। जबकि अनिल कुमार टुटेजा (AKT) गृह विभाग से संबंधित किसी भी मंत्रालय में पदस्थ नहीं रहे थे। उपरोक्त श्रेणी All India Services (Conduct) Rules, 1968 की कंडिका-3(2B)A(VI) "not place himself under any financial or other obligations to any individual or organization which may influence him in the performance of his official duties", 3(2B)A(XII) "be liable to maintain confidentiality in the performance of his official duties as required by any laws for the time being in force, particularly with regard to information, disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of State, strategic, scientific or economic interests of the State, friendly relation with foreign countries or lead to incitement of an offence or illegal or unlawful gains to any person", कंडिका-8 Evidence before committees, etc. 8(1) Save as provided in sub-rule (3), no member of the Service shall except with the previous sanction of the Government, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or other authority, कंडिका-9 Unauthorised communication of information. No member of the Service shall except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance in good faith of duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or part thereof or information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information., कंडिका-11. Gifts 11(3) Member of the Service shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from persons having official dealings with them or from industrial or commercial firms or other organizations के उल्लंधन के दायरे में आता है।

आरिफ शेख के सबसे गंभीर भ्रष्टाचार वह है जिसमें कई सौ करोड़ों रुपये की लेन-देन का भी इंकार नही किया जा सकता। ऐसा कार्य उन्होंने एसीबी-ईओडब्ल्यू में रहते हुये 133 मुकदमें नस्तीबद्ध करने का किया जो कि कानूनी दायरों से हटकर किया गया था। क्योंकि इनमें कई मामले ट्रेप के हैं। जिसे नस्तीबद्ध नही किया जा सकता है। इसके साथ ही आरिफ शेख ने गंभीर किस्म का भ्रष्टाचार की श्रेणी वाला अपराध किया है। जिसके बाद निश्चित तौर पर इनकी बर्खास्तगी होगी। मेरे द्वारा इसकी पूरी सूची पूर्व में शिकायत के रूप में की गई थी, जिसका कोई संज्ञान नही लिया गया। इस मामले में अगर सरकार से कोई कार्यवाही नही होती है तो निश्चित तौर पर मैं ऐसी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय के तरफ रूख करुंगी।

35 सीटों पर सिमट गई है। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.3 फीसदी मतदान हुआ था। इस दौरान राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ था। कांग्रेस को 43.9 फीसदी वोट शेयर के साथ 68 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं, बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 75.3 फीसदी वोटिंग हुई थी। तब बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब

देश में पहली बार किसी आईपीएस आरिफ शेख द्वारा इतनी अवैध नस्तियां करके बड़े पैमाने पर किया भ्रष्टाचार

मुख्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर(छ0ग0)

दिनांक 01.06.2020 से अब तक प्रकरण में किए गए खात्मा एवं नस्तीबद्ध की जानकारी/गोशवारा

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	खात्मा किए गए अपराध	12
2	नस्तीबद्ध किए गए प्रारंभिक जांच	09
3	नस्तीबद्ध किए गए शिकायत	112
	कुल योग	133

(01 जून 2020 से 25 मई 2021 तक खात्मा की जानकारी)

क्रमांक	अप.क्र. एवं पंजीयन दिनांक	धारा	आरोपी का नाम	खात्मा का कारण	खात्मा क्रमांक एवं दिनांक
1	48/2010 23.10.2010	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988	श्री नरसिंह राठौर कार्यपालन अभियंता नगर निगम रायपुर (छ.ग.)	अनुपातहीन संपत्ति 10 प्रतिशत से कम होने से अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	04/2020 01.06.2020
2	234/2014 30.05.2014	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988	श्री एम. प्रसाद शाह कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर एवं अन्य	अनुपातहीन संपत्ति 7 प्रतिशत से कम होने से अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	06/2020 14.07.2020
3	45/2015 25.07.2015	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988 एवं, 420, 120 बी	श्री वी.के. भतपहरी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर एवं अन्य	अनुपातहीन संपत्ति ऋणात्मक होने/अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	07/2020 17.76.2020
4	44/2016 02.06.2016	13(1)ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988	श्री शैलेन्द्र सिंहनाथ श्रीवास्तव मुख्य अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रायपुर, छ0ग0	अनुपातहीन संपत्ति 5.86 प्रतिशत से होने से अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	08/2020 24.07.2020
5	37/2015 20.07.2015	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988 एवं 467, 468, 471 भादवि	श्री सुरेश पाण्डेय कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, आकाशवाणी, काली मंदिर, रायपुर	अनुपातहीन संपत्ति 3.59 प्रतिशत से होने से अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	09/2020 31.07.2020
6	48/2010	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988	श्री राजेश कुमार चंदेल वनमण्डलअधिकारी वन मरवाही, जिला बिलासपुर	अनुपातहीन संपत्ति 4.57 प्रतिशत से होने से अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	10/2020 09.09.2020
7	06/17 14.02.2017	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988	श्री एम.एल. पाण्डेय पिता स्व. श्री दुर्गाप्रसाद पाण्डेय अपर संचालक समाज कल्याण संचनालय रायपुर छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति 5.88 प्रतिशत से होने से अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	11/2020 15.09.2020
8	17/2012 18.05.2012	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988	श्री देवनारायण वर्मा सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, मंडल क्रमांक-1 रायपुर छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति ऋणात्मक होने /अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	12/2020 15.10.2020
9	13/2018	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988	श्री हिन्चलाल शर्मा उर्फ एच.एल. शर्मा अनुविभागीय अधिकारी विद्युत एवं यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग बस्तर छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति 5.71 प्रतिशत से होने से अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	13/2020 02.11.2020
10	39/2012 06.10.2012	7 भ्र.नि. अधि. 1988	श्री जे.एस. जब्बल कार्यपालन अभियंता कार्यालय-ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बलौदाबाजार छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति 10 प्रतिशत होने / अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाव के कारण खात्मा चॉक किया गया।	14/2020 24.11.2020
11	05/2020	7 भ्र.नि.अधि. 1988	श्री बी.आर. कैवर्त्य क्लर्क कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोटा बिलासपुर, छ.ग.	आरोपी का ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु होने जा से प्रकरण में खात्मा चॉक किया गया	15/2020 15.12.2020
12	07/2011	13(1) ई, 12(2) भ्र.नि. अधि. 1988	श्री मणीधर दीवान पिता श्री ओमकारधर दीवान उप सचिव, जल संसाधन विभाग, शासन मंत्रालय रायपुर, छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति 8.33 प्रतिशत होने 2 / अभियोजन योग्य साक्ष्य का अभाद के कारण खात्मा चॉक किया गया।	4/2020 01.06.2020

रही थी। बीजेपी को 2013 के चुनाव में 49 सीटें मिली थीं वहीं, कांग्रेस को 39 सीटें मिली थीं। 2008 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 70.6 फीसदी वोटिंग हुई थी। इस दौरान बीजेपी को 50 और कांग्रेस के खाते में 38 सीटें आई थीं। बीजेपी का वोट शेयर 40 फीसदी था वहीं, कांग्रेस का वोट शेयर 38 फीसदी थी।

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में

मुख्यालय राज्य अपराध अन्वेषण एवं एण्टी करप्शन ब्यूरों, रायपुर छ0ग0
प्रारंभिक जॉच की सूची

क्रमांक	पी.ई.क्र. पंजी क्रमांक(if any)	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
1	13/2014 14.11.2014	श्री डी.के. सिंह, उप वनमण्डलाधिकारी, पिथौरा, तत्का0 उप वनमण्डलाधिकारी गौरेला स्थल मरवारी	श्री राजेश कुमार चंदेले, भा.व. से. वनमण्डलाधिकारी मरवाही एवं श्री इन्द्रप्रसाद बंजारे परिक्षेत्र अधिकारी गौरेला	वन विभाग	उप मण्डलाधिकारी गौरेला से बिना सत्यापन कराये वन परिक्षेत्र की समितियों से राशि आहरण कर गबन करना	एन.डी. साहू	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध 15.09.2020
2	18/2018 25.05.2018	अज्ञात स्थल बिलासपुर	श्री कृष्ण कुमार पाठक, पटवारी पहन. 03 बिल्हा, बिलासपुर निवासी-बजरंग बली, मंदिर के पास जूना बिलासपुर	राजस्व विभाग	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करा	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	आदेश क्रमांक पी-1446 दि. 11.12.2020 को नस्तीबद्ध
3	18/2018 25.05.2018	अज्ञात स्थल बिलासपुर	श्री कृष्ण कुमार पाठक, पटवारी पहन. 03 बिल्हा, बिलासपुर निवासी-बजरंग बली, मंदिर के पास जूना बिलासपुर	राजस्व विभाग	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करा	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	आदेश क्रमांक पी-1446 दि. 11.12.2020 को नस्तीबद्ध
4	30/2018 29.08.2018	अज्ञात स्थल रायपुर	रमेश सिंह, सहायक ग्रेड-2 सिंचाई विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर	जलसंसाधन विभाग	अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत	फरहान कुरैशी	अप्रमाणित	आरोप अप्रमाणित पाये जाने से नस्तीबद्ध दिनांक21..2020 को नस्तीबद्ध
5	33/19 24.10.2019	श्री राहुल देव तिवारी व्हाईट हाउस के पीछे उसलापुर ब्रीज के नीचे बिलासपुर स्थल तखतपुर अमेरी जिला बिलासपुर	सुरेश सिंह ठाकुर पटवारी	राजस्व विभाग	भ्रष्टाचार के माध्यम् से आय से अधिक संपत्ति अर्जि करना।	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 21.10.2020
6	50/2019 12.12.2019	श्री दिनेश पाण्डेय, निवासी ग्राम बुंधा लखनुपर सरगुजा	श्री ओमप्रकाश प्रसाद, मुख्य चिकिकित्सा अधिकारी लखनपुर सरगुजा	स्वास्थ्य परिवार एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुर में लाखों की सामग्री क्रय कर शासकीय रकम की हेरा-फेरी का आरोप।	प्रमोद खेस	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 13.07.20
7	09/2020 12.02.2020	अज्ञात सूत्र सूचना श्री प्रहलाद यादव, उपनिरीक्षक एसीबी रायुपर स्थल जल संसाध विभाग सकरी बिलासपुर छ.ग.	श्री संजय पाठक कार्यपालन अभियंता, जल संसायन विभाग, सकरी, जिला बिलासपुर छ.ग.	जल संसाधन विभाग	आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना।	सपन चौधरी	अप्रमाणित	प्रा.जां. क्रमांक 08/2020 दिनांक 12.01.2021 को नस्तीबद्ध
8	17/2020 05.03.2020	अज्ञात स्थल- लोकनिर्माण विभाग, बिलासपुर छ.ग. समय 12:30	श्री राजकुमार रात्रे पिता श्री सुनउराम रात्रे अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छ0ग0	लोक निर्माण विभाग	आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने बावत्।	सपन चौधरी	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक्क 21.10. 2020
9	30/2020 15.05.2020	श्री मोहम्मद असल खान, निावसी काशी राम नगर, स्थल सहायक विकास खण्ड शिक्षा	श्री प्रदीप शर्मा, सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, धरसींवा जिला-रायपुर	स्कुल शिक्षा विभाग	आय से अधिका संपत्ति अर्जित करने बावत्	लम्बोदर पटेल	अप्रमाणित	अप्रमाणित पाए जाने से दिनांक 04.02.2021 को नस्तीबद्ध किया गया है।

बनी भाजपा सरकार शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही लगातार एक्शन में है। विष्णुदेव साय ने एक के बाद एक जनहित से जुड़े फैसले लेकर जनता के बीच अपनी एक विशेष पहचान बनाना आरंभ कर दिया है। वहीं, दूसरी ओर राज्य में कुछ ऐसे अफसर भी हैं जिन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना आरंभ कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह वही अफसर हैं जिन्होंने भूपेश बघेल की

मुख्यालय राज्य अपराध अन्वेषण एवं एण्टी करप्शन ब्यूरों, रायपुर छ0ग0
शिकायतों की सूची

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
1	282/2018 26.03.2018	श्रीमती सुजाता जसवाल अधिवक्ता सनसिटी सन हेरिटेज ए-201 जगदलपुर बस्तर स्थल -रावघाट	रावघाट परियोजना अधिकारी	राजस्व विभाग	रावघाट रेल परियोजना छल व फरेब कर अधिकतम मुआवजा प्रदान कर शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने की शिकायत	अन्यत्र	अप्रमाणित	आरोपी के विरूद्ध जगदलपुर अप.क्र. 409/19 कायम होने से नस्तीबद्ध दिनांक 10.11. 2020
2	232/2019 01.04.2019	देबदुती विश्वास, मैनेजर, इस्टर्न रिजीनल ऑफिस, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कोलकाता स्थल - रायपुर	सहारा इंडिया कार्मसियल्त कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज लिमि0 प्रतिष्टा इंफ्राकान रियकॉन इंडिया लिमि. एवं अन्य	प्रायवेट व्यक्ति/फर्म	अनावेदक कंपनियों में विभिन्न निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत के संबंध में	अन्यत्र	अप्रमाणित	एसपी, जिला रायगढ़ से प्राप्त जाँच. प्रतिवेदन के परीक्षणोपरान्त नस्तीबद्ध दि. 07.11.2020
3	405/2020 17.08.2020	श्री ब्रम्हानंद तिवारी, राम कृष्ण इंस्टीट्यूट रेल्वे स्टेशन के पास स्ट्रीट नं-06 दीपक नगर दुर्ग छ0ग0 स्थल मुंगेली	कार्यपालन अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी, लोक निर्माण विभाग, मुंगेली	लोक निर्माण विभाग	मुंगेली अंतर्गत बजटेड सड़कों का सर्वेक्षण कार्य 2020-21 टेण्डर टी0010 में अनियमितता	अन्यत्र	अप्रमाणित	कलेक्टर मुंगेली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् नस्तीबद्ध दिनांक 04.11. 2020
4	202/2016 23.03.2016	दिनेश सिंह, भट्ठी रोड़ केदारपुर अंबिकापुर स्थल सूरजपुर, सरगुजा रेंज	समर बहादुर सिंह, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सूरजपुर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने बाबत्	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत शिकायत नस्तीबद्ध किया गया।
5	206/2016 23.03.2016	ए.एन0 दुबे, पत्रकार, नमनाकला, अंबिकापुर सरगुजा स्थल बलरामपुर, सरगुजा रेंज	की.के. मोदी, उप यंत्री प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी सर्वे उप संभाग जल संसाधन रामानुजगंज बलरामपुर	जल संसाधन विभाग	अनियमितता भ्रष्टाचार तथा अनुपातहीन संपत्ति बाबत्	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	जाँच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत दिनांक 28. 02.2021 को नस्तीबद्ध किया गया।
6	96/2018 18.06.2018	विजय कुमार साहू ग्राम फस्त्यान मुंगेली, स्थल मुंगेली	श्री शैलेष कुमार श्रीवास्तव रीडर अनु0 अधिकारी राजस्व कार्यालय मुंगेली	राजस्व विभाग	अनावेदक द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम् से अनुपातहीन सम्पतित अर्जित करने के संबंधि में	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	जाँच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत दिनांक 08/02/2021 को नस्तीबद्ध किया गया।
7	215/2016 23.03.2016	पी.के. वितारी, कार्मेल स्कूल के पास नमना अंबिकापुर स्थल सरगुजा रेंज सरगुजा	अखिलेश सोनी मिम्न श्रेणी लिपिक जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय अंबिकापुर सरगुजा	स्कूल शिक्षा विभाग	आय से अधिका सम्पत्ति अर्जित करने बाबत्	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	जांच प्रतिवेदन के आधार शिकायत दिनांक 08.02. 2021 को नस्तीबद्ध किया गया।
8	260/2017 26.03.2017	अज्ञात स्थल अंबिकापुर, सरगुजा रेंज	रमेश बितारी, जिला प्रबंधक, छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, अंबिकापुर	खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति (नागरिक आपूर्ति निगम)	अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने बाबत्	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	जाँच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत दिनांक 08. 02.2021 को नस्तीबद्ध किया गया।
9	214/2016	अब्दुला बेग पूर्व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदा क्वाटर नं. 18/बी सड़क नं. 11 सेक्टर 1 भिलाई जिला दुर्ग स्थल रायपुर	कार्यालय आयुक्त आ0जा0 एवं अ0जा0 विकास मुख्यालय	आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सहायक प्रोग्रामर डाटा एंट्री ऑपरेटर सहा.ग्रेड-3 स्टेनो टायपिस्ट में अनियमितता कर अपात्र की नियुक्ति	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	जाँच प्रतिवेदन की परीक्षणोंपरान्त नस्तीबद्ध
10	550/2019 02.08.2019	संतोष अग्रवाल रायगढ़ स्थल रायगढ़	श्री चितरंजन सिंह, खाद्यय निरीक्षक रायगढ़	खाद्य विभाग	राशन सामग्री में भ्रष्टाचार कर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत।	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 05.12. 2020
11	423/2020 18.08.2020	श्री अर्जुन लाल पिता हीराराम साहू स्थल बिलासपुर	अनिल कुमार साहू माईनिंग इंस्पेक्टर, खनिज विभाग, बिलासपुर	खनिज विभाग	भ्रष्टाचार के माध्यम् से 2 करोड़ की जमीन खरीदी।	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 15. 01.2021
12	658/2020 19.11.2020	श्री सुनील झा, प्रदेश महासचिव, शिवसेना, छ0ग0, चौबे कॉलोनी, रायपुर	श्री ऋषि गुप्ता, सहायक अभियंता, लोक निर्माण, विभाग , ई एम0 बिलासपुर	लोक निर्माण विभाग	अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत	सपन चौधरी	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 15.01. 2021

भ्रष्ट सरकार में अनाप-शनाप भ्रष्टाचार किया और बघेल के लिये भ्रष्टाचार का एक ताना बाना गढ़ने का प्रयास किया है। सूत्रों के अनुसार यह वहीं अफसर हैं जिन्होंने राज्य में संचालित जनकल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया और जनता को उसके लाभ से वंचित कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि ऐसे अफसरों को तब भाजपा ने विपक्ष में बैठकर

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
		स्थल बिलासपुरी						
13	745/2020 31.12.2020	श्रीमती रत्नी कुंजाम, अधीक्षिका, एकलव्य छात्रावास कटेकल्याण संचालित जावंगा गीदम स्थल दंतेवाड़ा	श्री एस0के0 दुबे उपायुक्त कार्यालय आयुक्त, आ0जा0 तथा अनु0जा0 विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर	आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान अवैध वसूली के संबंध में।	सुशांतो बनर्जी	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध 23.02.2021
14	501/2020 30.09.2020	श्री नरेन्द्र भट्टाचार्य, टैगोर जी-444/200, नियर सियांल्दा रोड़ कलकत्ता स्थल -रायपुर	श्री सदानंद कुमार भापुसे	गृह (पुलिस) विभाग	फेक करेंसी का काम करने वाले ब्रोकरों के साथ संलिप्तता		अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दि. 24.10. 2020
15	453/2020 24.08.2020	संजीत कुमार सिंह ग्राम बैगाकापा, तहसील पथरिया, जिला मुंगेली स्थल संभाग बिलासपुर	श्री विजय पाण्डेय सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग बिलासपुर व अन्य	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं)	अनावेदक द्वारा ठेकेदारों से मिलीभगत कर ग्राम पंचायतों लगने वाले एलईडी स्ट्रीट लाईट में भ्रष्टाचार।	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध 26.03.2021
16	126/2020	श्री संजीत कुमार सिंह, ग्राम बैगाकापा, तहसील -पथरिया, जिला मुंगेली स्थल बिलासपुर	श्री विजय पाण्डेय सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग बिलासपुर व अन्य	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं)	ग्राम पंचायतों में लगने वाले एलईडी स्ट्रीट लाईटों के कार्यों में भ्रष्टाचार	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध 26.03.2021
17	356/20220	पेपर कटिंग, नई दुनियां, दिनांक 16.07.2020	रायपुर नगर निगम के अधिकारी गण	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	शिवाजी वार्ड, रायपुर में पाईप लाईन बिछानें में उड़ाई मानकों की धज्जी।	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दि 31.08.20. 20
18	393/2020 13.08.2020	श्री घासीराम बघेल, सतनामी पारा आरंग जिला रायपुर	श्री जे0आर0 भगत एवं अन्य पुरातत्व विभाग रायपुर	संस्कृति एवं पुरातत्व विभाव	उत्खनन के नाम पर सरकारी राशि का खुलेआम दुरूपयोग और शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भ्रष्टाचार	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 17.12. 2020
19	349/2020 17.07.2020	श्री नारायण शर्मा (वरिष्ठ) फ्लैट नम्बर 408 आर्किड 4,	सुश्री सौम्या चौरसिया वर्तमान पदस्थ उप सचिव मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन विभाग	नियम विरूद्ध कार्यों की निष्पक्ष जांच हेतु विधि	अलबर्ट कुजूर	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध 17.12.2020
		ग्रीन अर्थ सिटी, अमलेश्वर पाटन, जिला दुर्ग स्थल रायपुर	सचिवालय		अनुसार कार्यवाही करने बाबत्			
20	371/2020 22.07.2020	श्री सुरेश चंद पिता श्री गोपीचंद रत्नानी एवं अन्य कादम्ब	श्री फरहान कुरैशी निरीक्षक, ईओडब्ल्यू, रायपुर	ईओडब्ल्यू	5 लाख उप पंजीयक दुर्ग से लेकर एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद पद का दुरूपयोग कर अपराध से नाम काटने	पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू -1	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 01/12/2020
21	575/2020 14.08.2019	श्री सुनील शेरके, डॉ खूबचंद बघेल वार्ड अध्यक्ष, छ0ग0 प्रदेश कांग्रेस कमेटी न्यू चंगोराभाठा रायपुर स्थल- नगरपालिक निगम रायपुर	श्री नागेश्वर राव रामटेके, प्रभारी सहायक अभियंता	नगर पालिक निगम (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)	भ्रष्टाचार के माध्यम् से अवैध संपत्ति अर्जित करने।	चंद्रशेखर बारीक	अप्रमाणित	निस्तीबद्ध दिनांक 02.03.2021
22	75/2020 24.01.2020	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय, सूरजपूर, जिला सूरजपुर स्थल-सूरजपुर	श्री विपि बिहारी सिंह, सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी, एस0ए0 खान, वन परिक्षेत्राधिकारी सूरजपुर एवं अन्य	वन विभाग	निर्माण आदि कार्यों में करोड़ों का गबन कर शासन को आर्थिक क्षति	गौरव मंडल	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 2.06.20
23	510/2019 17.07.2019	श्री राकेश जाट, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थल-ईओडब्ल्यू रायपुर	श्री अनिल बक्शी, डी0एस0पी0, ईओडब्ल्यू एवं श्री अलबर्ट कुजूर, डी0एस0पी0 ईओ0डब्ल्यू0	ईओडब्ल्यू	अपराध क्रमांक 06/2019 की विवेचना में कथन के समय डराने धमकाने की शिकायत।	माहेश्वर नगा	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 2.11.2020
24	354/2020 16.07.2020	पप्पू फरिश्ता, प्रबंध संपादक, जनता से रिश्ता सिविल लाईन, रायपुर स्थल नवा रायपुर	श्री हेमंत कुमार वर्मा, आयुक्त छ0ग0 गृह निर्माण मंडल पर्यावास भवन नवा रायपुर	आवास एवं पर्यावरण विभाग	अधिका अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत।	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 03.11. 2020

खूब नोटिस किया है और अब उन पर जबरदस्त कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इनमें कई ऐसे आईपीएस और आईएएस अफसर हैं जो खुद को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बड़ा समझने लगे थे और राज्य के कई क्षेत्रों और विभागों में इन्हीं का बोलबाला था। लेकिन जनता ने भूपेश बघेल की इस चौकड़ी का अंत कर रावण राज को समाप्त किया और अब राज्य में

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
25	100/2020 03.03.20	विभागीय कर्मचारीगण, जिला राजनांदगांव स्थल राजनांदगांव	श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा आई0ए0एस0 एवं श्री अशोक अग्रवाल आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त)	सामान्य प्रशासन विभाग	सर्व शिक्षा अभियान में बिना प्रशिक्षण के करोड़ों की राशि का फर्जी बिल के माध्यम् से आहरित कर गबन करने।	रामकृष्ण दुबे	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 04.11. 2020
26	145/2018 26.03.2018	श्री कन्हैया अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष छ0ग0 प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ नयापारा रायपुर	शिक्षा विभाग के विरूद्ध कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के प्रश्न पत्रों में छपाई में आर्थिक अनियमितता	स्कूल शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न पत्रों की छपाई प्रतिवर्ष में 20-22 करोड़ नुकसान होने की शिकायत।	कुमार विवके पाटकर	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 04.12. 2020
27	397/2017 25.03.2017	श्री विनोद कुमार साहू ग्राम परसवाना जिला महासमुन्द स्थल महासमुन्द	श्री आर0के0 खाम्बरा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग महासमुन्द	लोक निर्माण विभाग	कौआझर पिरदा लहगेर मार्ग के कार्यों में ठेकेदार से सांठ-गांठ कर भारी भ्रष्टाचार किये जाने का आरोप ।	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 05.01. 2021
28	698/2020 05.12.2020	एम0के0 मिश्रा, रायपुर स्थल-रायपुर	एण्टी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी/कर्मचारी	एन्टी करप्शन ब्यूरो	एण्टी करप्शनल ब्यूरो के कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार और वसूली की शिकायत।	जितेन्द्र चन्द्राकर	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 05.04. 21
29	231/2020 21.05.2020	श्री अतुल सिंह, संभागीय अध्यक्ष ठेकेदार संघ सरगुजा संभाग स्थल अंबिकापुर, जिला सरगुजा	श्री नरेश चन्द्र सिंह, कार्यपालन अभियंता एवं श्री एस0के0 रवि, मुख्य अभियंता, जल संसाधन क्रमांक- 1 अंबिकापुर	जल संसाधन विभाग	श्याम घुनघुट्टार परियोजना के टेंडर क्रमांक 05/ब0ले0लि0/ 2019-20 में भ्रष्टाचार	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 05.12. 2020
30	30/2019 17.01.2019	श्री अरज लाल, अवर सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर स्थल बिलासपुर	प्रमोद खेस निरीक्षक, ए0सी0बी0 बिलासपुर	एन्टी करप्शन ब्यूरो	बिलासपुर में पदस्थ विवेचक/निरीक्षक के कार्य प्रणाली की जांच करने बाबत्।	रामकृष्ण दुबे	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 06.10. 2020
31	451/2020 20.08.20	एक पत्रकार सक्ती स्थल जांजगीर चांपा	श्री अनिल मितत्तल आबकारी निरीक्षक, जांजगीर	वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग	भ्रष्टाचार के माध्यम् से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत।	चुन्नू तिग्गा निरीक्षक	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 07.10. 2020
32	810/2019 25.11.2019	श्री चन्द्रकांत गढ़ेवाल, वार्ड क्रमांक 16 धनवारी डांड, पोस्ट एवं तहसील खड़गवां जिला कोरिया। स्थल बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, सरगुजा रेंज।	श्री भास्कर प्रसाद तिवारी, सहायक ग्रेड-02, कार्यालय उप संचालक कृषि, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	कृषि विभाग	भ्रष्टाचार के माध्यम् से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत।	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 10.09. 2020
33	264/2020 12.06.2020	श्री विष्णु प्रसाद कुलदीप अधिवक्ता, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 14 स्थल जशपुर	श्री सुभाषचन्द्र कछवाहा सीईओ, जनपद पंचायत फरसाबहार, जिला जशपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	भ्रष्टाचार के माध्यम् से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत।	प्रमोद खेस	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 09.02. 2021
34	208/2017 25.03.2017	श्री सुनील कुमार तिवारी, विद्युत ठेकेदार अंबिकापुर सरनगुजा स्थल- अंबिमापुर, सरगुजा रेंज।	श्री निर्मल टोप्पो लोक निर्माण विद्युत यांत्रिकी अंबिकापुर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	08 करोड़ का कोटेशन के माध्यम् से बिना निविदा आमंत्रित किये एवं बिना कार्य के फर्जी बिल बनाकर भ्रष्टाचार	एन.डी. साहू	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 10.09. 2020
35	152/2020 20.03.2020	सुधीर गुप्ता, तारबहार बिलासपुर छ0ग0 स्थल-बिलासपुर	श्री रामानंद हीराधर, जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर वर्तमान पदस्थापना, उप संचालक शिक्षा, घोड़ादाना स्कूल	स्कूल शिक्षा विभाग	निजी स्कूलों को संरक्षण देकर भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत	सपन चौधरी	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 11.02. 2021
36	203/2020 11.05.2020	संजू सतनामी, भावना नगर, खम्हारडीह रायपुर छ0ग0	आबकारी मुख्य आरक्षक सुरेन्द्र गिरी	वाणिज्य कर (आबकारी)	अरबों की संपत्ति अर्जित करने तथा घर में हर वक्त करोड़ों	लम्बोदर पटेल	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 12.05. 2021
37	336/2020 14.07.2020	पेपर कटिंग, रायपुर, नई दुनिया दिनंक 17.07.2020	शराब बिकवाने वाली प्लेसमें कंपनी	वाणिजय कर (आबकारी) विभाग	आबकारी विभाग को लाखों रुपये की हानी पहुंचाने के संबंध में।	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 13.11. 2009

एक बार फिर खुशहाली की ओर बढ़ चला है।

छत्तीसगढ़ की हार कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। यहां दलित, आदिवासी और ओबीसी वोट कांग्रेस के साथ जा रहा था। लेकिन यहां उसकी हार का कारण बीजेपी की दो घोषणाएं हैं। धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और महतारी बंधन योजना लाने की उसकी घोषणा जिसने यहां के लोगों को

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
38	889/2019 20.12.2019	ए0विजिलेंट सिटीजेनप (अज्ञात) स्थल रायपुर	श्री आर0एस0 पाटिल ए0जी0एम0 (इंजी-सिविल)	एयरपोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया	एयराक्राफ्ट को अतिरिक्त पार्किंग कार्य में कान्ट्रे के0डी0 सिंह को अनुचित लाभ पहुंचाने की शिकायत।	संजय दिनकर देवस्थले	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 12.11. 2020
39	112/2019 15.03.2019	श्री पुनित मार्कडेय, पुरानी बस्ती रायपु स्थल रायपुर	श्रीमती श्वेता सिन्हा अति0 पुलिस अधीक्षक, रायपुर	ईओ0डब्ल्यू	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने बावत्।	माहेश्वर नाग	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 12.11. 2020
40	376/2020 11.08.2020	डॉ संदीप गांधी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, कलिंगा यूनीवर्सिटी, कोटनी, मंत्रालय के पास रायपुर स्थल-नया रायपुर	ए0के0 शर्मा, लॉ स्टूडेंट, कलिंगा युनिवर्सिटी	उच्च शिक्षा विभाग	कलिंगा विश्वविद्यालय, उनके प्रबंधक एवं सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध झूठी शिकायत करने बावत्।	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 12.11. 2020
41	299/2020 03.07.2020	श्री राजेश्वर चौधरी, सेक्टर 7 भिलाई स्थल- रायपुर	श्री नारंग एवं गगन, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अमृत मिशन	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	अमृत मिशन अंतर्गत चल रहे भ्रष्टाचार के संबंध में ।	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 15.09. 2020
42	298/2020 03.07.2020	श्री अमुख उपाध्याय, राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक स्थल-रायपुर	श्री राजेश कुमार नारंग अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण,	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	राज्य शासन की योजना जैसे अमृत मिशन, स्वच्छता श्रृंगार योजना आदि में भ्रष्टाचार	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 15.09. 2020
43	563/2020 14.10.2020	सुनील कुमार झा प्रदेश महासिचव शिवसेना, रायपुर स्थल अंबिकापुर	श्री निर्मल टोप्पो तत्कालीन कार्यपालन अभियंता विद्युत अंबिकापुर, विद्युत यांत्रिकी सेवा लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग	8.00 करोड़ रूप्ये का भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 16.02. 2021
44	111/2016 24.03.2016	श्री विवके वर्मा, 16 नवजीवन सोसायटी पचपेढ़ी नाका रायपुर स्थल रायपुर	लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के अधिकारी	स्कूल शिक्षा विभाग	संचालनालय लोक शिक्षण छ. ग. रायपुर में 10 करोड़ रूपयों की निविदा में अनियमितता	एन.डी. साहू	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध 16.10.2020
45	262/2020	श्री कुलेश्वर पाण्डेय, डिप्लोमा स्थल गरियाबंद	श्री प्रदीप कुमार आनंद, संसाधन, गरियाबंद	जल संसाधन	आय से अधिक अरबों की की शिकायत।	सुशांतो	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध 17.12.20.20
46	768/2019 30.10.2019	श्री ए0के0 अग्रवाल, भिलाई स्थल टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग, दुर्ग	श्री राजेश कुमार डुंभरे, वरिष्ट मानचित्रकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, दुर्ग	नगरीय प्रशासन एवं विकास (नगर तथा ग्राम निवेश)	भ्रष्टाचार के माध्यम् से अवैध सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत।	प्रमोद सिंह वट्टी, निरीक्षक	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 17.12. 20
47	806/2019 25.11.19	श्री मुन्ना लाल चौधरी, ग्राम धाका तह0 व जिला कटनी, म0प्र0 स्थल- सूरजपुर, सरगुजा रेंज	श्री नन्द लाल चौधरी, प्रबंधक (नोडल अधिकारी), स्टेट वेयर हाउसिंग कारेपोरेशन, विश्रामपुर, जिला सूरजपुर	खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति (नागरिक आपूर्ति निगम)	भ्रष्टाचार के माध्यम् से चल व अचल संपत्ति अर्जित करना।	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 18.01. 2021
48	297/20119 01.05.2019	सुरेश मिश्र, न्यू बस स्टैण्ड के पास बिलासपुर स्थल-रायपुर	पी0एन0 साहू अभियंता, कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	नगर प्रशासन एवं विकास विभाग	भ्रष्टाचार के माध्यम् से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में।	सपन चौधरी	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 18.05. 2021
49	612/2019	श्री संदीप पाटिल सेक्टर 1 पावर हाउस भिलाई स्थल हाउसिंग बोर्ड रायपुर	श्री संदीप साहू, कार्यपालन अभियंता एवं श्री टाकुर सहायक अभियंता, छ0ग0 हाउसिंग बोर्ड, रायपुर	आवास एवं पर्यावरण विभाग (छ.ग. गृह निर्माण मण्डल)	आर्थिक अनियमितता एवं पद का दुरूपयोग।	कुमार विवेक पाटकर	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 20.10. 2020
50	303/2020 04.07.20	श्री संजय भास्कर, दीन दयाल उपाध्याय नगर, रायपुर स्थल-रायपुर	श्री गगन वासन डुप्टी प्रोजेक्टर मैनेजर, राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	भ्रष्ट कारनामों से करोड़ों की राशि के उगाही एवुं वसूली के संबंध में।	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 20.10. 2020
51	699/2019 28.09.2019	श्री राहुल देव तिवारी स्थल-तखतपुर, अमेरी, जिला बिलासपुर	श्री सुरेश सिंह टाकुर, पटवारी, तखतपुर, अमेरी	राजस्व विभाग	अवैध रू- से पैसे कमाने की शिकायत	नरसिंह राम	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 21.10. 20
52	365/2020 21.07.20	पेपर कटिंग दुनियां दिनांक 21.07.2020	बीज निगम के अधिकारीगण	कृषि विभाग	शीर्षक "प्रदेशभर के किसानों को बांटा था स्वर्णा धान का बीज अंकुर तक नहीं फूटा"	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 21.09. 20

जोड़ने का काम किया। नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने शपथ ले ली है। सियासी जानकारों का मानना है कि पार्टी ने यह फैसला राज्य में आदिवासी वोटर्स को ध्यान में रखते हुए किया है। इससे पहले भी आदिवासी वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने कई ऐलान किए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत साय को मुख्यमंत्री के रूप

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
53	76/2018 17.05.2021	अज्ञात स्थल-तखतपुर	श्री सुरेश कुमार साहू पटवारी पहनं-43, अमेर तहसील तखतपुर	राजस्व विभाग	अनावेदक द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम् से अनुपातहीन सम्पत्ति एकत्र करने बाबत्।	शैलेन्द्र पाण्डेय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 21.10. 2020
54	290/2020	श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, मगर पारा, बिलासपुर स्थल-मुंगेली	श्री गणेश शंकर नामदेव, उप अभियंता नगर पालिका परिषद, मुंगेली	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	चल-अचल संपत्ति का जांच करने विषयक।	अंशुमान सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 23.01. 21
55	702/2020 07.12.2020	भारत सरकार के शुभचिंतक (गुमनाम) स्थल-मुंगेली	डॉ0 एम0के0 राय, खंड, चिकित्सा अधिकारी, मुंगेली	स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	आय से अधिक संपत्ति के संबंध में।	सपन चौधरी	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 23.01. 2021
56	626/2016 25.03.2016	श्री प्रदीप अग्रवाल अध्यक्ष ठेकेदार एससिएशन जल संसाधन विभाग स्थल-रायपुर	श्री जयंत पवार, मुख्य अभियंता एवं श्री भागवत प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग	जल संसाधन विभाग	प्री क्वालिफिकेशन के नाम पर शर्त जोड़ने से कुछ ही ठेकेदारों को कार्य मिलने एवं राजस्व में अनियमितता।	चन्द्रशेखर बारीक	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 23.02. 21
57	102/2021	पु0अ0 ईओडब्ल्यू से प्राप्त पत्र में आवेदक मो0 अल्तमश रिजवी, पि0मो0 जहीर कुरैशी, तुलसीपुर, राजनांदगांव	श्री संतोष मिश्रा, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छ0ग0	स्कूल शिक्षा विभाग	अनावेदक द्वारा माईग्रेशन सिर्टिफिकेट की प्रति प्रदान करने हेतु 10000/- की मांग करने की शिकयत।	स्द्राक्ष, बाघमार	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध 23.03.2021
58	614/2019 26.08.2019	मिर्जा शौकत बेग, प्रधान संपादक, दैनिक प्रजा शक्ति, बिलासपुर स्थल- कार्यालय सहायक आयुक्त, आबकारी, बिलासपुर	दिनेश कुमार दुबे, तत्का0 सहायक ग्रेड-3, कार्यालय सहायक आयुक्त, आबकारी, बिलासपुर	वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग	अनावेदक के वि☺ पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 05/2018 के अनियमित खात्मा के संबंध में	माहेश्वर नाग	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 24.08. 2020
59	727/2019 14.10.19	श्री भुनेश्वर सिंह, कनकपुर, पोस्ट सिलफिली, थाना जय नगर, जिला सूरजपुर स्थल जल संसाधन संभाग सूजरपुर, सरगुजा रेंज	श्री के0के0 मिश्रा मानचित्रकार, श्री एस0डी0 दुबे, लेखापाल, जल संसाधन संभाग सूरजपुर एवं अन्य	जल संसाधन विभाग	कुटरचित दस्तावेज/बिल तैयार कर शासकीय राशि आहरण करने की शिकायत	शरहद सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 25.01. 2021
60	61/2021 06.01.2021	श्री गोपाल सिंह ठाकुर न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर स्थल-रायपुर	श्री एस0एल0 पन्ना उपायुक्त , आदिम जाति कल्याण विभाग, नवा रायपुर	आदि तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	छात्रावास अधीक्षक की पदोन्नति करने के नाम पर 20,2000/- रूपये छात्रावास अधीक्षक से वसूलने।	प्रमोद सिंह वट्टी निरीक्षक	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 25.02. 2021
61	237/2015	विनय महापात्र, नया रायपुर स्थल-रायपुर	श्री डी.के. जैन, मुख्य अभियंता राज्य गुणवत्ता समन्वयक, छ0ग0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (ग्रामीण सड़क विकास)	शासन को करोड़ों रूपये की क्षति	बेनार्ड कुजूर	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 25.20. 21
62	340/0202	सुनली कुमार कुर्रे पिता श्री शिवप्रसाद कुर्रे, ग्राम व डाकघर खम्हरिया थाना सीपत, बिलासपुर छ.ग. स्थल कोटा बिलासपुर	श्री विजय किरण खाद्य निरीक्षक	खाद्य विभाग	श्री विजय किरण खाद्य निरीक्षक कोटा के द्वारा अर्जित आय से अधिक सम्पत्ति के संबंध में	चुन्नु तिग्गा, निरीक्षक	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 26.10. 2020
63	749/2019 23/10/2019	गुमनाम स्थल कवर्धा	श्री विजय किरण, सहायक खाद्य अधिकारी, कवर्धा	खाद्य विभाग	भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 26.10. 2019
64	903/2019 24.12.19	श्री सरिन राज, 103, देवर प्लाईट पो0 बैरनबाजार, पुलिस ग्राउंड के सामने, रायपुर स्थल रायपुर	एस0एस0 त्रिभुवन, निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग (छ0ग0) (भारत सरकार का उपक्रम)	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	सरकारी योजनाओं में खुलकर भ्रष्टाचार कर करोड़ों की राशि करने बाबत् शिकायत।	प्रमोद सिंह, वट्टी निरीक्षक	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 28.11. 2020
65	300/020 03.07.20	आनंद कुमार शर्मा लॉ स्टुडेंट सी-1176 सेक्टर-6 मार्केट नगर, कटक उड़िसा	उमेश पटेल उच्च शिक्षा मंत्री छ0ग0 शासन एवं अन्य	उच्च शिक्षा विभाग	कलिंगा युनिवर्सिटी से सांठ-गांठ कर 2 करोड़ में पहली किश्त 50 लाख लेकर	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 29.09. 20

में आगे किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर काफी निर्णायक माना जाता है। राज्य की 34 फीसदी आबादी आदिवासी है और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहती हैं। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में बिना आदिवासी वोटर के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव में जो इन 29 आरक्षित सीटें में से 17 पर बीजेपी ने जीत

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
					पद का दुरूपयोग करना			
66	45/2020 15.01.20	उप सचिव छ0ग0 शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर स्थल-जगदलपुर जिला बस्तर	श्री अब्दुल हाशिम खान, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी, कार्यालय, जगदलपुर	योजना एवं सांख्यिकी विभाग	आय से अधिका संपति की जांच कराये जाने बावत्।	हसराज गौतम	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 29.09.20
67	735/2020 24.12.2020	विजय शंकर अग्रवाल आदित्य नगर दुर्ग स्थल-दुर्ग	श्री कृष्णकांत चौहान बाबू, सातवी बटालियन, भिलाई, जिला दुर्ग	गृह (पुलिस) विभाग	10 प्रतिशत ब्याज पर पैसे देने का गोरख धंधा एवं अवैध संपत्ति की जांच बावत्।	अन्यत्र	अप्रमाणित	सेनानी 7वी वाहिनी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षा उपरान्त नस्तीबद्ध 09.02.2021
68	**372/2020 22.07.2020**	श्री नवनीत राहुल शुक्ल, सी 402, अनंत इमेजिन, पुराना बस स्टैण्ड कोरबा स्थल-कोरबा	श्री पी0आर0 मिश्रा, मुख्य लेखाअधिकारी, नग पालिक निगम कोरबा, श्री म्यास, अहमद, तत्का0 कार्यपालन अभियंता एवं अन्य	नगर प्रशासन एवं विकास विभाग	भ्रष्टाचार की जांच हेतु कठित कमिटी से श्री म्यास अहमद को हटाने बावत्।	संजय दिनकर देवस्थले	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 30.09.2020
69	**179/2020 25/03/2016**	श्री नितिन भंसाली, पूर्व राष्ट्रीय संयाजक भारतीय युवा कांग्रेस स्थल-रायपुर	छ0ग0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग	प्री स्कूल किट की खरीदी में करोड़ों का घोटाला की जाच बावत्।	श्रीमती वैजन्तीमाला	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 30.09.2020
70	**2692020 17.062020**	गुमनाम स्थल भानुप्रतापपुर वन मण्डल	श्री देव लाल दुग्गा, परिक्षेत्रअधिकारी, श्री संतोष दुग्गा, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, दुर्गाकोन्दल	वन विभाग	अवैध वन की कटाई, शासकीय राशि का भ्रष्टाचार।	हंसराज गौतम	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 30.12.2020
71	205/2020 11.05.2020	बस ऑपरेटर प्रदेश स्तर स्थल रायपुर	परिवहन विभाग के अधिकारी गण	परिवहन विभाग	परिवहन विभाग में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने की शिकायत।	नितिन उपाध्याय	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 31.08.2020
72	159/2018 28.08.18	ईमरान अली भारतीय हितैष सवजन समाज पाटी छोटापारा रायपुर कोतवाली के पीछे स्थल रायगढ़	श्री शिवशंकर नाग खनिज अधिकारी, रायगढ़	खनिज विभाग	अनावेदक द्वारा 7-8 वर्ष की सेवा में ही अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में।	केशव नारायण आदित्य	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध शिका. क्र. 323/2015 के साथ नस्तीबद्ध
73	468/2020 31.08.2020	मनोज बेनेट दल्ली राजहरा, जिला बालोद छ0ग0 स्थल कुरानकापा, जिला मुंगेली	सरपंच, कुरानकापा जिला मुंगेली	पंचायत ग्रामीण विकास विभाग	सरपंच द्वारा भय दिखाकर रोड़ की भूमि पर खेती न करने दे एवं उक्त भूमि पर स्वयं द्वारा उपयोग संबंधित।	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक मुंगेली से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नस्तीबद्ध किया गया।
74	659/2020 24.11.2020	श्री ब्राहमानंद वैष्णव, प्रधान आरक्षक, जी0आर0पी0, बिलासपुर स्थल -बिलासपुर	मोहम्मद सलीम, देवेन्द्र श्रीवास, विकास पाण्डेय, विकास सिंग एवं अन्य कर्मच0री, जी0आर0पी0 बिलासपुर	प्रायवेट व्यक्ति/फर्म	गांजा ट्रेनों में पकड़कर बिकवाने की शिकायत	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक रेल से प्राप्त प्रतिवेदन के परीक्षणोपरान्त नस्तीबद्ध
75	375/2020 11.08.2020	अज्ञात स्थल -बिलासपुर	श्री विजय कुमार निगम, कर्मचारी, नान जिला जांजगीर	खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति	अवैध कमाई कर आय से अधिका संपत्ति अर्जित करने की शिकायत	रामकिंकर यादव	अप्रमाणित	नस्तीबद्ध दिनांक 28.108.2020
76	233/20202 21.05.2020	श्री भारत सिंह बैस, केऑफ अजय वर्मा, मकान नं. 21220 रामकुण्ड रायपुर स्थल-रायपुर	श्रीमती पुष्पा ठाकुर पति श्री चन्द्रकुमार ठाकुर, रामकुण्ड रायपुर	प्रायवेट व्यक्ति/फर्म	आवेदक निवासित कमकान को तोड़फोड़ कर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक कांकेर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् नस्तीबद्ध दिनांक 21.09.2020
77	522/2020 03.10.2020	श्री विजय कुमार वर्मा, वार्ड नम्बर-22 आमाखेरवा सेन्ट्रल हॉस्पिटल कॉलोनी, मनेन्द्रगढ़ स्थल-मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	सेबी हैदराबाद के 1 अंजली शर्मा, 2.उल्लास मधुकर जोगलेकर 3. रघुवीर सिंह 4. एस.के. मदान एवं अन्य	प्रायवेट व्यक्ति/फर्म	सहारा कम्पनी में फिक्स राशि नहीं मिने की शिकायत। अन्य	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक, कोरिया से प्राप्त प्रतिवेदन के परीक्षणोंपरान्त नस्तीबद्ध 28.12.2020
78	633/2019 29.08.2019	श्रीमती राजकुमार ध्रुव, पति जे.एल. ध्रुव ग्राम भटगांव थाना रुद्री, जिला धमतरी	संधज मिश्रा, सुशील मिश्रा एवं विपिन मिश्र	प्रायवेट व्यक्ति/फर्म	चेक में कुटरचना कर मिथ्या प्रकरण संस्थित कर अवैध रूप से रकम उगाही एवं	अनयत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के

दर्ज की। पिछली बार इन्हीं सीटों पर पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ था। हालांकि इस बार यह वोट बीजेपी के पाले में आया है, जिसकी एक बड़ी वजह विष्णुदेव साय रहे हैं।

2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 में से सर्वाधिक 71 सीटों पर कब्ज़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी और सरकार के पांच साल बहुत शांति से गुजारे।

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
		स्थल धमतरी			मानसिंक और आर्थिक प्रातड़ना			परीक्षणोपरान्त नस्तीबद्ध दिनांक 21.09.2020
79	398/2019 31.05.2019	श्री परमान्नद शर्मा, 340 एफसीआई कॉलोनी, विजय चौक, चंगोराभाठा रायपु स्थल-रायपुर	रविभूषण शर्मा तत्कालीन पूर्व मंत्री स्व0 हेमचंद यादव के तत्का0 निजी कार्यालय सहायक	प्रायवेट व्यक्ति/फर्म	पद का दुरूपयोग कर छल कपट धोखाधड़ी के माध्यम् से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करना	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक, रायपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् नस्तीबद्ध दिनांक 07.11. 2020
80	144/2020 26.02.2020	श्री सालिक राम सिन्हा, दुर्गा मंदिर के पास बांसपारा धमतरी स्थल-धमतरी	नरेन्द्र सेन एवं अन्य	प्रायवेट व्यक्ति एवं फर्म	अनावेदकों द्वारा फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग कर झूठे केश मे फंसाकर रकम उगाही का प्रयास	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक, धमतरी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नस्तीबद्ध दिनांक 29.09.2020
81	237/20220 22.05.2020	अज्ञातज स्थल बोदरी, बिलासपुर	श्री पाठक, पटवारी एवं लक्ष्मण सिदार, बिलासपुर	राजस्व विभाग	जमीन की हेराफेरी कर 35 करोड़ संपत्ति अर्जित करने की शिकायत।	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	प्राजां क्रमांक 18/18 के दिनांक 11.12.20 को नस्तीबद्ध
82	388/2019 29.05.2019	श्री हेमंत शर्मा बिलासपुर स्थल बोदी हल्का, बिलासपुर	श्री कृष्ण कुमार पाठक पटवारी, बोदरी हल्का, बिलासपुर	राजस्व विभाग	भ्रष्टाचार के माध्यम् से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत।	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	प्राजां क्रमांक 18/18 के दिनांक 11.12.20 को नस्तीबद्ध
83	150/2020 29.02.2020	श्री ढाल सिंह पिता रू सिंह ध्रुव, ग्राम भटगांव, थाना रूद्री, तह0 व जिला धमतरी स्थल-धमतरी	श्री रितेश कुमार दुआ निवासी भटगांव तहसील व जिला धमतरी	प्रायवेट व्यक्ति /फर्म	चेक में कूटरचना कर अवैध व मिथ्या प्रकरण संस्थित कर अवैध रूप से रकम उगाही।	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक धमतरी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त नस्तीबद्ध दिनांक 24.03.2021
84	4/2020 02.01.2020	श्री बबलू दास, वार्ड नं. 13 नामदेव कॉलोनी चिखलाकसा दल्ली राजहरा जिला बालोद	श्रीमती रबड़ी देवी ग्राम चिखलाकसा, वर्तमान निवास रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा एवं श्री आशीष जैन दल्ली राजहरा	प्रायवेट व्यक्ति/फर्म	इकरारनामा में 1100000/का मनी लॉड्रिंग/हवाला की शिकायत।	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक बालोद से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर नस्तीबद्ध दिनांक 2.09.2020
85	295/2020 01.07.2020	श्री नटवार बेरीवाल, निवासी-कोतरा रोड़, चुना भट्ठा के पास रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ स्थल-रायगढ़	श्री अरूण सोम तहसीलदार, रायगढ़	राजस्व विभाग	अवैध लाभ अजित कर मनमाने प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आदेश पारित करने की शिकायत।	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नस्तीबद्ध दिनांक 29.09.2020
86	77/2018	श्री वैद्य रमेश चन्द्र वरिष्ट टाईम्स समाचार पत्र बाई सागर पारा बैकुण्ठपुर, कोरिया स्थल- कोरिया	श्रीमती सोनिका उके डी0एस0पी0 एवं रविन्द्र अन्त कुमार निरीक्षक	गृह (पुलिस) विभाग	पुलिस विभाग द्वारा लाखों का जुआ पकड़कर उसे हजारों में बताया जाता है।	अन्यत्र	अप्रमाणित	पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् नस्तीबद्ध दिनांक 29.10.2020
87	194/20 25.04.2020	श्री लक्ष्मी कश्यप, वास्ते मुकावन दास कश्यप कृष्णा नगर, संतोषी नगर, टिकरापारा रायपुर स्थल - रायपुर	श्री गोवर्धन धनगर, महादेव धनगर, आत्माराम धनगर, सभी पिता स्व0 श्री चमरू धनगर, बोरियाखुर्द, रायपुर एवं अन्य	प्रायवेट व्यक्ति/फर्म	झूठी शिकायत एवं फर्जी एफआईआर की शिकायत।	अन्यत्र	अप्रमाणित	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नस्तीबद्ध दिनांक 29.09. 2020
88	72/2020	अनुजा देशमुख, प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	उदम माईक्रो फाईनेंस स्माल बैंक	श्रम विभाग	रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 500 रूपये जमा करवाने की जॉच।	अन्यत्र	अप्रमाणित	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा उपरान्त नस्तीबद्ध दिनांक 10.02.2021
89	439/2020 19.08.2020	केशव शरण वैष्णव, तिल्दा नेवरा, रायपुर स्थल-रायपुर	इंडसइंडबैंक शाखा तिल्दा के अधिकारी/कर्मचारीगण	बैंकिग संस्था (स्वतंत्र) संस्था	बैंक अभिलेखों में फेरबदल कर धोखाधड़ी की शिकायत	अन्यत्र	अप्रमाणित	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा उपरान्त नस्तीबद्ध दिनांक 05.
90	538/2015	अज्ञात स्थल-रायपुर	एच.के. वर्मा डी.सी.ई.ई. छ0ग0 हाउसिंग बोर्ड	आवास एवं पर्यावरण विभाग छ0ग0	आय से अधिक संपत्ति की जांच	पुलिस अधीक्षक एसीबी	अप्रमाणित	शि क्र. 374/15 के साथ नस्तीबद्ध दिनांक 03.11.2020
91	234/2017	विश्वनाथ सिंह ठाकुर,	हेमन्त वर्मा डिप्टी कमिश्नर,	आवास एवं	आय से अधिक संपत्ति	योगेश सिंह	अप्रमाणित	शिक्र 234/17

ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के चार दावेदारों भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू में से भूपेश बघेल की ताजपोशी ही बड़ी मुश्किल से हो पाई। बघेल सरकार ने न तो अच्छा शासन किया, न ही विचारधारा पर कायम रही। कांग्रेस ने एक ऐसा राज्य खो दिया जो आसानी से सत्ताधारियों को वोट नहीं देता। 2013 में माओवादी हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
	26.03.2017	कुदुदण्ड, रायपुर स्थल रायपुर	हाउसिंग बोर्ड	पर्यावरण विभाग (छ.ग. गृह निर्माण मण्डल)	अर्जित करने बाबत्।	साहू, उपुअ एसीबी		(490/17) नस्तीबद्ध दिनांक 03.11.2020
92	410/2019	संतोष परिहार पत्रकार खबर छ0ग0 बसंती बिहार कॉलोनी जोरापारा सीपत रोड़ सरकण्डा बिलासपुर 9300325301 स्थल- अंबिकापुर, सरगुजा रेंज	श्री समर बहादुर सिंह कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंबिकापुर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	भ्रष्टाचार के माध्यम् से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने बाबत्।	प्रमोद खेस	अप्रमाणित	शिका क्र 202/2016 के साथ संलग्न कर नस्तीबद्ध किया गया।
93	333/2016 24.03.2016	अज्ञात स्थल-जांजगीर	एन0आर0 जाटवर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अकलतरा जांजगीर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	आय अधिक सम्पत्ति अर्जित करने बाबत्।	सपन चौधरी	अप्रमाणित	शिका. क्र. 333/16 दिनांक 12.01.2021 को नस्तीबद्ध
94	439/2018 13.12.18	श्री कैलाश शर्मा, पं. रविशंकर वि. केम्पस के पास आमानाका बंगाली कॉलोनी द्वारा पुअ सीआई/एसीबी रायपुर स्थल-रायपुर	श्री हेमन्त कुमार वर्मा, अपर आयुक्त छ0ग0 गृह निर्माण मंडल नया रायपुर	आवास एवं र्प्यावरण विभाग (छ.ग. गृह निर्माण मण्डल)	आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने बाबत्	लम्बोदर पटेल	अप्रमाणित	शिका. 439/18 (05/19) नस्तीबद्ध दिनांक 03.11.2020
95	374/2015 27.03.2015	अज्ञात स्थल-रायपुर	एच.के. वर्मा, डी.सी. एण्ड ई. ई. संजय शुक्ला पूर्व कमिश्नर छ.ग.	आवास एवं पर्यावरण विभाग (छ.ग. गृह निर्माण मण्डल)	अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने बाबत्।	लम्बोदर पटेल	अप्रमाणित	शि.क्र. 374/15 (538/15) नस्तीबद्ध दिनांक 03.11.2020
96	323/2016	सहायता समूह जशपुर स्थल -जशपुर	टी.के. जाटवर जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जी.एस. चौहार बड़े बाबू महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर	महिला एवं बाल विकास विभाग	आय से अधिक संपत्ति अजित करने बाबत्।	प्रमोद खेस	अप्रमाणित	शि.क्र. 323/16 दिनांक 19.10.20.2020 को नस्तीबद्ध किया गया।
97	475/2020 01.09.2020	रामबाई पति युधिष्ठिर साव, ग्राम छुईपाली, सराईपाली, जिला महासमुन्द स्थल-सराईपाली, महासमुंद	प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक शाखा सराईपाली जिला महासमुन्द	जिला सहकारी बैंक (सहकारिता)	संबंधित बैंक द्वारा बिना सहखातेदार के अनुमति के बिना फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऋण स्वीकृत कर आरण करना।	अन्यत्र	अप्रमाणित	शि. मूलतः जाँच हेतु पुलिस अधीक्षक महासमुंद प्रेषित दिनांक 30.09. 2020 प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर नस्तीबद्ध।
98	476/2020 11.09.2020	इन्द्र मरकाम, समस्त क्षेत्रवासी थाना क्षेत्र स्थल-मेचका तहसील नगरी जिला धमतरी	थाना मेचका (सोंदूर) के कर्मचारी	गृह (पुलिस) विभाग	वाहन के पेपर्स न होने या ज्यादा सवार है। शराब पीकर गाड़ी चला रहे, वाहन जप्त कर बड़ी रकम की मांग करते हुए।	अन्यत्र	अप्रमाणित	शिका. मूलतः पु.अ. धमतरी को प्रेषित दिनांक 13.10.2020 जां. प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शिकायत नस्तीबद्ध।
99	490/2017 21.08.2017	श्री विश्वनाथ सिंह ठाकुर, कुदुदंड रायपुर स्थल - दुर्ग रायपुर	श्री हेमन्त कुमार वर्मा पिता सीताराम डिप्टी कमिश्नर, हाउसिंग बोर्ड फंडा, पाटन के पास दुर्ग	गृह विभाग	आय से अधिक संपत्ति की जांच	पुलिस अधीक्षक एसीबी	अप्रमाणित	शिकायत 234/17 के साथ नस्तीबद्ध दिनांक 03.11.2020
100	36/2019 18.01.2019	श्री कैलाश शुक्ला, रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय केम्पस के पास आमानाका रायपुर स्थल रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय केम्पस के पास आमानाका रायपुर	हेमंत कुमार वर्मा, अपर आयुक्त , छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन नया रायपुर।	आवास एवं पर्यावरण विभाग (छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल)	अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के संबंध में।	लम्बोदर पटेल	अप्रमाणित	शिकायत 439/18 के साथ नस्तीबद्ध दिनांक 03.11.2020
101	314/2020 01.07.2020	राजेश्वर चौधरी, सेक्टर 7 भिलाई स्थल-रायपुर	नारंग एवं गगन वासन	नगर पंचायत (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)	अमृत मिशन अंतर्गत चल रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।	एन.डी. साहू	अप्रमाणित	शिकायत क्रम-314/2020 व 315/2020 दिनांक 19. 10.2020 को नस्तीबद्ध किया गया।
102	83/2018	सियाराम साहू, म.नं. 62 नेहरू चौक गुढ़ियारी, रायपुर	श्याम सुन्दरराव आरक्षक सुरक्षा बल रायपुर	गृह (पुलिस) विभाग	अनावेदक द्वारा लोगों को लोक आयोग का डीएसपी	पुलिस अधीक्षक	अप्रमाणित	शिकायत क्रमांक 11/2014 संलग्न।

का सफाया होने तक भूपेश बघेल को राज्य के भीतर भी मुश्किल से ही जाना जाता था। हालाँकि उनके अनुभव की कमी और दूरदर्शिता की पूर्ण अनुपस्थिति का मतलब था कि कांग्रेस धान खरीद मूल्य बढ़ाने के अलावा कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने में विफल रही। इससे भी बुरी बात यह है कि बुनियादी प्रशासन को भी नुकसान उठाना पड़ा। पिछली भाजपा सरकार के कट्टर

क्रमांक	शिकायत क्रमांक	आवेदक	अनावेदक	विभाग	संक्षिप्त विवरण	विवेचना अधिकारी	स्थिति	संक्षिप्त निष्कर्ष
		स्थल -रायपुर			धताकर अवैध रूप से वसूली कर करोड़ो रूपये की चल अचलन संपत्ति अर्जित करना।	एसीबी		
103	214/2016 23.03.2016	राम सिंह, अध्यक्ष भ्रष्टाचार निवारण समिति रायपुर स्थल- गरियाबंद	आर.सी. मेश्राम सहायक वन संरक्षक वन विभाग गरियाबंद	वन विभाग	आय अधिक सम्पत्ति अर्जित करने बाबत्।	लम्बोदर पटेल	अप्रमाणित	शिकायत क्रमा-214/2016 के साथ आर -181/2013 आर 217/2016 आर 78/2016
104	316/2020 03.07.2020	संजय भास्कर, दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर छ0ग0 स्थल-रायपुर	गगन वासन डेपुटी प्रोजेक्ट मैनेजर	नगर पंचायत (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)	गगन वासन के भ्रष्ट कारनामों से करोड़ो की राशि के उगाही एवं वसूली के संबंध में।	एनडी साहू	अप्रमाणित	शि.क्र. 316/20 दिनांक 19.10.2020 को नस्तीबद्ध किया गया।
105	333/2020 13.07.2020	एस0एस0 सिंह, सहायक संचालक कृषि एवं अन्य बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया स्थल-बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया	श्री भास्कर प्रसाद तिवारी सहायक ग्रेड-02 कार्यालय उप संचालक कृषि, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	कृषि विभाग	भ्रष्आचार कर आय से ज्यादा संपति अर्जित करने के संबंध में।	प्रमोद खेस	अप्रमाणित	शि. 810/19 में संलग्न। नस्तीबद्ध दिनांक 09.02. 21
106	157/2015 30.06.2015	सुभाष पाण्डेय रायगढ़ स्थल-रायगढ़	बी0आर0 साहू, सहायक अभियंता, नगर निगम रायगढ़	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	भ्रष्टाचार के माध्यम् से असमानुपातिक चल अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	शिकायत जांच अप्रमाणित पाये जाने से शिकायत नस्तीबद्ध किया गया।
107	448/2019 20.06.2019	अज्ञात (एक पीड़ित) स्थल-बलरामपुर	श्री बसंत गुलेरी, लेखा अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	रिश्वत मांगने, विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों के नाम पर पैसों की उगाही करने तथा भ्रष्टाचार	अजितेश सिंह	अप्रमाणित	शिकायत जांच अप्रमाणित पाये जाने नस्तीबद्ध किया गया।
108	316/2015	जे0आर0 सोनी सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर स्थल- राजनांदगांव	कमल साहू, उप अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	जल संसाधन विभाग	आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने बाबत्।	मनोज तम्बोली	अप्रमाणित	शिकायत जांच अप्रमाणित पाये जाने से शिकायत नस्तीबद्ध किया गया।
109	128/2020 17/02/2020	श्री एस0के0 कुंजाम यदुनंदननगर पानी टंकी के पास, बिलासपुर स्थल-बिलासपुर	श्री हरमन खलको, संयुक्त संचालक, समाज कल्याण	समाज कल्याण विभाग	आय से अधिक संपत्ति की शिकायत	सपन चौधरी	अप्रमाणित	शिकायत दिनांक 10.02. 2021 को नस्तीबद्ध किया गया।
110	98/2021 03.02.2021	श्री रामनंद देवांगन, रेल्वे स्टेशन के पास, रायपुर छ. ग. स्थल रायपुर	एसीबी के विवेचकों के विरूद्ध	एन्टी करप्शन ब्यूरो	न्यायालय में चालान पेश नहीं करने के संबंध में	विक्रांत राही	अप्रमाणित	शिकायत नस्तीबद्ध किया गया।
111	786/2019 11.11.2019	श्री अमित घोष, अध्यक्ष युवा, कांग्रेस, महंत लक्ष्मीनारायण दास ब्लॉक, शंकर नगर रायपुर स्थल-रायपुर	तत्का0 अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता व एसडीओ जल संसाधन विभाग महानदी परियोजना	जल संसाधन विभाग	वर्ष 2017-18 में जल संसाधन विभाग महानदी परियोजना में निविदाओं में व्यापक स्तर का गोलमाल ।	रामकिंकर यादव	अप्रमाणित	शिकायत ब्यूरो जांच के स्तर का नहीं होने से नस्तीबद्ध दिनांक 11.11. 2019
112	205/2021	रितेश डोंगरे सहायक प्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर स्थल-रायपुर	अज्ञात	बैंकिंग संस्था(स्वतंत्र) संस्था	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नाम का दुरूपयोग कर आम जनता से ठगी करने के संबंध में।	पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू-1	अप्रमाणित	समस्त विवेचकों को अवगत कराया गया। नस्तीबद्ध दिनांक 12.05. 21

आरिफ शेख आईपीएस ने जो पांच साल दमन, अत्याचार, भ्रष्टाचार का चक्रभूपेश बघेल एवं अन्य चौकड़ियों के सहयोग से चलाया, उसका गवाह पूरा छत्तीसगढ़ है। इस अधिकारी ने न अपने आईपीएस होने का मान रखा, न ही अपनी वर्दी का सम्मान किया। हर मामले में इन्होंने All India Services (Conduct) Rules, 1968 की कंडिकाओं के विपरित पालन किया। यह सब पर्याप्त है कि विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार तुरंत इस भ्रष्ट आरिफ शेख को नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेजना चाहिए। अगर इस बार भाजपा सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करके अभयदान देती है तो इसका खामियाजा उनको ही निकट भविष्य में झेलना पड़ेगा। मैं और मेरी पत्रिका जगत विज़न ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ताउम्र लड़ती रहूंगी। खैर, सरकार से इनके जैसे छत्तीसगढ़ महतारी लूटने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई कदम नही उठाती तो आखरी रास्ता न्यायालय का ही होगा।

विरोधियों को यह कहते रहे कि इससे तो रमन सिंह की सरकार अच्छी थी। पिछले मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार इससे बेहतर थी। किसानों के हितों के बारे में उनकी सहज समझ के अलावा, जो कि एक बड़े जमींदार किसान के रूप में उनकी पृष्ठभूमि से उपजी थी, यह कभी स्पष्ट नहीं था कि भूपेश बघेल किस लिए खड़े हैं। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा से आगे

4. अनिल टुटेजा -

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और बहुचर्चित 36 हजार करोड के नान घोटाले के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा के खिलाफ पर्याप्त सबूत और साक्ष्य मौजूद होने के बाद अब भी भूपेश बघेल ने इनको सत्ता का शिरोधारी बनाकर रखा। यह प्रकरण माननीय जज लीना अग्रवाल की अदालत में चल रहा है। फिलहाल अनिल टुटेजा बेल पर हैं। आरोपी छत्तीसगढ़ शासन के एक सशक्त पद पर विराजमान रहा है। जहां से वह सरकार से प्राप्त शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहा था। गिरिश शर्मा नान घोटाले के मुख्य गवाह हैं, जो नान घोटाले के अहम सूत्रधार रहे हैं। इनके पास ईओडब्ल्यू ने 20 लाख रूपये बरामद किये और बाद में गिरिश शर्मा को मुख्य गवाह बना लिया गया, जो कि एक तरह से सही भी था। क्योंकि विवेचना में बड़े मगरमच्छ को पकड़ने के लिये छोटी मछलियों को छोड़ना जरूरी था। इनके मुख्य गवाह बनने के मामले में अनिल टुटेजा के वकीलों ने कोर्ट में आपत्ति भी जताई थी और कहा इस मामले में ईओडब्ल्यू आरोपी को गवाह कैसे बना सकते हैं। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि गिरिश शर्मा, अरविंद ध्रुव और जीतराम यादव नान में पदस्थ थे और वहां के जिम्मेदार अधिकारियों के कहने पर काम करते थे। कोर्ट ने यह भी माना था कि वे प्रकरण में साक्ष्य की महत्वपूर्ण कड़िया हैं। यदि उन्हें आरोपी बनाया जाता है तो अपराध की महत्वपूर्ण कडियां विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए उन्हें आरोपी नही बनाया जा सकता।

एक और महत्वपूर्ण घटना संज्ञान में लाना बहुत आवश्यक है। भारत के विवेचना के संपूर्ण इतिहास में किसी मामले में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब गवाह पर पोस्ट फैक्टियों आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही की गई और करीब चार साल पहले बरामद रकम भी इस मामले के माध्यम से उसी व्यक्ति के मथ्थे मारने की कोशिश की गई है। गिरिश शर्मा जिनके पास से ईओडब्ल्यू ने नान घोटालो के छापे में 20 लाख रुपये बरामद किये और इसी से संबंधित कोर्ट में उन्होंने बयान दिया कि यह पैसा अनिल टुटेजा का है। अब इस बयान के 6-8 महीने बाद ईओडब्ल्यू द्वारा पोस्ट फैक्टियों केस दर्ज कराना संदिग्ध दिखता है। सूत्रों के अनुसार जिसकी पुष्टि नही हो पाई है। ऐसी जानकारी मिली है कि ईओडब्ल्यू ने जब विवेचना प्रारंभ की तो गिरिश शर्मा की आय से अधिक संपत्ति 10 प्रतिशत से काफी कम पाई गई। उस समय किसी महाशय के दबाव से आय से अधिक संपत्ति काफी बढ़ाकर 30 से 35 प्रतिशत का मामला बनाया गया। इसके बाद कोई महाशय और दबाव बनवाकर इसको 150 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति करने की जुगत में लगा हुआ है। ताकि सिम्बोलिक तौर पर 5 साल पुराने ईओडब्ल्यू द्वारा जप्त किये हुये 20 लाख रुपये भी गिरिश शर्मा के दिखे। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भूपेश बघेल के पांच सालों के राज में अनिल टुटेजा की प्रदेश में एक तरफा चली है। शराब का पूरा कार्टेल इनके कहने से चलता था। इनको भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय कौल साहब ने राहत दे रखी है, पर माननीय जज दिनांक 25-12-23 को रिटायर हो चुके हैं। सरकार के बदलने से छत्तीसगढ़ महतारी से लूट करने वाले अनिल टुटेजा और उनके पुत्र पर निश्चित तौर पर अब शिकंजा कसना चाहिए। नान के बाद शराब और भूपेश बघेल के साथ भ्रष्टाचार में डूबे पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के धनबल के बाद भी अब सरकार को इनको जेल भेजना चाहिए।

निकलने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय विचारधारा के लिए जगह का विस्तार किया। राज्य में महज 2 फीसदी मुस्लिम आबादी है। फिर भी मैदानी इलाकों में हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे। सांप्रदायिक हिंसा के सामने, बघेल ने चुप्पी बनाए रखी या हिंदुत्व की भाषा बोली, जिससे प्रभावी रूप से भाजपा को बढ़त मिली। छत्तीसगढ़ में, कम से कम आदिवासी क्षेत्रों में सरकार के

5. आनन्द छाबड़ा -

आनन्द छाबड़ा छत्तीसगढ़ के भूपेश के कुशासन राज के दौरान उनके सबसे खास सिपहसलाहकार में रहे हैं। इन 5 सालों में आईपीएस आनन्द छाबड़ा का जैसे मन आया वैसे काम किया जिसमें प्रमुख है विपक्षी दल भाजपा के नेताओं और सरकार के गलत कामों के विरूद्ध लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ षडयंत्र रचना महत्वपूर्ण रहा है। यह वही अधिकारी है जिसके ऊपर पत्रकार सुनील नामदेव को हिरासत में सेनेटाईजर पिलाने का भी इल्जाम लगा था। भाजपा के छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय इंचार्ज नरेश चन्द्र गुप्ता दिनांक 11 जुलाई 2023 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 48 पन्नों का बड़ा विस्तृत पत्र लिखा जिसमें आनंद छाबड़ा आईपीएस को चुनाव संबंधी सभी कामों से हटाने बावत था। इस पत्र में भाजपा के तरफ से आनंद छाबड़ा के ऊपर छत्तीसगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी सिंडिकेट का प्रमुख अंग एवं काँग्रेस के विस्तारित भुजा के रूप में काम करने का आरोप तथ्यों के साथ लगाया गया। इसके साथ ही अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया कि आनन्द छाबड़ा जोकि आईजी रायपुर, आईजी दुर्ग के साथ आईजी गुप्त वार्ता के पदों में रहे हैं, जबकि प्रदेश में कोयला, शराब और महादेव सट्टा जैसे महत्वपूर्ण घोटालों की पूरी जानकारी गुप्त वार्ता शाखा को रही होगी। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं और

नेताओं जैसे गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ झूठा मुकदमा आईपीएस आनंद छाबड़ा द्वारा करवाया गया था। भूपेश बघेल को बचाने के लिए उनके खिलाफ जो अश्लील सीडी का मामला है उस पर एक झूठी एफ आईआर क्रमांक 386/19 पुलिस थाना सिविल लाईन रायपुर और तेलीबांदा थाने में इस मामले से जुड़े मुख्य गवाहों/शिकायतकर्ता के खिलाफ आनंद छाबड़ा ने रायपुर आईजी रहते हुये किया था। केन्द्र सरकार की आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की टीम जोकि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचारों को लेकर अपना काम कर रहे थे, उनकी नाकाबंदी और जासूसी करने के लिए एक हजार पुलिस वाले सादी वर्दी पर तैनात किये गये। दो सालों तक यही सिलसिला प्रदेश में आनंद छाबड़ा द्वारा चलाया गया। जब ईडी ने भिलाई स्थित त्रिलोक ढिल्लन के घर रेड मारी तब प्रवर्तन निदेशालय की टीम के ऊपर ड्रोन द्वारा निगरानी की गई जिसकी जानकारी ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी किया था। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश और आसाम के चुनाव के लिए पुलिस गाड़ियों में इलेक्शन फंड भेजे गये ऐसी शिकायत भाजपा द्वारा की गई थी। असम

खिलाफ तीव्र गुस्सा था। आदिवासी मतदाताओं को उस पार्टी से निराशा महसूस हुई, जिसने उनके जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा के बारे में बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन इसके बजाय, खनन को बढ़ने दिया। बघेल सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार या पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों को पारित किया लेकिन केवल हल्के रूप में। मैदानी इलाकों

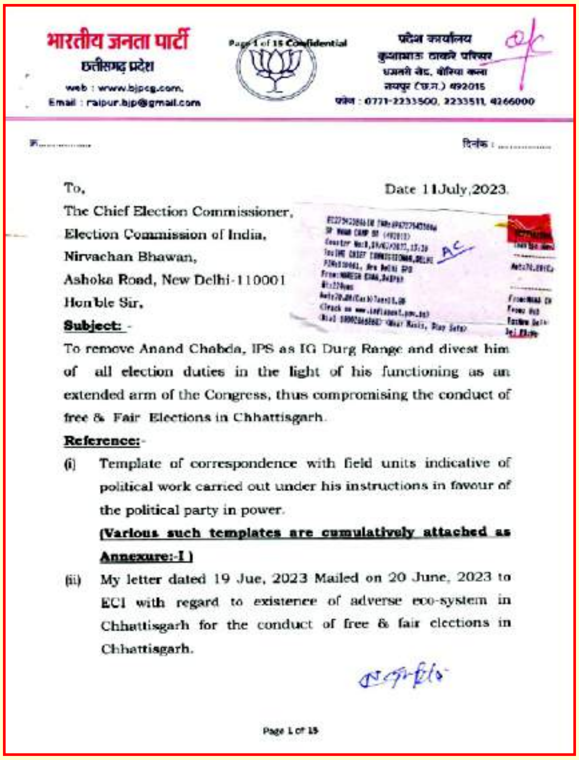

भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ प्रदेश
web : www.bjpcg.com,
Email : raipur.bjp@gmail.com

Page 1 of 15 Confidential

प्रदेश कार्यालय
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर
धमतरी रोड, बोरिया कला
रायपुर (छ.ग.) 492015
फोन : 0771-2233500, 2233511, 4266000

क्र.......... दिनांक : ....

To, Date 11July,2023.

The Chief Election Commissioner,
Election Commission of India,
Nirvachan Bhawan,
Ashoka Road, New Delhi-110001

Hon'ble Sir,

Subject: -

To remove Anand Chabda, IPS as IG Durg Range and divest him of all election duties in the light of his functioning as an extended arm of the Congress, thus compromising the conduct of free & Fair Elections in Chhattisgarh.

Reference:-

(i) Template of correspondence with field units indicative of political work carried out under his instructions in favour of the political party in power.
(Various such templates are cumulatively attached as Annexure:-I)

(ii) My letter dated 19 Jue, 2023 Mailed on 20 June, 2023 to ECI with regard to existence of adverse eco-system in Chhattisgarh for the conduct of free & fair elections in Chhattisgarh.

Page 1 of 15

Page 15 of 15 Confidential

12. **Prayer:**
   i. Anand Chabda, IPS, should be immediately removed from the post of IG Durg Range and kept away from the election process under the keen eyes of the Election Commission of India.
   ii. During the election process Chief Secretary, Chhattisgarh to be instructed to keep his activities under surveillance.

Anticipating a reply from your end with regard to the directions given by you and action taken report in Public interest

Yours faithfully,

(Naresh Chander Gupta)
State Office Inchrage-BJP Chhattisgarh
8, Vivekanand Nagar, Raipur-492001
Chhattisgarh Mob: 9425203002
Mail id: abhishekguptaji@gmail.com

Enclosed:

i. Annexure:-I Document related to survey being conducted by policemen under his instruction.

Page 15 of 15

भाजपा द्वारा आईपीएस आनंद छाबड़ा के भ्रष्टाचार एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रचने की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त से की

चुनावों को लेकर ऐसे ही के ऐसे भ्रष्टाचार संबंधी आरोप तब भाजपा ने लगाये थे। भाजपा गोंडवाना गड़तंत्र पार्टी एवं अन्य पार्टियों का चुनावी स्टेटजी और उनके खिलाफ गोपनीय रिपोर्ट बनवाने का आरोप भी आनंद छाबड़ा पर लगाये गये है। आनंद छाबड़ा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों की टीम जिसमें प्रदीप सौरभ, अजय झा और यशवंत सिंह थे, उन्होंने एक रिपोर्ट छत्तीसगढ को लेकर बनाई थी जिसमें पुलिस द्वारा कैसे षडयंत्रपूर्वक पत्रकाल सुनील नामदेव को गिरफ्तार किया गया एवं पूर्व में भी सुनील नामदेव द्वारा आनंद छाबड़ा को लेकर मानव अधिकार आयोग एवं अन्य संगठनों को आनंद छाबड़ा के खिलाफ पत्र लिखा गया जिसमें कस्टडी में उनको सेनेटाईजर पिलाने जैसे गंभीर किस्म के आरोप भी लगाये गये थे।

बड़ा सवाल यह है कि जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ में आनंद छाबड़ा आईपीएस द्वारा इतने षडयंत्र एवं बर्बरता की गई ऐसे कदाचारी पुलिस अधिकारी को वही पार्टी अभयदान कैसे दे सकती है। इस अधिकारी ने अब पासा लगभग पलट लिया है। भाजपा द्वारा स्वयं ऐसे अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार, अत्याचार, दमन एवं बर्बरता की शिकायती पत्र के बाद क्यों और किस कारण से आईपीएस आनंद छाबड़ा को माफी दे रही है।

में किसानों ने धान की बढ़ी हुई खरीद कीमत की सराहना की लेकिन भाजपा द्वारा इससे भी अधिक कीमत की मोदी गारंटी की घोषणा के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई अन्य कारण नहीं बचा है। मतदाता सरकारों को खत्म करने में धीमे हैं। भाजपा राज्य में लगातार तीन बार सत्ता पर काबिज रही, लेकिन कांग्रेस ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 68 सीटें जीतकर उसे भारी

6. अनवर ढेबर

अनवर ढेबर रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं। साथ-साथ भूपेश बघेल की चौकड़ी के खास मेंबर हैं। वह जमीन कारोबारी हैं। उन पर आरोप है कि वो छत्तीसगढ़ के शराब सिडिंकेट के मुखिया हैं। ईडी के आरोप पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रु पये के शराब घोटाले के मास्टर माइंड अनवर ढेबर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के करीबी अफसर IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करते थे। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर, 2022 को PMLA Act के तहत मामला दर्ज किया। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने अब तक की जांच, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्रकिया। किस तरह एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के ज़रिये आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। साल 2017 में अच्छे मकसद से आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद ईडी के मुताबिक शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरु णपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्तकराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ। भाग A के तहत CSMCL के MD अरूणपति त्रिपाठी को अपने पसंद के डिस्टिलर की शराब को परमिट करना था, जो रिश्वत-कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए थे। देशी शराब के एक केस पर 75 रूपये तक का कमीशन दिया जाता था, जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर और सप्लायर से कमीशन लेकर एक्सेल शीट तैयार करते, किससे कितना कमीशन आया, उसे अनवर ढेबर को दिया जाता था। भाग ए के तहत अनवर ढेबर और अरूणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने देशी शराब और अंग्रेजी शराब ब्रांड के होलोग्राम बनाकर बेहिसाब शराब CSMCL की दुकानों में बेचीं, जिससे सीधे तौर से राजस्व की राज्य को हानी हुई। भाग C में डिस्टिलर और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन शामिल है। आपराधिक सिंडिकेट के ज़रिये CSMCL की दुकानों में सिर्फ तीन ग्रुप की शराब बेची जाती थीं, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52 प्रतिशत, भाटिया ग्रुप की 30 प्रतिशत और वेलकम ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। रायपुर एजाज ढेबर के कारोबारी भाई अनवर ढेबर, CSMCL के MD रहे अरूणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरविन्द सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो जेल में हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कौल ने शराब मामले में राहत दी हुई है पर जस्टिस कौल 25 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश की इतनी बड़ी हानि करने वालों के खिलाफ नई भाजपा सरकार त्वरित एक्शन जरूर लेगी।

बहुमत से उखाड़ फेंका। 2018 की जीत के पैमाने को देखते हुए, यह व्यापक रूप से माना गया था कि कांग्रेस आधे-अधूरे के आंकड़े को पार कर जाएगी, भले ही सत्ता विरोधी लहर ने उसकी जीत का अंतर कम कर दिया हो। फिर भी वह हार गई और भाजपा को राज्य में अब तक की सबसे बड़ी जीत सौंपी।

छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा

7. सूर्यकांत तिवारी

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज में सूर्यकांत तिवारी की हैसियत और ताकत का अंदाजा आर लग जाना चाहिए था कि उनके बीमार होने पर भूपेश बघेल तुरंत सूर्यकांत को अस्पताल देखने चले गए। छत्तीसगढ़ के अवैध कोल लेवी टैक्स घोटाला के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सूर्यकांत तिवारी ही थे जो की पूरा अवैध घोटाले की पूरा ऑपरेशंस देखता था। छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कोड़ीगुड़ी ग्रामीण थाना में केस दर्ज किया गया था। सूर्यकांत के खिलाफ केस IPC की धारा 186, 204, 120-ए तथा 353 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह मामला 30 जून 2022 का है, जब आयकर विभाग की टीम उससे पूछताछ करने शेरेटन ग्रांड होटल पहुंची थी। होटल के कमरा नंबर 664 में ठहरे सूर्यकांत ने टीम को देखते ही कुछ कागज खा लिया और भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और अपने आई-फोन को तोड़कर कमोड में बहाने की कोशिश की थी। इसके अतिरिक्त कुछ दस्तावेज भी नष्ट कर कमोड में बहा दिए थे। इसके बाद आयकर टीम ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए। इसी मामले को लेकर आयकर अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

इस एफआईआर कुछ माह पूर्व उनके उपर आईटी की रेड पड़ी थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस घोटाले की सारी कड़ियां खुल गई थी। खैर इसके कोयला घोटाला और उससे जरूरी सारे खुलासे मैने 2020-21 में ही कर दिया था। लोगों का कहना यह है कि सूर्यकांत काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा था। शुरूआत में सूर्यकांत छात्र राजनीति में सक्रिय था। जिसके बाद उसे एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बनाया गया।

सूर्यकांत तिवारी कांग्रेस के कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल के समय से कांग्रेस से जुड़ा। उस दौरान से सूर्यकांत लगातार कांग्रेस से जुड़ा रहा लेकिन उसे पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं मिला। उसके बाद कभी राजनीति में एक्टिव नहीं रहा और व्यापार की दुनिया में कदम रखा। प्रदेश में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। सूर्यकांत भाजपा के साथ सिर्फ व्यवहारिक संबंध थे। प्रदेश के कई शहरों में इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इसके भाजपा ने दावा किया कि जिनके यहां आईटी की रेड पड़ी है वह कांग्रेस नेताओं के करीबी हैं। इस बीच कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का नाम भी सामने आया। महासमुंद निवासी इस कारोबारी के अलग-अलग ठिकानों में पड़ी आईटी की रेड में करोड़ों के बेनामी लेन-देन के सबूत मिले।

सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य अधिकारियों के यहां छापे के बाद आयकर विभाग ने कहा था कि 9.5 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी और लगभग 5 करोड़ रुपये आभूषण जब्त किया गया। 200 करोड़ रुपये से अधिक के कलेक्शन के सबूत मिलने की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक आईटी के हाथ राजनीतिक फंडिग के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज लगे थे। जिसके बाद ईडी ने राज्य के कई जिलों में दबिश दी। जिसमें सूर्यकांत तिवारी, महासमुंद में रहने वाले उनके ससुर और कांग्रेस के पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर के अलावा अन्य रिश्तेदारों, रायगढ़ कलेक्टर और IAS अफसर रानू साहू, जेपी मौर्य, समीर विश्नोई, बादल मक्कड़, सनी लुनिया, अजय नायर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इसके बाद इनमे से लगभग सभी की गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई थी। अब बड़ा सवाल यह है की भूपेश सरकार का अहम राजदार पर क्या यह नई भाजपा सरकार कोई कार्यावही करेगी। ईडी के बाद क्या राज्य सरकार भी छत्तीसगढ़ को लूटने वाले ऐसे लोगों सजा दिलवा पाएगी। इसका जावाब तो आने वाला समय ही दे सकता है।

सीटों में से कांग्रेस ने पिछली बार 68 सीटें जीत कर सरकार बनाई थी। आदिवासी बहुल बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी जबकि इस बार मात्र 3 सीटों पर ही उसके प्रत्याशी चुनाव जीत सके। दूसरे आदिवासी बहुल सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी जबकि इस बार सभी सीटें कांग्रेस ने गंवा दी

मौजूदा साय सरकार के सामने चुनौतियां

छत्तीसगढ़ में भाजपा ने भारी बहुमत के साथ सरकार बना ली है। सरकार बनते ही अब सरकार के सामने कई चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। जिनमें प्रमुख हैं- भारी कर्ज के बोझ तले दबा प्रदेश, भ्रष्टाचार में डूबा छत्तीसगढ़, बेरोजगारी ने युवाओं के सपने तोड़े, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश, घपले-घोटालों और घोटालेबाजों से निपटना, किसानों का मारा गया हक, कमीशनखोरी-रिश्वतखोरी में जकड़ा राज्य। यह ऐसे मामले हैं, जिनसे आगामी समय में साय सरकार को सामना करना है। यह प्रमुख चुनौतियां हैं जो पिछले पांच साल में भूपेश सरकार के दौरान प्रदेश के अंदर पनपी हैं। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि सब जानते हैं कि प्रदेश में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है वह प्रदेश के सामने खड़ी चुनौतियों से निजात पाने के लिए ही हुआ है।

छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों, महिलाओं और गरीबों से कई बड़े वादे किए हैं। राज्य में जीत के लिए जमकर लोकलुभावन वादे किए, जिनमें कुछ मुफ्त वाली योजनाएं भी शामिल हैं। पार्टी ने जनता से वादा किया है कि सरकार बनने पर किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदी जाएगी और किसानों को एक क्विंटल धान के लिए 31 सौ रूपये दिये जाएंगे, महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक लाख शासकीय पदों पर भर्ती की जाएगी। भाजपा ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने, प्रति बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण पर 5500 रुपये और अतिरिक्त संग्रहण पर 4500 रुपये तक बोनस दिये जाने का वादा किया है। भाजपा के घोषणा-पत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 10 हजार रुपये सालाना देने और 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा का भी वादा किया गया है। भाजपा के घोषणा-पत्र में यूपीएससी की तर्ज पर सीजीपीएससी की परीक्षा लेने, युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देने, गरीब घर में बालिकाओं के जन्म पर एक लाख 50 हजार रुपये का आश्वासन प्रमाण-पत्र देने, गरीब परिवारों की महिलाओं को पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर, कॉलेज जाने के लिए छात्रों को मासिक यात्रा भत्ता देने और प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला का दर्शन की व्यवस्था करने सहित कई अन्य लोकलुभावन वादे शामिल किये गये हैं। भाजपा द्वारा किए गए वादे, जिसे उसने **मोदी की गारंटी 2023** के रूप में प्रचारित किया था, ने उसके पक्ष में काम किया है।

साय सरकार के सामने आने वाले समय में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनका संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया जा रहा है।

हैं। यानी बस्तर और सरगुजा को मिलाकर कुल 26 सीटों में से कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। तीन करोड़ की आबादी वाले राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी लगभग 32 फीसदी, पिछड़ी जातियां 47 फीसदी और दलित लगभग 13 फीसदी हैं जिसमें विधानसभा की 29 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए और 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

1. भारी कर्ज के बोझ तले दबा प्रदेश

मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ पर 82,125 करोड़ रुपये का कर्ज था। अब इस कर्ज में और भी बढ़ोत्तरी हुई है। कर्ज के कारण सरकार हर महीने 460 करोड़ रुपये ब्याज चुका रही है। भूपेश सरकार ने यह कर्ज अलग-अलग संस्थाओं से कर्ज लिया है। जनवरी 2023 तक ही 4233 करोड़ रुपये का ब्याज के तौर पर भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि राज्य गठन के समय 01 नवंबर 2000 को 4686 करोड़ रुपये का कर्ज था। राज्य गठन से लेकर जनवरी 2023 तक सरकार ने एक लाख 5535 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। आपको बता दें कि जब 2018 के दौरान पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कुर्सी छोड़ी थी उस समय प्रदेश सरकार पर 41 हजार 695 रूपये का कर्ज था। लेकिन साल 2023 तक आते-आते यह कर्ज दोगुना से अधिक हो गया। जनवरी 2023 तक मूलधन के रूप में 28 हजार 96 करोड़

रुपये का भुगतान हो चुका है। प्रदेश पर 82,125 करोड़ रुपये का कर्ज बचा हुआ है। मौजूदा सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह इस कर्ज की अदायगी करे। जबकि प्रदेश सरकार को अपने चुनावी वादों को भी पूरा करना है। इसके साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं को भी चालू रखना है। एक छोटे से प्रदेश के लिए इतना भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबे रहना बहुत मायने रखता है। पिछली सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण यह कर्ज और बढ़ता गया है। निश्चित तौर पर अब सरकार को आगे के खर्चे चलाने के लिए और कर्ज की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में सरकार पर और कर्ज बढ़ना लाजिमी है।

2. बीजेपी को अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए चाहिए 65 हजार करोड़

बीजेपी ने जनता से वादा किया है कि सरकार बनने पर किसानों

से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से 31 सौ रुपये में धान की खरीदी की जाएगी, महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12 हजार रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक लाख शासकीय पदों पर भर्ती की जाएगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। 5500 रुपये की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी होगी और 4500 रुपये तक बोनस दिए जाएंगे। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 10 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। 10 लाख रुपये तक मुफ्त उपचार का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के तर्ज पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की परीक्षा ली जाएगी। युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। गरीब घर में बालिकाओं के जन्म पर एक लाख 50 हजार रूपये का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, अगर भाजपा वादों को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे नहीं बढ़ी तो राज्य में भाजपा की लोकसभा चुनाव की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई घोषणाओं पर खर्च के अनुमानित राशि की बात करें तो भाजपा अपने धान खरीदी के वादों के अनुसार 45,000 करोड़ की राशि का खर्च आएगा। किसान कर्जमाफी और बोनस में 5000 करोड़ रूपए, भूमिहीन खेतिहर मजदूर में 570 करोड़, रसोई गैस सब्सिडी में 1000 करोड़, महिलाओं को सहायता देने के मामले में 12000 करोड़, तेंदूपत्ता खरीदी व बोनस के मामले में 1300 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च इनकी घोषणा से आएगा। भाजपा को चुनाव में किए गए वोदों पर 64 हजार 870 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा।

कांग्रेस सरकार में सभी मंत्री लगभग शहरी सीटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे लेकिन इस बार शहरी सीटों पर कांग्रेस को लेकर जनता में खासी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं ऐसी रहीं जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। दूसरी ओर भाजपा तमाम वादों के साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में भी सफल रही। शहरी सीटों पर

3. किसानों की समस्याएं सुलझाना बड़ी चुनौती

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक खुशहाली जिस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है वो हैं धान उत्पादक किसान। कुछ बरस पहले कमजोर समर्थन मूल्य, कर्ज की भारी मात्रा तथा प्रोत्साहन के अभाव के चलते किसान धान से हटने लगे थे। धान फसल से हटने का मतलब है खेती से ही पीछे हटना क्योंकि यही परंपरागत फसल है। यही वजह है कि वर्ष 2018 में केवल 15 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा था। जिस तरह से किसानों को धान फसल से अरूचि हो रही थी और खेती किसानी घाटे का सौदा बनता जा रहा था। इस बात की आशंका बढ़ती जा रही थी कि ज्यादातर सीमांत किसान खेती किसानी छोड़ दें और शहरों में रोजगार के लिए पलायन कर दें। जिस प्रदेश की पहचान धान के कटोरे के नाम से है उस प्रदेश के किसान के हाथों में हँसिया न हो, यह कैसी विडंबना होती। प्रदेश में किसानों की वर्षो की समस्याएं हैं जिनसे निपटने और हल करने की चुनौती सरकार के सामने होगी। हालांकि बीजेपी सरकार ने हाल ही में सरकार ने एक गारंटी को पूरा किया है। किसानों को दो साल से लंबित 3716.38 करोड़ रुपये का धान का बोनस वितरित किया गया। रायपुर जिले के बेंद्री गांव में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोनस की राशि वितरित की। राज्य सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद शुरूकर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा की थी। बीजेपी ने कहा था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों के खाते में दो साल का बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा भी प्रदेश के किसानों की और कई समस्याएं है जिनका निराकरण होना शेष है।

4. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना

पिछले पांच साल में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हर विभाग का अपना माफिया तंत्र तैयार हो गया है। रेत से

लेकर पत्थर-कोयला-लोहा-गोठान आदि क्षेत्र के माफिया तो अजेय हो चुके हैं। विभागों में कार्य के लिए व्यवस्थित भ्रष्ट तंत्र बना हुआ है। प्रदेश की मशीनरी में भ्रष्टाचार किस कदर कायम है, इसका अंदाजा एसीबी और ईओडब्ल्यू के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इस बार का विधानसभा चुनाव भ्रष्टाचार बनाम गारंटी के बीच रहा। भाजपा ने भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर घेरा। भूपेश सरकार पर शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी भर्ती घोटाला, महादेव आनलाइन सट्टा एप को संरक्षण आदि का आरोप लगाये। भ्रष्टाचार का आलम ऐसा था कि राज्य सरकार ने गौठानों में एक गाय के लिए 40 लाख रुपये खर्च किए हैं और इसी तरह, एक गाय के लिए तीन चरवाहों को नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद गौठान योजना के तहत 1,134 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की बात स्वीकार की है, जबकि आवारा गायों की संख्या 3380 है, यानी एक गाय पर 40 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। राज्य सरकार ने मनरेगा, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, डीएमएफ और अन्य की राशि गौठानों पर खर्च की है। मनरेगा की 816 करोड़ रुपये की राशि गौठानों में खर्च की गई है और इसी तरह कई अन्य योजनाओं की राशि भी गौठानों में खर्च की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि गोधन न्याय

कांग्रेस की हार का एक कारण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार अहम मुद्दा रहा। कांग्रेस सरकार एक भ्रष्टाचारी सरकार है यह बताने में भाजपा सफल रही। जो आइटी-ईडी छापे पड़े वे इसे स्थापित भी करते हैं। मतदान से चंद रोज पहले महादेव बेटिंग ऐप के मामले ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में मंच से तीस टका भूपेश कका का

योजना 2020 में भूपेश बघेल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ऐसी कई योजनाएं है जिनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अब मौजूदा सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाती है। और इससे कैसे निपटती है।

5. ओबीसी का मुददा

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), जो राज्य की आबादी का लगभग 52 प्रतिशत है। 27 प्रतिशत कोटे की मांग कर रहा है। तीन प्रमुख ओबीसी समुदायों, साहू, कुर्मी और यादव ने 2018 के चुनावों में बड़े पैमाने पर कांग्रेस का समर्थन किया था। यह मुद्दा सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए उस समय चिंता का विषय बन गया जब पिछले साल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में समग्र कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के भाजपा सरकार के 2012 के आदेश को रद्द कर दिया। 2012 के आदेश में अनुसूचित जाति के लिए कोटा चार प्रतिशत घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया था। ओबीसी के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया था। कांग्रेस सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। बाद में राज्य विधानसभा में आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित किया गया जिसके तहत आदिवासी समुदाय को 32 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को चार प्रतिशत कोटा दिया गया। इससे राज्य में कुल मिलाकर 76 प्रतिशत आरक्षण

देने का प्रावधान है। दोनों विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। मई में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को 58 फीसदी आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया था।

6. पत्रकारों के हितों की रक्षा करना

पिछले पांच साल में छत्तीसगढ़ में पत्रकारों ने जो दंश झेला है वह

कभी भी किसी राज्य में नहीं झेला होगा। भूपेश सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी पर पूरी तरह से रोक थी। जो कोई भी सरकार से अनैतिक कामों को लेकर आवाज उठाता या प्रकाशित-प्रसारित करता उसे कानूनी प्रक्रिया से प्रताड़ित किया जाता था। मैं भी भूपेश सरकार के अत्याचारों से परेशान हुई हूं। मैंने अक्टूबर 2022 को 'क्या छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में चल रहा है प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा? शीर्षक से आवरण कथा जगत विजन पत्रिका में प्रकाशित की थी। इस पत्रिका में छत्तीसगढ़ में व्याप्त महादेव ऐप के भ्रष्टाचार को लेकर मैंने अंक प्रकाशित किया था। इसमें मैंने चंद्रभूषण वर्मा और विनोद वर्मा की संलिप्तता को लेकर प्रमुखता से छापा था। इसको लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस चार बार मेरे भोपाल स्थित निवास भी आई थी। अगर विनोद वर्मा को पत्रिका में छपे मेरे लेख से असंतोष होता तो उनको उस समय ही मानहानि करनी थी, पर उन्होंने ऐसा न करके पुलिसिया कार्यवाही का अवैध रास्ता अपनाया। महादेव ऐप को लेकर ईडी द्वारा कार्यवाही की गई जिसमे चंद्रभूषण वर्मा समेत तीन व्यक्तियों को जेल भेजा गया एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के दो ओएसडी एवं एक अन्य के खिलाफ छापा डाला गया है। दिनांक 24-08-23 को सुबह विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री

नारा दिया। पिछले चुनाव में सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार कैसे सभी 14 सीटें हार गई, आज भी यह आश्चर्यजनक प्रश्न बना हुआ है। सरगुजा संभाग के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव स्वयं अपनी सीट से हार गए। हारे हुए नौ मंत्रियों में सिंहदेव भी शामिल हैं। धान किसानों और छत्तीसगढ़ियावाद के भरोसे कांग्रेस के बहुमत हासिल करने के

राधिका खेरा के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय, राजीव भवन में सुबह 11.00 बजे प्रेस कांफ्रेंस ली गई। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार किसी लोकतांत्रिक मुद्दों पर छपने वाली पत्रिका 'जगत विजन' में प्रकाशित खबर को ईडी के इन छापों के साथ जोड़ा गया। मेरे को, मेरी पत्रिका को किसी पार्टी के साथ, किसी जांच एजेंसी के साथ जोड़ा गया। कांग्रेस दफ्तर से मेरे चरित्र पर आक्षेप लगाए गए, एवं भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार ने कानूनी (पुलिसिया) कार्यवाही एवं गिरफ्तार करने की धमकी सार्वजनिक रू प से दी। छत्तीसगढ़ में एक जंगल राज स्थापित हुआ है पिछले कुछ माह में करीब 15 पत्रकारों पर प्रदेश स्तर पर कार्यवाही हुई है एवं इनमें से काफी लोगों को जेल भी भेजा गया था। मेरे खुद के घर चार बार छत्तीसगढ़ पुलिस भेजी गई थी, एवं असंख्य फर्जी मामले मेरे खिलाफ दर्ज किए गए। महोदय मेरे नाम को ईडी की कार्यवाहियों से जोड़ना हास्यास्पद हैं क्योंकि उनकी कार्यवाही का बेस दुर्ग में दर्ज एक एफ आईआर है।

अब मौजूदा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह पत्रकारों को अपना खोया हुआ सम्मान और आजादी देकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचय देना है। प्रदेश में फिर से पत्रकार अपनी कलम के दम पर सरकार और समाज के बीच सेतु का कार्य कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद बीजेपी सरकार से की जा सकती है।

7. प्रमुख घोटालों पर कार्यवाही करना

प्रदेश में घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऑनलाईन सट्टा घोटाला, कोल लेवी टैक्स घोटाला आदि ऐसे घोटाले हैं जो पूरे समय प्रदेश में चर्चा का विषय बने रहे। जिनका सामना अब मौजूदा सरकार को करना है। हालांकि ज्यादातर घोटालों को लेकर केन्द्रीय जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। इन घोटालों को अंजाम देने वालों पर एक्शन ले रही हैं। जिसके तहत कई घोटालेबाज जेल में हैं तो कई जमानत पर हैं। अब वर्तमान के सामने चुनौती है कि वह इन घोटालों को लेकर कैसा एक्शन लेती है। साथ ही जांच एजेंसियों के साथ कैसा संबंध स्थापित करती है। इसके साथ ही अन्य और भी मामले हैं जिन पर इस सरकार को कार्य करना है। उनमें भी बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इनकी भी जांच कराकर सरकार भ्रष्टाचारियों को सजा दिला पाती है या नहीं।

सपनों पर आदिवासी सीटों ने पानी फेर दिया। इस बार भाजपा को धान खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा करना पड़ा और पिछला दो सालों का बकाया बोनस देने का वादा करना पड़ा। वहीं भाजपा को ओबीसी राजनीति और छत्तीसगढ़ियावाद पर भी आगे बढ़ते देखा गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही भूपेश बघेल ने ओबीसी

पिछले पांच साल में हुए प्रमुख घोटाले

भूपेश सरकार को घपले और घोटालों की सरकार कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि पिछले पांच साल में जितने घपले-घोटाले हुए हैं उतने छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक नहीं हुए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर उनके इर्द-गिर्द रहने वाले सारे अफसर इन घोटालों में बराबरी के हिस्सेदार रहे। अब मौजूदा सरकार के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है कि वह इन घोटालेबाजों से कैसे निपटती है और इनकी निष्पक्ष जांच कर गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। प्रदेश में हुए प्रमुख घोटालों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है :-

1. पीएससी घोटाला

छत्तीसगढ़ इतिहास में भूपेश सरकार में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। पीएससी घोटाले के कारण प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में पहुंच चुका है। अब मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के सामने चुनौती है कि वह इस घोटाले को लेकर क्या एक्शन लेती है और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुई है उसकी भरपाई कैसे करते हैं। छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। पीएससी 2021 के परीक्षा परिणाम आने के बाद इस पूरे घोटाले की पोल खोल दी है। इस परीक्षा में एक दो नहीं बल्कि 18 पदों पर हुई नियुक्ति संदेह के घेरे में हैं। जिसमें सबसे प्रमुख नाम तो पीएससी के चैयरमेन टामन सिंह सोनवानी के परिवार और रिश्तेदार के 05 लोगों की नियुक्ति को लेकर है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के परिवार वाले और मुख्यमंत्री के खास अधिकारियों के परिवार वालों की नियुक्ति भी है। मामला उजागर होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक सभी नियुक्तियों को स्थगित कर दिया है। नियुक्तियों में सरनेम छिपाने तक का फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं पीएससी घोटाले पर हाईकोर्ट की ओर से सरकार को कड़ी फटकार मिली है। साथ में यह भी सिद्ध हो गया कि अब राज्य में हर स्तर पर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जकड़ ली हैं। बड़ी बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला के तार मुख्यमंत्री और उनके प्रमुखों से जुड़े हैं? इसका खुलासा भूपेश बघेल और उनके परिवार से पिछले 22 वर्षों से जुड़े अश्विनी मिश्रा की आत्महत्या ने सिद्ध कर दिया है। निश्चित ही यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसके तार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हाउस से जुड़े हुए हैं क्योंकि इतना बड़ा और व्यापक घोटाला बगैर सीएम की जानकारी के नहीं हो सकता है। साथ ही सीएम की हरी झंडी मिलने पर इसे अंजाम दिया जा सकता था। साथ पीएससी परिणामों में भ्रष्टाचार होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

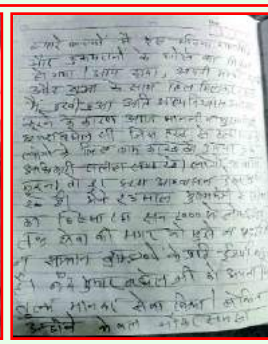

ये है आत्महत्या करने वाले अश्विनी मिश्रा और उनके द्वारा लिखा गया सुसाईट नोट। इस नोट में अश्विनी मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कैसे वो घटिया राजनीति और हुक्मरानों के धोखे का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि अश्विनी मिश्रा का परिवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफी करीबी रहा है।

राजनीति को मजबूत करने के लिए नई आरक्षण व्यवस्था लागू करते हुए अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 फीसदी से बढ़ा कर 13 फीसदी और ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने बाद में इस पर रोक लगा दी। भूपेश सरकार ओबीसी केंद्रित राजनीति कर रही थी। कांग्रेस सरकार बोलती जरूर थी आदिवासियों के विकास के बारे में

2. शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला काफी सुर्खियों में रहा है। इस घोटाले को लेकर केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ईडी द्वारा अनवर ढेबर, बलदेव भाटिया समेत अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था। सूत्रों का कहना है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में 30 से 40 फीसदी अवैध शराब की बिक्री की गई। अब मौजूदा बीजेपी सरकार इस घोटाले को लेकर क्या कार्यवाही करती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।

छत्तीसगढ़ में लगभग 800 शराब सरकारी दुकाने हैं जहां पर शराब की बिक्री होती है। यहां प्राइवेट शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। छत्तीसगढ़ में शराब बेचना सरकार के हाथों में हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला के सामने आने से राज्य की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं। क्योंकि यह एक ऐसा घोटाला है जिसमें बड़े-बड़े नेताओं के साथ-साथ उच्च अधिकारियों की भी संलिप्तता है। भूपेश बघेल सरकार के घोटालों में शराब घोटाला काफी सुर्खियों में है। दिन-ब-दिन इस घोटाले की खुल रही परतों से छत्तीसगढ़ रहवासी सकते में है। नेताओं से लेकर अधिकारियों में यही हड़कंप मचा है कि कब किसकी गिरफ्तारी हो जाए किसी को पता नहीं है। इस घोटाले का जिक्र केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया था जब वह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आये थे। फिलहाल जो सर्वोच्च अदालत से आरोपियों को राहत दी वो हटने वाली है, इससे जुड़े वरिष्ठ न्यायधीश माननीय संजय किशन कौल रिटायर हो गए है।

3. कोल लैवी टैक्स घोटाला

छत्तीसगढ़ का कोल परिवहन घोटाला पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस घोटाले की लगभग सारी परतें भी खुल गई हैं और कई आरोपी जेल में बंद है। साथ ही इस घोटाले में राजनेताओं के साथ-साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोल घोटाले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। ईडी का दावा है कि पैसे का उपयोग राजनीतिक खर्च के लिए किया गया है। अब तक 220 करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त हुई है। ईडी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में प्रति टन कोयले के परिवहन पर 25 रुपये की वसूली की जाती थी। इस मामले में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलिए शामिल थे। ईडी के अनुसार, बीते दो साल में अवैध वसूली के जरिए कम से कम 540 करोड़ रुपये की उगाही की गई थी।

लेकिन होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस सरकार में भूपेश बघेल ही सबकुछ थे। कोई विधायक काम करवा पाने की स्थिति में नहीं थे।

आदिवासियों का गुस्सा ले डूबा कांग्रेस को

2018 के चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में से 68 सीटों पर भारी जीत हासिल की। पांच साल बाद इसने

4. महादेव ऐप सट्टा घोटाला

सत्ता मिलते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना रंग और तेवर दोनों बदल लिये थे। अपनी चांडाल चौकड़ी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक लूट मचा कर रख दी थी। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, गोबर-गौठान घोटाला, नान घोटाला, पीएससी घोटाला और ना जाने कितने घोटाले करके हमर छत्तीसगढ़ को लूटकर छलनी कर दिया। चांडाल चौकड़ी की सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर के बाद अब विनोद वर्मा भी ईडी की जद में आ गए हैं। विनोद वर्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार और राजनीतिक सलाहकार भी हैं। साथ में भूपेश बघेल के साथ अश्लील पोर्न वीडियो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। प्रदेश के 04 आईपीएस भी महादेव ऐप घोटाले में ईडी की रडार पर हैं। मैंने अपनी जगत विजन पत्रिका में बड़े विस्तृत ढंग से महादेव ऐप पिछले अक्टूबर 2022 में छापा था।

5. डीएमएफटी घोटाला

भूपेश राज में डीएमएफटी घोटाला सामने आया है। दरअसल डीएमएफ जिसे डिस्ट्रिक्ट माईनिंग फंड कहा जाता है उसका दुरूपयोग एवं आवंटन नियम विरूद्ध तरीके से किया गया था। जिला खनिज न्यास के कोष पर भी भूपेश बघेल और उसकी चांडाल चौकड़ी की नज़र पड़ गई। छत्तीसगढ़ भूपेश राज में कानून की धज्जियां उड़ाकर भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है इसका एक उदाहरण डीएमएफटी घोटाला है। वर्ष 2019-20 में डीएमएफटी कोरबा ने 124 करोड़ के लगभग फंड एडवांस में एजेंसियों को दे दिये। ऐसे ही वर्ष 2020-21 में 268 करोड़ एवं 2021-22 में 331 करोड़ एजेंसियों को एडवांस के रूप में दिये गये। फंड का बेजा गलत कैसे होता है छत्तीसगढ़ में यह सरकार ने कर दिखाया।

6. गोठान घोटाला

नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के नाम पर भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ियों की भावना से खिलवाड़ किया गया था। गोठान के नाम पर विभिन्न मदों से खर्च की गयी 1,300 करोड़ से अधिक की राशि का दुरुपयोग कर इसमें भारी घोटाला किया गया है। गोठान के नाम पर गोरखधंधे में भूपेश सरकार ने सबसे अधिक पंचायतों व सरपंचों के हक पर ही डाका डाला है। विभिन्न मदों में पंचायतों के विकास के लिए आई राशि को सरपंचों से छीनकर सीधे उसे अनेक बहानों के साथ बंदरबांट कर ली गई है। सरकारी दावे के अनुसार ही बात करें तो प्रदेश में कथित तौर पर नौ हजार 790 गोठान कार्यरत हैं।

पूरे राज्य में अपनी पकड़ खो दी है। हालाँकि, सबसे भारी नुकसान राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में हुआ है। वे क्षेत्र जहाँ यह पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है और पिछली बार भी इसने जीत हासिल की थी। राज्य के उत्तरी भाग में, खनिज समृद्ध सरगुजा क्षेत्र में, पार्टी का सफाया हो गया है। 2018 में उसने इस आदिवासी बहुल क्षेत्र की सभी 14 सीटें जीतीं। राज्य के दक्षिण में अन्य

नई सरकार, नई उम्मीदें

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का गठन हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेशवासियों में नई सरकार से नई उम्मीदें भी लगा ली है। क्योंकि पिछले पांच सालों में छत्तीसगढ़वासियों में भूपेश शासन में जो भय-भ्रष्टाचार एवं अत्याचार का जो तांडव देखा उसे भूलकर नई सरकार से सुशासन की आशायें देखी जा रही है। आदिवासी बाहुल्य इस प्रदेश में पहली बार प्रदेश का मुखिया भी आदिवासी मिला है। आदिवासी समुदाय में अपने समुदाय से मुखिया को पाकर पूरा वर्ग खुश है तो वहीं विकास के जो रफ्तार धींमी पड़ गयी थी उसकी गति बढ़ने की उम्मीद भी जगने लगी है। शुरूआती दौर में मौजूदा सरकार ने किसानों को दो साल का धान का बोनस देकर एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 18 लाख मकानों की स्वीकृति देकर बता भी दिया है कि साय सरकार में जनता का कल्याण और विकास सर्वोपरि है।

विष्णुदेव साय : मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है। विष्णुदेव साय का राजनीतिक जीवन बेदाग और विनम्र स्वभाव का रहा है। पार्टी द्वारा सौंपे गये दायित्वों का भी बड़े ही ईमानदारी के साथ निर्वहन किया है। अब प्रदेश का मुखिया बनाया गया है। आदिवासी बाहुल्य इस प्रदेश में विष्णदेव साय की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की आशाओं पर खरा उतरते हुए अपने आप को प्रस्तुत करें। पिछले पांच सालों में कुशासन की जो सत्ता चली थी उसके विपरीत एक सुशासन की सत्ता चलाये। अब तक चार बार के सांसद, तीन बार के विधायक और छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष की कमान संभालने वाले विष्णुदेव साय केंद्र सरकार में राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। कम बोलने और बेहद विनम्र माने जाने वाले विष्णुदेव साय को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। उनके चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि आप इन्हें विधायक बनाइए, इन्हें बड़ा आदमी मैं बनाउंगा। 32 फीसदी आदिवासी जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 17 पर भाजपा के कब्ज़े के बाद माना जा रहा था कि किसी आदिवासी विधायक को भाजपा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना सकती है। जिस सरगुजा संभाग से विष्णुदेव साय जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं, उस संभाग की सभी 14 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। उसके बाद से ही विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई थी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का लाभ पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा में भी बीजेपी को मिल सकता है। राजनीतिक माहौल में पले-बढ़े विष्णुदेव साय 1989 में जशपुर जिले के बगिया गांव में पहली बार पंच चुने गये। इसके बाद अगले ही साल उनकी पंचायत का सरपंच चुना गया था। 1999 से 2014 तक वे लगातार सांसद चुने गये। 2014 में उन्हें मोदी सरकार में पहली बार केंद्रीय इस्पात, खान, श्रम व रोजगार राज्य मंत्री की कमान सौंपी गई। इस दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया।

आदिवासी बेल्ट बस्तर में इसका प्रदर्शन बेहतर रहा लेकिन केवल मामूली रूप से। इसने यहां 12 में से चार सीटें जीतीं। आदिवासियों के बीच असंतोष देखा गया। कई लोगों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया सरकार अपने वादों से मुकर रही है। असंतोष के सबसे बड़े स्रोतों में से एक वह था जिसे लोग अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के आधे-अधूरे

अरूण साव : उप मुख्यमंत्री

विष्णुदेव साय सरकार में डिप्टी सीएम अरूण साव लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं। अरूण साव बेदाग छवि के नेता हैं। प्रदेश की राजनीति में उनकी सक्रियता बताती है कि उन्हें पार्टी के अब तक कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बिलासपुर से सांसद चुने गए थे। साव मुंगेली के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरु आत एबीवीपी से की थी। वह छात्र जीवन में इस संगठन में पूरी तरह से सक्रिय रहे। वे 1990 से 95 एबीवीपी की मुंगेली इकाई के अध्यक्ष रहे और बाद में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी बने। अरूण साव ने मुंगेली से ग्रेजुएशन किया था और उनके पास ला की डिग्री है। उन्होंने बिलासपुर से लॉ की पढ़ाई की थी। 1996 में वो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और तत्कालीन विधायक अमर अग्रवाल के साथ महासचिव रहे। पूर्व में केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर भी उनका नाम चर्चा में आया था और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि अरूण साव साहू समाज से ताल्लुक रखते हैं और यह जाति छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग में बहुसंख्यक है। इसलिए वह संगठन की पहली पसंद बने होंगे। उनकी संगठन में साफ-सुथरी इमेज है। इसी के चलते इनको प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी।

विजय शर्मा : उप मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं। प्रदेश सरकार में गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसी स्थिति में उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह इन भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही करें। आपको बता दें कि विजय शर्मा का सार्वजनिक जीवन यशस्वी रहा है। उन्होंने कबीरधाम जिला पंचायत के सदस्य से लेकर उपमुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया है। विजय शर्मा विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं। विजय शर्मा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। विजय शर्मा ने छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में कदम रख लिया था। डिप्टी सीएम बने विजय शर्मा क्रिकेट, पर्यटन, कविता पाठ और भाषण में गहन रुचि रखते हैं। विजय शर्मा की छबि एक ईमानदार और सक्रिय नेता के रूप में रही है। निश्चित ही गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा देकर बीजेपी ने बेहतर कार्य किया है।

कार्यान्वयन के रूप में देखते थे, जो आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम परिषदों को कुछ हद तक स्वायत्तता देता है। इन क्षेत्रों के लोगों ने शिकायत की कि कांग्रेस आदिवासियों को उनकी भूमि और वन संसाधनों पर अधिक नियंत्रण का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन उसने कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी। ईसाई धर्म का पालन करने वाले आदिवासियों के बीच निगरानी समूहों द्वारा

बृजमोहन अग्रवाल : मंत्री

साय सरकार में बृजमोहन अग्रवाल को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं सांस्कृति विभाग का मंत्री बनाया गया है। बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश बीजेपी में दिग्गज नेता हैं। रमन सरकार में भी उन्हें मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया था। उनकी संगठन और कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। बृजमोहन अग्रवाल की कददावर नेताओं में गिनती की जाती है। उनकी राजनीति आज तक निर्दाग रही है। इस सरकार में भी उनसे प्रदेश की जनता उम्मीद लगाती है कि समाजसेवा की जो ललक उनमें है वह आगे भी बरकरार रहे। 1990 में 31 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सदस्य बने और तब से लेकर अब तक के चुनावों तक लगातार 8 बार सभी चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने 1977 में एबीवीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। 1981-82 में अध्यक्ष, छात्र संघ, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर, मुख्य सलाहकार, विश्वविद्यालय छात्र संघ, पं. रवि हंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, 1982 में अध्यक्ष, छात्र संघ, कल्याण महाविद्यालय, भिलाई, 1986 में प्रदेश मंत्री और उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवामोर्चा बनाये गए। रायपुर में हुए उन पर हमले के बाद भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा बांधकर 15 सीटें जितवाने में वो कामयाब रहे हैं। भाजपा की इस बड़ी जीत में उनकी भूमिका अहम रही है।

ओ.पी. चौधरी : मंत्री

पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को साय सरकार में छत्तीसगढ़ के तीसरे वित्तमंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वित्तमंत्री बनने वाले वो दूसरे विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में 20 साल बाद किसी मंत्री को वित्त विभाग दिया गया है। इसके अलावा वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रमुख भी बनाया गया है। रायगढ़ से भाजपा विधायक और पूर्व आईएएस ऑफिसर ओपी चौधरी प्रशासनिक कौशल में माहिर हैं। ओपी चौधरी पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। साल 2018 में आईएएस अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। वो बीजेपी संगठन के साथ पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगे रहे। प्रदेश बीजेपी महामंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद इस बार साल 2023 के विधानसभा चुनाव में खरसिया की जगह रायगढ़ से चुनाव लड़े और बाजी मारी। ओपी चौधरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है।

उन पर हमलों को रोकने में कांग्रेस सरकार की विफलता के बारे में व्यापक निराशा थी। कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यक ईसाइयों के लिए बोलने से कतराती रही।

भूपेश के अति आत्मविश्वास से हारी कांग्रेस

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अति आत्मविश्वास का शिकार हुए। कांग्रेस नेतृत्व ने भी बघेल पर पूरा भरोसा किया

केदार कश्यप : मंत्री

छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले केदार कश्यप को साय सरकार में वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग का प्रमुख बनाया गया है। केदार कश्यप को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता भी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी रहे हैं। उन्होंने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। केदार कश्यप बस्तर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। पिता बलिराम कश्यप की मौत के बाद बस्तर की सारी 12 विधानसभा सीटों में लीडरशिप की। केदार कश्यप सन 2000 में सदस्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा रहे। वह भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। जिला बस्तर के बस्तर ब्लाक में जनपद सदस्य भी रहे। 2003 में केदार कश्यप पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। 2008 में दूसरी एवं 2013 में तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। पहली बार विधायक निर्वाचित होने के साथ ही वे राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के स्वतंत्र प्रभार में रहे। 2008 में विधायक निर्वाचित होने के बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रहे।

और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। बघेल के कहने पर करीब 16 ऐसे विधायकों के टिकट काटे गए जो 20 से 25 हजार की बढ़त से जीते थे और जिनकी जीत की फिर संभावना थी। लेकिन क्योंकि इन विधायकों की वफादारी बघेल से ज्यादा टीएस सिंहदेव के साथ थी, इसलिए उन्हें मैदान से बाहर कर दिया गया। इसका खामियाजा पार्टी को हार के रूप में उठाना पड़ा। 2018 में राज्य में पिछड़ों और आदिवासियों की एकता ने कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई और 15 साल के भाजपा शासन से बदलाव के लिए शहरी वोट भी कांग्रेस को मिला था। वादे के बावजूद शराबबंदी न करने से महिलाएं नाराज हुईं। राज्य की सबसे बड़ी पिछड़ी आबादी साहू समाज की जिस तरह उपेक्षा हुई उसने कांग्रेस के पिछड़े जनाधार को बिखेर दिया और भाजपा ने उसमें सेंधमारी की। टीएस सिंहदेव की उपेक्षा ने सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस को कमजोर किया और रही सही कसर मतदान से कुछ दिन पहले ईडी की छापेमारी और महादेव ऐप को लेकर सीधे मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों ने पूरी कर दी और शहरी मतदाताओं का रुझान भी बदल गया।

विस चुनावों में चला मोदी मैजिक

राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ छीन लिया है, जबकि मध्यप्रदेश की सत्ता में वापसी की है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी है। इसके अलावा मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी ने सरकार बना ली है। इसके अलावा सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री के चयन में बीजेपी ने इस बार अलग प्रयोग कर सबको चौंका दिया है। बीजेपी आलाकमान ने अनुभव को दरकिनार कर युवाओं को, कम अनुभव को तवज्जो दी है। मप्र से डॉ.मोहन यादव, राजस्थान से एक बार के विधायक भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस के रेवंत रेडडी ने सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी ने इस बार नये चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के इस नये प्रयोग की सारे देश में चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि यह प्रयोग आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया है लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जबाव पार्टी के अंदर के लोग मांग रहे हैं। आखिर मोदी और अमित शाह ने ऐसी कौन सी चाल खेली है कि तीनों ही सक्रिय नेताओं को केंद्रीय स्तर से हटाकर राज्य में भेज दिया। वहीं राजस्थान में भी पार्टी ने एक ऐसे विधायक को सीएम बना दिया है जो केवल एक बार का विधायक है। वहां भी वसुंधरा राजे सहित कई नाम सीएम की रेस में थे। लेकिन बीजेपी ने एक नये चेहरे पर दांव खेला। छत्तीसगढ़ में जरूर एक ऐसे आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया है जो इस पद के दावेदार थे। मंत्री, सांसद और कई बार के विधायक रह चुके हैं। यही कारण है कि राज्य में साय का पूरे प्रदेश में कहीं भी विरोध नहीं है।

अमित जोगी की पार्टी जेसीसी (जे) ने बिगाड़े कांग्रेस के समीकरण

अमित जोगी की पार्टी जेसीसी (जे) ने भले ही प्रदेश में एक भी सीट हासिल न की हो लेकिन उनकी पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ दिया है। कोई दो दर्जन सीटों पर पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। जेसीसी (जे) पार्टी ने इस साल स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था और किसी भी पार्टी से समझौता नहीं किया। आपको बता दें कि पार्टी के प्रमुख अमित जोगी का वह संकल्प भी पूरा हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह कांग्रेस को हराने का पूरा प्रयास करेंगे। इस साल प्रदेश में 60 सीटों पर चुनाव लड़ा। साल 2000 से 2003 तक राज्य में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व करने वाले अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद 2016 में जेसीसी (जे) का गठन किया और 2018 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन में लड़ा। हालांकि, जेसीसी (जे) चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकी, लेकिन पारंपरिक रूप से भाजपा और कांग्रेस के प्रभुत्व वाले राज्य की राजनीति में पैठ बनाने में सफल रही। 2018 में कांग्रेस ने पार्टी ने कुल 90 में से 68 सीट जीती, जबकि बीजेपी 15 सीट पर दूसरे स्थान पर रही। जेसीसी (जे) को पांच और उसकी सहयोगी बसपा को दो सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में अमित जोगी और उनकी पार्टी ने जो चुनावी माहौल बनाया उससे प्रदेश के सतनामी वोट कांग्रेस से झिटक गए। खैर इससे नुकसान जेसीसी को भी हुआ क्योंकि ज्यादातर वोट ट्रांसफर भाजपा की तरफ हो गया। पर बीजेपी की इस बड़ी जीत में एक बहुत बड़ा साइलेंट फेक्टर अमित जोगी और जेसीसी (जे) का भी रहा है।

खैर, अब इन प्रदेशों से कांग्रेस की हार पर मंथन की जरूरत है। दो प्रदेशों में कांग्रेस ने सत्ता को गंवाया है। अब बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनावों का पैटर्न अगर लोकसभा चुनावों में भी दोहराया गया और तब कांग्रेस ने इसमें सुधार की कोशिश की तो हो सकता है कि अगले आम चुनावों में उसकी स्थिति बेहतर हो। लेकिन सवाल ये है कि बीते चुनावों में देखा गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुद्दे और वोटिंग पैटर्न अलग होते हैं। ऐसे में क्या वाकई कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर पाएगी। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में अग्निपरीक्षा इन तीनों प्रदेशों के नये नवेले मुख्यमंत्रियों की भी है, जिनके उपर पार्टी हाईकमान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब देखना होगा कि मोदी शाह ने जिस प्रयोग को किया है वह आगामी समय में कितना लाभदायक सिद्ध होता है।

कांग्रेस को सबक दे गए चुनावी नतीजे

भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से उत्तर भारत के प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत दर्ज करके उन सारे आकलनों और अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है जो यह मानकर चल रहे थे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत तय है और तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बना सकती है जबकि राजस्थान में काँटे की टक्कर में भाजपा कांग्रेस में किसी का भी दाँव लग सकता है। अगर ऐसा होता तो माना जाता कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को कांग्रेस और विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के छत्रपों की जगह खुद को आगे करके यह चुनाव लड़ने का जोखिम उठाया, उससे साबित हो गया कि इस जीत के पीछे भाजपा की रणनीति और मोदी मैजिक सबसे बड़ा कारण है। जाहिर है इन नतीजों ने भाजपा की उम्मीदों और भरोसे को पंख लगा दिए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन राज्यों की हैट्रिक जीत को 2024 में भाजपा की लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक की गारंटी बताया है। इन नतीजों से भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के भीतर पहले से ही मौजूद भाजपा और मजबूत होगी और सहयोगियों के साथ सीट बँटवारे में उठ सकने वाले असंतोष के स्वर न सिर्फ खामोश होंगे बल्कि सहयोगी भाजपा की इच्छानुसार सीट बंटवारे के हर फार्मूले को सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे।

मध्यप्रदेश

काँग्रेस पर भारी पड़ी बीजेपी

विजया पाठक

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई है। बीजेपी ने मध्यप्रदेश में 2023 के चुनाव में 163 सीटों के निर्णायक बहुमत के साथ जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 2018 में जीती गई 114 सीटों में से 48 सीटें खो दीं। जबकि कांग्रेस ने 2018 में अपना वोट शेयर 40 प्रतिशत पर बनाए रखा, भाजपा ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 48.6 प्रतिशत पर 7.5 प्रतिशत का लाभ, जो दोनों पार्टियों के बीच सीटों के वितरण में भिन्नता को स्पष्ट करता है। बीजेपी को 48.5 प्रतिशत वोटों के साथ 71 प्रतिशत सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को 40.4 प्रतिशत वोटों के साथ 28.7 प्रतिशत सीटें मिलीं। 2018 और 2023 के नक्शों की तुलना से पता चलता है कि कैसे भाजपा ने राज्य भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया, खासकर भोपाल, बुंदेलखण्ड और विंध्य क्षेत्रों में। कांग्रेस ने सीटों के कुछ समूहों को बरकरार रखा, विशेष रूप से ग्वालियर क्षेत्र में, लेकिन पूरे राज्य में अपनी पकड़ खो दी, जिससे स्थानीय के बजाय व्यापक हार हुई। दोनों पार्टियों के वोट शेयर मानचित्र में प्रदर्शन में कुछ क्षेत्रीय भिन्नताएं दिखाई देती हैं, जिसमें भाजपा ने राज्य के केंद्र में उच्च स्कोर किया, जबकि कांग्रेस ने दक्षिणी परिधि में बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने विशेष रूप से बुन्देलखण्ड और पूर्व में विंध्य

में खराब प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अधिक बदलाव से अधिक नुकसान हुआ क्योंकि भाजपा का वोट शेयर वितरण न केवल उच्च स्तर पर था, बल्कि अधिक सुसंगत भी था। 2019 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पतन का कारण बनने वाले कई दलबदलू ग्वालियर क्षेत्र से आए थे, जो सिंधिया परिवार की सत्ता की सीट थी। भाजपा की बढ़त सबसे प्रभावशाली बुंदेलखंड में थी, जहां उसे लगभग 10 प्रतिशत वोट मिले और ग्वालियर क्षेत्र में, जहां उसे 9 प्रतिशत वोट मिले। तथ्य यह है कि कांग्रेस को बुन्देलखण्ड में भी वोट मिले (3.4 प्रतिशत), यह दर्शाता है कि भाजपा की वृद्धि उस क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थन में कमी के कारण नहीं हुई, बल्कि नए मतदाताओं को आकर्षित करने की एक अलग क्षमता के कारण हुई। भाजपा ने राज्य के छह उप-क्षेत्रों में से तीन में 80 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतीं: भोपाल-नर्मदापुरम, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र। ग्वालियर क्षेत्र में कांग्रेस प्रतिस्पर्धी बनी रही, कुछ ऐसी बात है जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा नोटिस करने से नहीं चूकेंगे। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 35 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 2018 में बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति की सीटों की तुलना में सामान्य और अनुसूचित जाति की सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया। 2023 में इसने सीटों की तीन श्रेणियों में वोट शेयर हासिल किया, लेकिन आरक्षित सीटों पर और भी अधिक। अनुसूचित जनजाति सीटों पर भी कांग्रेस ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और एससी सीटों पर 3 प्रतिशत की गिरावट आई। मध्य प्रदेश उन दुर्लभ राज्यों में से एक है जहां महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की भागीदारी से आगे नहीं रही है। 2023 के लिए इसका आंकलन करने के लिए डेटा उपलब्ध नहीं था। इस चुनाव में पिछले चार चुनावों की तुलना में अधिक मौजूदा विधायकों ने चुनाव लड़ा। दलबदल और उप-चुनावों को मिलाकर कुल 185 मौजूदा विधायकों ने फिर से चुनाव लड़ा। उनमें से, 100 फिर से चुने गए, जो पिछले चुनावों की तुलना में और अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में एक उच्च अनुपात है, जहां मौजूदा उम्मीदवारों को फिर से खड़ा करने की स्ट्राइक रेट कम होती है। चुनाव लड़ने वाले मौजूदा उम्मीदवारों में से 54 प्रतिशत फिर से निर्वाचित हुए जो कि भाजपा के मौजूदा उम्मीदवारों के लिए एक उच्च अनुपात है।

एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी पर गारंटी

पिछले एक साल से ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अब स्वीकार्य नहीं है और राज्य सरकार और इस चेहरे के ख़िलाफ़ एंटी-इंकम्बेंसी है क्योंकि चौहान लम्बे समय से मुख्यमंत्री रहते आ रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा था कि लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं। इन्हीं वजहों ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेला और पार्टी को लगा कि उनके पुराने गढ़ मध्यप्रदेश में कुछ गड़बड़ हो रही है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से पार्टी के कुछ लोग नाराज़

हुए थे जिससे पार्टी में गुटबाज़ी भी शुरू हो गई थी। चेहरे की एंटी-इंकम्बेंसी से निपटने के लिए पार्टी ने पूरा कैंपेन एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी पर लेकर खड़ा कर दिया। इससे स्थानीय मुद्दे पीछे चले गए। जैसे-जैसे चुनाव की गहमागहमी बढ़ती गई तो बीजेपी को एहसास हुआ कि शिवराज सिंह चौहान की लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं को प्रदेश की महिलाओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी वजह से चुनाव से क़रीब एक महीना पहले बीजेपी को लगा कि ये योजनाएं गेम-चेंजर हो सकती हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को शायद इस बात का ऐसा हुआ होगा कि अगर मध्यप्रदेश में कोई मास लीडर है तो वो शिवराज सिंह चौहान ही हैं जो इतने लम्बे समय से मुख्यमंत्री रहे, योजनाएं लेकर आये और पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर उनका प्रचार करते रहे। राज्य में दूसरे मास लीडर के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आया लेकिन सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर और चम्बल के इलाक़े तक सीमित था और बीजेपी को इस बात पर संकोच रहा कि क्या सिंधिया पर दांव लगाया जा सकता है?

कहां चूकी कांग्रेस?

अब भी बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस से इस चुनाव में कहां चूक हुई। पूर्व सीएम कमलनाथ और उनकी पूरी टीम पूरे समय चुनाव को रणनीतियों और प्रबंधन करती रही। आखरी तक यहीं लगा रहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना लेगी। लेकिन चुनाव परिणाम ने सभी को चौका दिया। जबकि कांग्रेस में टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार में किसी भी कमी नहीं की गई थी। कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके जीतने की संभावना थी। कह सकते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ग़लती ओवर-कान्फीडेंस या अति आत्मविश्वास रही। कांग्रेस एंटी-इंकम्बेंसी के सहारे चलते रहे और ये मानकर चलते रहे कि वो जीत ही रहे

हैं। तो जिस तरह जनता के बीच उन्हें जाना चाहिए था उस तरह से वो नहीं पहुंचे। कुछ ऐसे लोगों को मैदान में उतरा जो अलग-अलग वजहों से पूरे इलाक़े में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुँच पाए। कांग्रेस महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे लोकल मुद्दे उठा रही थी लेकिन पब्लिक ने मुद्दों को पूरी तरह नकार दिया। राज्य में सत्ता-विरोधी लहर काफ़ी थी लेकिन कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। बीजेपी एंटी-इंकम्बेंसी से सबक लेते हुए अंदर ही अंदर काम करती रही। जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा असर हुआ है। लाड़ली बहना जैसी योजना और किसानों को जो धन-सहायता मिल रही है उसका काफ़ी असर हुआ लगता है। प्रदेश के चुनावी विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस के पास पटवारी नियुक्ति घोटाला, पुरानी पेंशन स्कीम, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे बहुत से चुनावी मुद्दे थे लेकिन पार्टी इन मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं उतरी। कांग्रेस ने कमरों में बैठकर ट्वीट किया और ख़ुद को प्रेस कांफ्रेंस तक सीमित रखा। कांग्रेसी नेता जनता के बीच में नज़र नहीं आए। एंटी-इंकम्बेंसी थी ज़रूर लेकिन बीजेपी उससे बहुत अच्छे तरीक़े से निपटी। ये चुनाव कांग्रेस को थाली में परोसा हुआ मिला था, लेकिन कांग्रेस इसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। मतगणना से दो दिन पहले ही कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले बोर्ड लग गए थे। जहाँ चुनाव से कई महीने पहले बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में पहले ही बाज़ी मार चुकी थी वहीं कांग्रेस में ओवर-कॉन्फिडेंस का आलम ये था कि उम्मीदवारों की बजाय कैबिनेट की सूची बन रही थी और किसे क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा उस पर फ़ैसले हो रहे थे।

मध्यप्रदेश में अगर वास्तव में एंटी इंकमबेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर रही होगी, तो वहां पर मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारकर बीजेपी ने एक असेंबली इलेक्शन को नेशनल लेवल का चुनाव बना दिया। बीजेपी राज्य के चुनाव में थोड़ा उबाल और थोड़ा एक्साइटमेंट लेकर आई। यही वजह है कि बीजेपी की जीत मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत है। पार्टी ने यहां चौथी बार जीत हासिल की है। एक तरीके से यहां गुजरात का मॉडल लागू हो गया। बीजेपी को 50 फीसदी के आसपास का वोट शेयर मिला। ये किसी भी चुनाव में आगे की

राजस्थान
आपसी गुटबाजी से हारी कांग्रेस

विजया पाठक

राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई है। कांग्रेस अलग-अलग राज्यों में लाभार्थी के नाम पर फ्रीबिज के नाम पर बड़ी स्कीमें ला रही हैं। बेशक कर्नाटक में ये रणनीति चली। मगर ये हर राज्य में चले ये जरूरी नहीं। हिंदी शासित राज्यों में कांग्रेस की गारंटियां नहीं चली, इसके कई कारण हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट वसुंधरा राजे का विरोध कर रहे थे। वो सत्ता उनके हाथ से छीनना चाह रहे थे. लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी प्राथमिकताऐं बदल गईं। वो अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोध करने लगे। बगावत करने लगे। गुस्सा दिखाने लगे कि उनको सीएम की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाया गया? जब पायलट गहलोत के खिलाफखड़े हुए तो बहुत सारे नाटकीय दृश्य भी दिखाई दिए। पायलट अपने खेमे के विधायकों को बटोरकर दिल्ली में कैंप करने लगते और गहलोत मंच से ही पायलट पर तीखी टिप्पणियां करते। 05 साल तक राहुल गांधी के दावे और सपने की दोनों नेता मिलकर

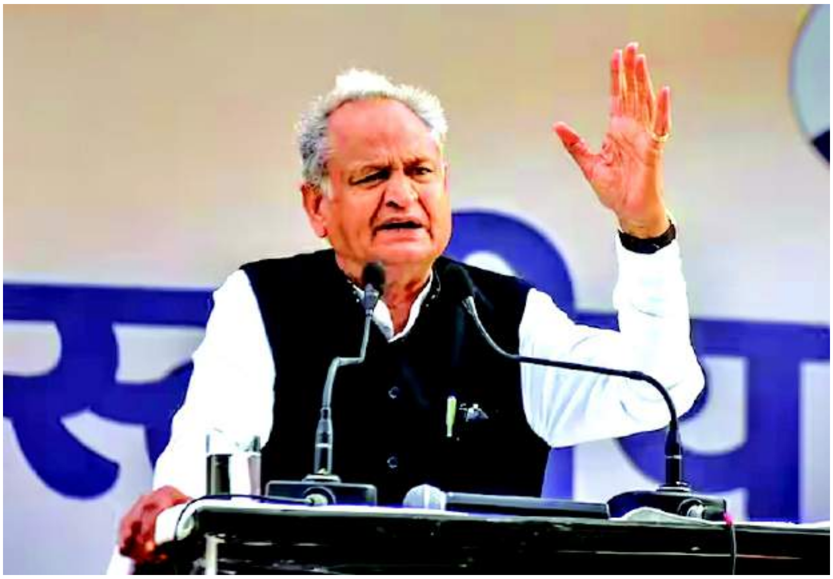

धज्जियां उड़ाते रहे। कांग्रेस में एकता का भ्रंश बस गहलोत बनाम पायलट के स्तर पर ही नहीं था। ये विधायकों के स्तर पर भी था। जब कांग्रेस इतनी ज्यादा झंझट में पड़ी हुई थी तो भाजपा एक बेहतर विकल्प की तरह सूबे के वोटरों को दिख रहीं थी। वोटरों को भाजपा में अलग-अलग गुट नहीं दिख रहे थे। वहां एक ही गुट था- नरेंद्र मोदी का गुट। भाजपा एकजुट और फोकस्ड विकल्प की तरह दिखाई दे रही थी। भाजपा ने एकजुटता का प्रचार करने का भी कोई मौका नहीं चूका। पोस्टर-होर्डिंग पूरे राजस्थान में लगाए गए। पोस्टर में मोदी के अलावा अमित शाह, नड्डा, राजेन्द्र राठोर, सीपी जोशी और वसुंधरा राजे समेत सारे नेता थे।

राजस्थान में अशोक गहलोत मतदाताओं के ध्रुवीकरण के भाजपा के प्रयासों का मुकाबला करने में कहीं अधिक सफल रहे। उन्होंने हिंदुत्व को ज्यादा आधार नहीं दिया। वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को समुदाय-विशिष्ट लाभ देने की पुरानी कांग्रेस संतुलन नीति पर अड़े रहे। गहलोत के खिलाफ कोई बड़ी सत्ता विरोधी भावना नहीं थी। मुख्यमंत्री उल्लेखनीय रूप से लोकप्रिय थे और सरकारी योजनाओं की व्यापक रूप से सराहना की गई थी। लेकिन कांग्रेस विधायकों के खिलाफ गुस्सा था, जिन्हें भ्रष्ट माना जा रहा था। एक आम शिकायत यह थी कि मुख्यमंत्री उन पर लगाम लगाने में विफल रहे। एक प्रभावी सरकार चलाने के बावजूद, गहलोत के हारने की व्यापक आशंका थी। इसका कारण तीन दशकों से राज्य ने हमेशा सत्ताधारी को वोट नहीं दिया है। राजस्थान में गहलोत ने अपने प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट से लड़ने में महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी खर्च की, जिनके 2020 में विद्रोह ने पार्टी को तोड़ने और भाजपा के लिए दरवाजे खोलने की धमकी दी थी। इस प्रक्रिया में गहलोत उन विधायकों के आभारी हो गए जो उनके प्रति वफादार रहे, जो उनके लिए दुखदायी साबित हुआ। उन्होंने अलोकप्रिय विधायकों को भी टिकट दिए और वे हार गए।

बड़ा सवाल- वसुंधरा की जगह भजनलाल शर्मा क्यों?

चुनाव नतीजों का एलान होने के बाद से ही वसुंधरा राजे सिंधिया समेत कई लोगों का नाम सीएम उम्मीदवार के तौर पर चल रहा था लेकिन कई विधायकों ने दावा किया था कि सीएम के तौर पर कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। भजनलाल शर्मा सांगानेर से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। शर्मा बीजेपी संगठन का अहम चेहरा माने जाते हैं। वो पार्टी के संगठन मंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। शर्मा को मुख्यमंत्री चुने जाने को कई लोग बीजेपी की ओर से सभी जातियों को साधने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं। राजस्थान में पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस के अशोक गहलोत के पास या बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे के पास ही रही है।

कश्मीर : इतिहास का तोड़ना-मरोड़ना शांति की राह में बाधक

राम पुनियानी

देश पर नोटबंदी लादते समय कहा गया था कि इससे कश्मीर में आतंकवाद पर रोक लगेगी। नोटबंदी से जनता को भले ही कितनी ही परेशानियां हुई हों इससे आतंकवादियों को कोई तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं लगता। अपने दावों के खोखला सिद्ध होने के बाद भाजपा ने फिर एक बार नेहरू को दोषी ठहराने की अपनी नीति का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कश्मीर के हालात के लिए नेहरू की गलतियां जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमाया कि अनुच्छेद 370 सारी समस्याओं की जड़ है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। इतिहास को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने के लिए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने रिजिजू को डिस्टारशियन बताया। रिजिजू के अनुसार यह कहना गलत है कि कश्मीर के महाराज भारत से विलय के मामले में असमंजस में थे या ना-नुकुर कर रहे थे। उनका कहना है कि हरिसिंह तो भारत का हिस्सा बनने के लिए तत्पर थे समस्या तो नेहरू ने खड़ी की। सच यह है कि भारत के स्वाधीन होते समय राजे-रजवाड़ों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। कश्मीर के शासक महाराजा हरिसिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। भारत का हिस्सा न बनने के उाके निर्णय को तत्कालीन प्रजा परिषद का समर्थन प्राप्त था। इसी प्रजा परिषद के सदस्य आगे चलकर भारतीय जनसंघ का हिस्सा बने और यही जनसंघ वर्तमान भाजपा का पूर्व अवतार है। कश्मीर के शासक अपने विशेषाधिकार नहीं खोना चाहते थे और इसलिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टेंडस्टिल एग्रीमेंट करने का प्रस्ताव किया था। पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसलिए स्वाधीनता के बाद कश्मीर के डाकखानों और अन्य सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

बाद में पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कुछ आदिवासी और पठान समूहों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। बहाना यह बनाया गया कि चूंकि जम्मू में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जा रही थी इसलिए उाका बदला लिया जाना जरूरी था। जम्मू में मुसलमानों

के खिलाफ हिंसा स्वयं महाराजा द्वारा पोषित थी क्योंकि वे चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर के कम से कम एक हिस्से में हिन्दुओं का बहुमत रहे। इस पाक समर्थित हमले के कारण हरिसिंह को भारत से सैन्य मदद मांगनी पड़ी. भारत ने यह शर्त रखी कि वह अपनी सेना तभी भेजेगा जब महाराजा हरिसिंह भारत सरकार के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर करें, जिसमें रक्षा, संचार, मुद्रा और विदेशी मामलों को छोडकर, सभी शक्तियां राज्य की विधानसभा में निहित हों।

जहां तक अनुच्छेद 370 का प्रश्न है, इसे हरिसिंह के जोर देने पर लागू किया गया क्योंकि वे जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा चाहते थे। कश्मीर सरकार और नेशनल कांफ्रेंस दोनों ने हम पर यह दबाव डाला कि हम इस विलय को स्वीकार कर लें और हवाई रास्ते से सेना कश्मीर भेजें। परंतु उसकी यह शर्त भी थी कि कश्मीर के लोग शांति और व्यवस्था पुनर्स्थापित होने

साम्प्रदायिक ताकतें जम्मू-कश्मीर का भारत में तुरंत और जबरिया विलय चाहती थीं। नेहरू जबरदस्ती की बजाए कश्मीर के लोगों के दिल जीतने के हामी थे। सरदार पटेल भी ठीक यही चाहते थे।

के बाद इस विलय पर विचार करेंगे। जहां तक युद्धविराम और मामले को संयुक्तराष्ट्र संघ के समक्ष ले जाने का प्रश्न है, ये दोनों निर्णय भारत सरकार द्वारा सामूहिक रूप से लिए गए थे ना कि अकेले जवाहरलाल नेहरू द्वारा सरदार पटेल ने 23 फरवरी 1950 को नेहरूको लिखे अपने एक पत्र में कहा था, जहां तक पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का प्रश्न है, जैसा कि आप कह चुके हैं, कश्मीर का प्रश्न अब सुरक्षा परिषद के सामने है. भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं और सदस्यों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए वहां जो मंच उालब्ध है उो दोनों ने चुन लिया है। इसलिए अब इस मामले में आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवा इसके कि हम उा मंच द्वारा मुद्दों के निराकरण का इंतजार करें।

दरअसल समस्या यह थी कि साम्प्रदायिक ताकतें जम्मू-कश्मीर का भारत में तुरंत और जबरिया विलय चाहती थीं। नेहरू जबरदस्ती की बजाए कश्मीर के लोगों के दिल जीतने के हामी थे। सरदार पटेल भी ठीक यही चाहते थे। वे आगे लिखते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके आवश्यक रूप से पाकिस्तान का भाग होने चाहिए। वे चकित हैं कि हम कश्मीर में क्यों हैं। इसका उत्तर बहुत सीधा-

सादा और स्पष्ट है। हम कश्मीर में इसलिए हैं क्योंकि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम वहां हों। ज्यों ही ऐसा महसूस होगा कि कश्मीर के लोग नहीं चाहते कि हम वहां रहें, हम उसके बाद एक मिनट भी वहां नहीं रूकेंगे...परंतु जब तक हम वहां हैं तब तक हम कश्मीर के लोगों को निराश नहीं कर सकते।

आगे जो हुआ वह ठीक इसके उलट था। धीरे-धीरे कश्मीर की स्वायत्ता में कटौती की जाने लगी। इससे कश्मीरी लोगों में अलगाव का भाव बढ़ा और असंतोष भी। विरोध शुरू हुआ और धीरे-धीरे बढ़ता गया। शुरूआत में इस विरोध का स्वरूप साम्प्रदायिक नहीं था। पाकिस्तान के हस्तक्षेप और असंतुष्टों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए जाने के बाद हिंसा शुरू हुई। सन् 1980 के दशक में अलकायदा जैसे तत्व घाटी में घुस आए और उहोंने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कश्मीर में आतंकी हिंसा के लिए अनुच्छेद 370 जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है कश्मीर की स्वायत्ता में निरंती कमी। आतंकी हिंसा की योजना बाहरी तत्वों ने बनाई और इसमें अमरीका द्वारा समर्थित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन शामिल थे। इन्हें अमरीका में तैयार किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पाकिस्तानी मदरसों में प्रशिक्षित किया गया था। योगी आदित्यनाथ को यह समझना चाहिए कि अगर हिंसा का कारण अनुच्छेद 370 होता तो तीन साल पहले उाको हटाए जाने के बाद से कश्मीर में हिंसा समाप्त हो गई होती। अगर अनुच्छेद 370 ही सभी समस्याओं की जड़ होता तो उाके हटने के बाद कश्मीरी पंडित स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगते। परंतु न तो आतंकी हिंसा खत्म हुई है और ना ही कश्मीरी पंडित चैन की बंसी बजा रहे हैं। इसका कारण यह है कि कश्मीर की समस्या की जड़ में वहां के निवासियों में अलगाव का भाव और लोगों के प्रजातांत्रिक हकों का दमन है। रिजिजू कश्मीर समस्या के लिए केवल नेहरू को जिम्मेदार बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। महाराजा हरिसिंह अपने राज्य को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें अनेक तत्वों का समर्थन प्राप्त था और उा समय वहां भारत समर्थकों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। भाजपा नेता कश्मीर की स्थिति के लिए नेहरू और अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार ठहराकर समाज को ध्रुवीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे जानबूझकर तत्समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैले आतंकी नेटवर्क और अमरीका द्वारा अतिवादी इस्लामवादी समूहों का समर्थन भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आज हमें कश्मीर के हालात को बिना पूर्वाग्रह और बिना किसी को कठघरे में खड़ा करते हुए समझना होगा। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने की प्रवृति अच्छी नहीं है।

भारत में लोकतंत्र का घुटता दम

विजय प्रसाद

18 और 19 दिसंबर को भारतीय संसद के दोनों सदनों के 141 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। इनमें से प्रत्येक सदस्य उन दलों से हैं जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। सरकार ने कहा कि इन निर्वाचित सदस्यों का निलंबन उाके अनियंत्रित व्यवहार की वजह से किया गया है। विपक्ष जिसने इंडिया ब्लॉक गठबंधन का आकार लिया है, उामें लगभग हर वह पार्टी शामिल है जिसका भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है। विपक्ष ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने भारत में अत्यधिक स्तर की तानाशाही' स्थापित कर दी है। यह कृत्य भारत के निर्वाचित विपक्ष को पहले कमजोर करने वाले कई प्रयासों की एक ओर कड़ी है।

भारतीय लोकतंत्र के अंग

फरवरी 2022 में, द इकोनामिस्ट ने नोट किया था कि भारत के लोकतंत्र के अंग सड़ रहे हैं। इस मूल्यांकन से ठीक दो साल पहले, भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता, अमर्त्य सेन ने कहा था कि 'लोकतंत्र सरकार द्वारा चर्चा का होना चाहिए, और, यदि आप चर्चा को भयावह बनाते हैं, तो आप लोकतंत्र नहीं हैं, चाहे आप वोटों की गिनती कैसे भी करें, और यह अब व्यापक रूप से सच हो गया है। लोग अब डरे हुए हैं। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। भारत के सबसे सम्मानित पत्रकार, एन. राम (द हिंदू के पूर्व संपादक) ने अगस्त 2023 में द प्रास्पेक्ट में भारतीय लोकतंत्र की इस 'गिरती' साख और न्यूज़क्लिक पर हमले के संदर्भ में चर्चा के डर के बारे में लिखा था। उहोंने लिखा, यह हमला मेरे देश में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में एक नई गिरावट का प्रतीक है, जो नरेंद्र मोदी के नए भारत में एक दशक से चली आ रही निर्बाध गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है। हमने न्यूज़क्लिक के खिलाफ दुष्प्रचार, डराने-धमकाने और निंदा करने का हुकूमत-निर्मित मैककार्थी अभियान देखा है। उहोंने लिखा, दुनिया इसे भयभीत होकर देख रही होगी।

मई 2022 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स सहित दस संगठनों ने एक कड़ा बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया कि भारतीय अधिकारियों को 'पत्रकारों

और ऑनलाइन आलोचकों को निशाना बनाना, उन पर मुकदमा चलाना बंद करना चाहिए। इस बयान में यह दर्शाया गया है कि कैसे भारत सरकार ने मीडिया को चुप कराने के लिए आतंकवाद विरोधी और राजद्रोह विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है, खासकर तब, जब मीडिया सरकारी नीतियों की आलोचना करती है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल- जैसे कि पेगासस- ने सरकार को पत्रकारों की जासूसी करने और उाके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए उाके निजी बातचीत/संचार का इस्तेमाल करने में मदद की है। पत्रकारों पर शारीरिक हमला किया गया और उहें डराया गया (विशेष रूप से मुस्लिम पत्रकारों, जम्मू-कश्मीर को कवर करने वाले पत्रकारों और 2021-22 के किसान विरोध आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जब सरकार ने न्यूज़क्लिक को निशाना बनाना शुरू किया, तो यह मीडिया पर इस व्यापक हमले का ही हिस्सा था। जब दिल्ली पुलिस ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया तो उनका व्यापक हमले का विरोध पत्रकार यूनियनों ने स्पष्ट रूप से किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने नोट किया कि उाके सदस्य उक्त घटनाओं के बारे में 'गहराई से चिंतित' थे, जबकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार को 'कठोर कानूनों की छाया के तहत डराने-धमकाने का आम माहौल नहीं बनाना चाहिए।

अप्रैल 2020 में, न्यूयार्क टाइम्स ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में एक मजबूत शीर्षक के साथ एक स्टोरी प्रकाशित की थी। जिसका शीर्षक था 'मोदी के तहत, भारत की प्रेस अब इतनी स्वतंत्र नहीं है।' उस स्टोरी में, पत्रकारों ने समझाया कि कैसे मोदी ने मार्च 2020 में प्रमुख मीडिया घरानों के मालिकों से मुलाकात की और उहें 'प्रेरणादायक और सकारात्मक स्टोरी' प्रकाशित करने को कहा। जब भारतीय मीडिया ने कोविड-19 महामारी पर सरकार की विनाशकारी प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करना शुरू किया, तो मोदी सरकार यह तर्क देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई कि सभी भारतीय मीडिया को 'आधिकारिक यानि सरकारी संस्करण प्रकाशित करना चाहिए।' न्यायालय ने सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि मीडिया को केवल सरकारी दृष्टिकोण को प्रकाशित करना चाहिए, बल्कि यह कहा कि मीडिया को अन्य व्याख्याओं के साथ सरकार के दृष्टिकोण को भी प्रकाशित करना चाहिए। द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि अदालत का आदेश 'दुर्भाग्यपूर्ण' था और इसे 'मीडिया में सामग्री की पूर्व सेंसरशिप के लिए मंजूरी देने' के रूप में देखा जा सकता है।

जिससे हलचल मच गई

संसद के 141 सदस्यों पर 13 दिसंबर को हुए संसद के उल्लंघन को उचित ठहराने का प्रयास करने का आरोप है। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दों पर बहस करने में निर्वाचित सरकार/अधिकारियों की विफलता के विरोध में दो व्यक्तिप्रेस गैलरी से हाल में कूद गए और धुआं छोड़ दिया। इन लोगों को भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा से संसद में प्रवेश के लिए पास मिले थे। उहें निलंबित नहीं किया गया। भाजपा ने इस घटना का इस्तेमाल विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के लिए किया क्योंकि या तो उहोंने इस घटना की निंदा नहीं की, या वे निलंबित किए गए सहयोगियों के बचाव में सामने आए।

संसद में धुआं बम चलाने वाले किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, विपक्ष से किसी भी तरह का संबंध तो दूर की बात है। मनोरंजन डी ने एक इंटरनेट फर्म में अपनी नौकरी खो दी थी और परिवार को खेत में काम करने में मदद करने के लिए वापस लौटना पड़ा; घर की आर्थिक समस्याओं के कारण स्कूल छोड़ने के बाद सागर शर्मा ने टैक्सी चलाई। नीलम आज़ाद ने एमए, एमएड और एमफिल किया, लेकिन उहें नौकरी नहीं मिली। ये वे युवा पुरुष और महिलाएं हैं जो मोदी के भारत से निराश हैं, लेकिन उनका किसी से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। उहोंने अपनी बात सुनाने के लिए सामान्य लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए। उाका कृत्य हताशा भरा था, जो व्यापक सामाजिक संकट का लक्षण है; विपक्षी सांसदों का निलंबन और न्यूज़क्लिक के वित्त पर हमला भी उा संकट के लक्षण हैं: भारत में लोकतंत्र का दम घुट रहा है।

महुआ मोइत्रा का संसद की सदस्यता से निष्कासन...

संसद में धन लेकर सवाल पूछने की सजा

प्रमोद भार्गव

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे के बदले प्रश्न पूछने के मामले में अनैतिक और अशोभनीय आचरण के लिए सत्रहवीं लोकसभा की सदस्यता से निष्काषित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।निष्कासन की सिफारिश संसद की आचार समिति ने जांच के बाद की थी।बीते कुछ समय से इस बात पर बहस हो रही थी कि मोइत्रा पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस आधार पर उाकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है अथवा नहीं? दरअसल धन लेकर सवाल पूछने के आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर लगाते हुए, संसद में कहा था कि उन्होंने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों को कठघरे में खड़ा करने के नजरिए से संसद में निरंतर 40 से ज्यादा प्रश्न पूछे, किंतु इसके बदले मोइत्रा ने घूस और कीमती उाहार लिए। यही नहीं उहोंने लोकसभा पोर्टल के लॉग इन आईडी और पासवर्ड भी दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को साझा किए। इस तथ्य को स्वयं मोइत्रा ने भी स्वीकारा और आचार समिति की जांच में ये तथ्य प्रमाणित भी हुए हैं। इन साक्ष्यों को पुख्ता सबूत मानते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसी प्रकृति के पुराने मामलों में दिए दंडों की परिपाटी का अनुकरण करते हुए निष्कासन कर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में बिरला ने विपक्ष द्वारा मोइत्रा को सदन में अपना पक्ष रखने की मांग की भी अनुमति नहीं दी। मोइत्रा ने इस निष्कासन की तुलना 'कंगारून्यायालय' से करते हुए, इस सजा को सत्तारूढ़ भाजपा की मनमानी बताया।

सांसदों के असंसदीय आचरण संसद और सविधान की संप्रभुता को कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके कारनामे पहले भी देखने में आते रहे हैं। नोट के बदले वोट देने से लेकर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं। 1991 के आम चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आई थी। इसके साथ कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार बना ली थी। जुलाई 1993 में इस जोड़तोड़ की सरकार के विरुद्ध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सदन में अविशास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन यह प्रस्ताव आखिर में 14 मतों के अंतर से खारिज हो गया। इसके बाद 1996 में सीबीआई को एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राव की सरकार को जीवनदान देने के बदले में झारखंड मुक्तिमोर्चा के कुछ सांसदों और जनता दल के अजीत सिंह गुट को रिश्वत दी गई थी। इस मामले में झामुमो प्रमुख शिवू सोरेन और उाकी पार्टी के चार सांसदों पर नोट लेकर वोट देने का आरोप लगा था। इन सांसदों के बैंक खातों में मिली धनराशि

से भी यह पुष्टि हो गई थी कि नोट के बदले वोट देने की कालावधि में ही यह राशि जमा हुई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार की नैतिक शुचिता पर आंच 22 जुलाई 2008 को तब आई थी, जब उाने लोकसभा में विश्वाास मत हासिल किया था। यह स्थिति अमेरिका के साथ गैर-सैन्य परमाणु सहयोग समझौते के विरोध में वामपंथी दलों द्वारा मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापिसी के कारण निर्मित हुई थी। वामदलों के अलग हो जाने के बावजूद सरकार का वजूद कायम रहा, क्योंकि उाने बड़े पैमाने पर नोट के बदले सांसदों के वोट खरीदे थे। इस मामले में संजीव सक्सेना और सुहैल हिन्दुस्तानी को हिरासत में लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद आए बयानों से जाहिर हुआ था कि सरकार बचाने के लिए वोटों को खरीदने का इशारा शीर्ष नेतृत्व की ओर से हुआ था। क्योंकि सुहैल ने समाजवादी पार्टी के मौजूदा राज्यसभा के सांसद अमरसिंह के साथ सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल का भी नाम लिया था।वोट के बदले इस नोट कांड में अमर सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। यही नहीं इस मामले में अमर सिंह और सुधीर कुलकर्णी को प्रमुख षड्यंत्रकारी आरोपित किया गया था। इस मामले में इन लोगों ने संजीव सक्सेना और भाजपा कार्यकर्ता सुहैल हिन्दुस्तानी के साथ 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में विश्वास मत के दौरान भाजपा सांसद अशोक अर्गगल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा को वोट के बदले घूस दी थी। जिसका लोकसभा में इन सांसदों ने नोटों की गड्डियां लहराकर पर्दाफास किया था। संसदीय परम्परा और नैतिकता की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए यह षड्यंत्र अमर सिंह ने रचा था। मनमोहन सिंह पर कठपुतली प्रधानमंत्री, अमेरिका का पिट्ठू, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हित साधक के आरोप भले ही लगते रहे हों, किंतु उाकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर अंगुली कभी नहीं उठी। पर 22 जुलाई 2008 को नेपथ्य में रहकर जिस तरह से उहोंने राजनीति के अग्रिम मोर्चे पर शिखण्डी और बृहन्नलाओं को खड़ा करके विश्वासमत पर विजय हासिल की उासे कांग्रेस की सत्ता में बने रहने की ऐसी विवशता सामने आई थी, जिसने संविधान में स्थापित पवित्रता, मर्यादा और गरिमा की सभी चूलें हिलाकर रख दी थीं।

हमारे निर्वाचित सांसदों में से अनेक ने घूस के लालच में नैतिकता की सभी सीमाएं लांघने का काम स्टिंग ऑपरेशन के जरिए की गई बातचीत में भी किया है। इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की भी परवाह नहीं की थी ? 50 हजार जैसी छोटी रिश्वत के लिए भी वे फर्जी विदेशी तेल कंपनी को बिना कोई सोच-विचार किए, भारत-भूमि पर उतारने के लिए तैयार हो गए थे। बिना यह शंका किए कि इस तथाकथित कंपनी का स्वदेशी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? अलबत्ता, रोड़ा दूर करने की दृष्टि से पेट्रोलियम मंत्रालय को सिफारिशी पत्र भी लिख दिए थे। लालच और लापरवाही की यह बैखौफ स्थिति एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आई थी। कई प्रमुख दलों के 11 सांसद रिश्वत का लेन-देन करते हुए गोपनीय कैमरे की आंख में कैद हो गए थे। यह स्टिंग ऑपरेशन वेबसाइट कोबरा पोस्ट के प्रमुख अनिरुद्ध बहल ने किया था। 06 सांसदों ने तो पैसे लेकर चिट्ठी भी लिख दी

थी। राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह वाले शीर्षपत्रों पर लिखी ये चिट्ठियां समाचार चैनलों पर दिखाई भी गईं थीं। चिट्ठी लिखने की कीमत सांसदों ने महज 50 से 75 हजार रुपए तक ली थी। इस दौरान किसी भी सांसद ने कंपनी की सच्चाई तक जानने की कोशिश तक नहीं की थी। बल्कि इनमें से कई सांसदों ने तो कंपनी की लाबिंग के लिए संविधान के पवित्र माने जाने वाले मंदिर, संसद में हुंकार लगाने तक की हामी भर दी थी। इन सांसदों में कांग्रेस, भाजपा, बसपा और अन्नाद्रमुक के सांसद शामिल थे। साफ है, भ्रष्टाचार की कोई दलीय सीमा नहीं है। कोई वैचारिक विभाजन नहीं है। चोर-चोर मौसेरे भाई हैं।

इसके पहले भी कोबरा पोस्ट ने ही इसी प्रकृति के एक और स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जिसमें 11 सांसदों पर पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा था। तब इन सभी सांसदों को संसद ने बर्खास्त कर दिया था। इस ऑपरेशन की गिरफ्त में भाजपा के दिलीप सिंह जूदेव, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण, जया जेटली और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी भ्रष्टाचार व अनैतिकता बरतने को तैयार होते हुए कैमरे में कैद कर लिए गए थे। जब इन स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा सामाचार चैनलों के पर्दे पर हुआ तो जूदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए। अजीत जोगी को कांग्रेस से निलंबित होना पड़ा था। बंगारु लक्ष्मण से भाजपा ने अध्यक्षी छीन ली थी। जया जेटली को रक्षा सौदों के लिए घूस लेते हुए दिखाया गया था, जो तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाडीस से जुड़ी थीं। लिहाजा जार्ज को रक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था।

दरअसल जब राजनीति का मकसद ऐन-केन-प्रकारेण सत्ता पर काबिज बने रहने और जायज-नाजायज तरीकों से धन कमाने का हो जाए, तब सवाल संसद में प्रश्न पूछने का हो अथवा विश्वास मत के दौरान मत हासिल करने का, राष्ट्र और जनहित गौण हो जाते हैं। प्रजातंत्र के मंदिरों में जो परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि राष्ट्रीय हित अनैतिक आचरण और बाजारवाद की महिमा बढ़ाने में समर्पित किए जा रहे हैं। पीवी नरसिम्हाराव की अल्पमत सरकार से लेकर विश्वास मत के जरिए मनमोहन सरकार को बचाए जाने तक सांसदों का मोलभाव होता है। महुआ मोइत्रा द्वारा पैसे लेकर सवाल पूछने के इस ताजा मामले ने एक बार फिर तय किया है कि संसद में संविधान की शपथ लेने के बाद भी सांसद संविधान और लोकतंत्र की गरिमा से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आरोपी सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 105 में दर्ज प्रावधान के अंतर्गत छूट दी थी। इसमें प्रावधान है कि किसी सांसद द्वारा संसद के भीतर की गई कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर चाहे वह कोई टिप्पणी हो, दिया गया वोट हो या फिर संबंधों से संबंधित हो। ऐसे प्रावधान संविधान निर्माताओं ने शायद इसलिए रखे होगें, जिससे जनप्रतिनिधि अपने काम को पूरी निर्भीकता से अंजाम दे सकें। उन्हें अपनी अवाम पर इतना भरोसा था कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नैतिक दृष्टि से इतना मजबूत तो होगा ही कि वह रिश्वत लेकर न तो अपने मत का प्रयोग करेगा और न ही सवाल पूछेगा? लेकिन यह देश और जनता का दुर्भाग्य ही है कि जब बच निकलने के ये कानूनी रास्ते सार्वजनिक होकर प्रचलन में आ गए तो सांसद अपने नैतिक और संवैधानिक दायित्व से भी विचलित होने लग गए। किंतु अब 'सीता सोरेन बनाम भारतीय संघ' मामले में सुनवाई करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ की पांच सदस्यीय पीठ ने इस लेनदेन को गंभीरता से लिया है। पीठ ने कहा है कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों और विधायकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया से बचने की छूट पर पुनर्विचार के लिए सात जजों की पीठ बनाई जाएगी। यह पीठ तय करेगी कि सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए घूस लेता है तो उस पर अदालत में मुकदमा चलेगा अथवा नहीं? यह फैसला 04 अक्टूबर 2023 को सीता सोरेन की याचिका पर सुनाया गया है।

क्या हमारी न्याय व्यवस्था में सभी को न्याय सुलभ है?

रघु ठाकुर

26 नवंबर संविधान दिवस के दिन सर्वोच्च न्यायालय की ओर से संविधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन को परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने संबोधित किया और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने भी समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देश में लोगों को त्वरित न्याय और गरीबों को न्याय मिल सके यह अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय से की। अपने संबोधन में और लगभग प्रति उत्तर में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले हैं और वह जब चाहें तब आ सकते हैं। राष्ट्रपति अदिवासी समाज से हैं और एक सामान्य परिवार से आई हैं। अतः उनकी चिंता और पीड़ा आम लोगों के प्रति स्वाभाविक है। वे अपनी चिंता को पहले भी न्यायाधीशों के सम्मेलन में व्यक्त कर चुकी हैं, और अपने अनुभव भी उहोंने कई बार न्यायाधीशों से साझा किये हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिए गए उत्तर का परीक्षण जरूरी हैः- क्या सचमुच में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के दरवाजे आम आदमियों के लिए खुले हैं? क्या गरीब और सामान्य व्यक्ति को न्यायपालिका और विशेष कर शीर्ष न्यायपालिका में जाकर न्याय पाना आसान है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए कोई समय सीमा नहीं बांधी गई है। वह कह सकते हैं कि इसका विधान में कोई प्रावधान नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने विधान और प्रावधानों से हटकर भी अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार आदेश दिए या नियम बनाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के चयन के लिए कॉलेजियम का कोई संवैधानिक, वैधानिक प्रावधान नहीं है ना किसी कानून में और ना ही संविधान में परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उो स्वतः बनाया और उो संविधान के समान सुरक्षा दी। सर्वोच्च

न्यायालय में और अधीनस्थ न्यायालयों में करोडों मामले लंबित हैं। स्वतः न्यायाधीश महोदय इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। परंतु यह मामले लंबित क्यों है, इस पर कोई ठोस या निर्णायक कदम नहीं उठाए गए हैं और ना ही इस बाबत् कोई नीति संबंधी निर्णय किया है। आखिर मामले लंबित क्यों होते हैं इसकी एक वजह हमारा साक्ष्य अधिनियम भी है जो कई प्रकार की तकनीकी और गैर जरूरी बातों को अनिवार्य बनाता है।

अब मान लीजिए की वकील साहिबान और विशेषकर बड़े नामधारी वकील कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं और वह कोर्ट से केस बढ़ाने का अनुरोध करते हैं तो विधान में ऐसी कोई बाध्यता न्यायपालिका की नहीं है कि वह इस अनुरोध को स्वीकार करें। न्यायाधीश भी वकील है और दस्तावेज़ तथा पक्षकारों की बातों को सुनकर कानून सम्मत निर्णय दे सकते हैं। होना तो यही चाहिए कि यदि कोई वकील किसी मुकदमे में वकालत करने की सहमति देता है और उाके लिए फीस भी लेता है तो उो समय पर उास्थित होना अनिवार्य किया जाए। एक ही वकील इतने मामले क्यों लें कि वह किसी कोर्ट में ही ना पहुंच पाए। यह एक प्रकार से विधिक नैतिकता के खिलाफ है और अदालतों को चाहिए कि बगैर वकील की उपस्थिति के सुनवाई तथा और निर्णय दें। साथ ही वकील के उपर पक्षकार को फीस वापसी का आदेश भी दें। यह भी अक्सर देखा गया है कि वकील अपने अनुसार निर्णय पाने के लिए अनुकूल जज की बेंच बनने का इंतजार करते हैं और तब तक किसी न किसी बहाने केस बढ़ाने का उाक्रम करते रहते हैं। एक गैर जरूरी न्यायालय व्यवस्था वकीलों को लेकर यह भी है कि पक्षकार अपने वकील के काम से यदि संतुष्ट नहीं है तो उो अन्य वकील रखने के लिए अपने पूर्व वकील का अनापत्ति पत्र लेना आवश्यक है और यदि पक्षकार का पुराना वकील उो यह पत्र नहीं दे तो वह अपना मुकदमा नए वकील से नहीं करवा सकता। क्या यह साधारण व्यक्ति को परेशानी में डालने वाली व्यवस्था नहीं है? यह भी तथ्य है कि न्यायाधीश महोदय की अपनी राय ही विधान की व्याख्या बन जाती है। जबकि विधान और नजीरों में न्यायिक आदेशों की मर्यादा और सीमा बनाई जानी चाहिए। मुझे स्मरण है की कुछ दिनों पहले मीडिया में यह समाचार आया था की एक जज साहब ने किसी छेड़छाड़ के अपराधी को यह आदेश दिया कि वह पीड़ित लड़की से राखी बंधवाए और इस आधार पर उो जमानत दे दी। इसी प्रकार एक प्रकरण में एक जज साहब ने अपराधी को कुछ दिनों तक कहीं जाकर सेवा करने का आदेश दिया और इस आधार पर जमानत दे दी। क्या ऐसे आदेश मनमानी नहीं है? और न्यायपालिका को हास्यापद नहीं बनाते? इलाहाबाद

हाईकोर्ट के एक जज साहब को दिल्ली से इलाहाबाद आने के लिए रेल में वर्थ नहीं मिली तो उहोंने दिल्ली स्टेशन पर ही अदालत लगाकर सुनवाई शुरू कर दी और रेलवे के अधिकारियों को तलब किया। क्या यह आचरण न्यायपालिका के अनुकूल है या फिर राजतंत्र है?

सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई सामान्य व्यक्ति याचिका दायर करना चाहे तो उाके लिए यह आसान काम नहीं है। याचिका पेश करने के लिए अब हजारों रुपए का शुल्क देना पड़ता है। दिल्ली के एक बड़े वकील को अगर अपने मुकदमें में लगाना हो तो उाकी फीस लाखों रुपए प्रति सुनवाई की होती है। कौन गरीब आदमी इतनी फीस दे सकता है और कौन गरीब दिल्ली के इन बड़े वकीलों को अपने केस के लिए लगा सकता है। सच्चाई तो यह है कि, न्यायपालिका के दरवाजे कहने के लिए तो सबको खुले हैं पर वास्तव में वे केवल अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए ही खुले हैं। बड़े-बड़े वकीलों की निरर्थक शब्दावलियों पर अदालतों में घंटों का समय लगाया जाता है पर गरीब की बात सुनने का उाके पास समय नहीं होता। न्यायपालिका ने स्वयं अपने आप को ऐसे किलो में बंद कर लिया है कि आम आदमी उाके दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकता। बताने को दरवाजे सबके लिए खुले हैं पर वास्तव में वे चंद लोगों के लिए ही खुले हैं।

आजकल एक और प्रवृत्ति न्यायपालिका में आई है कि वह प्रतिदिन उादेश बाँटते हैं परंतु आदेश नहीं देते। उाकी टिप्पणियां मीडिया में सुर्खियां बटोरती है परंतु उा पर कोई अमल नहीं होता। क्योंकि वह बाध्यकारी कानूनी आदेश नहीं होते। न्यायपालिका कोई उादेशक संतों की जमात नहीं है जो उादेश प्रसारित करें। न्यायपालिका का काम न्यायिक आदेश देना और उाका क्रियान्वयन कराना है। अपने काम की मात्रा बढ़ाने और बताने के लिए उहोंने कुछ नए-नए असंवैधानिक, अवैधानिक और विषमतापूर्ण तरीके इजाद कर लिए हैं जैसेः-

■ चेंबर हियरिंग आजकल उच्च न्यायपालिका में बहुत सारे प्रकरण जो कमजोर लोगों के होते हैं या जिनमें बड़े नामधारी वकील नहीं होते या जिन पर मीडिया का ध्यान नहीं होता उहें बगैर किसी सुनवाई के चेंबर हियरिंग के नाम पर निपटा दिया जाता है। क्या चेंबर हियरिंग करना न्यायपालिका का स्वतः संविधान का उल्लंघन नहीं है।

■ निर्णय न करना या टालना सामान्य मामलों में और सामान्य लोगों के लिए न्यायपालिका उा व्यक्ति की शरण में भेज देती है जिससे प्रताड़ित होकर वह न्यायपालिका की शरण में जाता है और इस प्रकार प्रकरण सालों साल लंबित रहते हैं।

■ कोर्ट की अवमानना का कानून है परंतु

हजारों न्यायिक आदेश पड़े हैं जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ और पीड़ित पक्ष न्यायपालिका की अवमानना की कार्यवाही चाहता है परंतु शायद ही आज तक किसी बड़े अधिकारी या मंत्री को न्यायिक आदेश की अवहेलना के लिए दंडित किया गया हो। और अगर कभी ऐसा निर्णायक अवसर आ भी जाए तो अधिकारी कोर्ट में जाकर क्षमा याचना कर लेते हैं और वह माफ भी कर दिए जाते हैं। क्या प्रशासनिक अपराध, अपराध नहीं है?

■ आजकल सरकारों की सुविधा के लिए नया चलन शुरूहुआ है कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए सत्ता पक्ष, ईडी, सी.बी.आई. आदि संस्थाओं का इस्तेमाल करता है और उहें गिरफ्तार कर लिया जाता है फिर सालों तक चार्ज शीट पेश नहीं होती और न्यायपालिका उाका समय बढ़ाती रहती है और संबंधितों को जमानत भी नहीं देती। क्या किसी व्यक्ति को इस तरह से जेलों में महीनों, सालों तक रखना न्याय संगत है?

ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं,परंतु मैं इस बात के साथ अंत करना चाहूंगा कि न्यायपालिका को स्वतः भी अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या वे अपना संवैधानिक दायित्व पूरा कर रहे हैं।

■ हाल ही में न्यायपालिका में एक और प्रवृत्ति उभरी है कि वह सेवानिवृत्ति के बाद सत्ता संस्थानों में सुविधाभोगी पद हासिल कर रहे हैं। इससे न्यायपालिका की साख आम लोगों में बुरी तरह गिर रही है। और आम लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास कम हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का दर्जा, राज्यसभा के सदस्य या राज्यपाल या सरकार के द्वारा बनाई गई ट्रिब्युनलों के पदों से कहीं उंचा होता है । 65 वर्ष की उम्र तक, माननीय न्यायाधीश महोदयों की पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाती हैं और इसके बाद उाके लिए पद या पैसा महत्वहीन है। यदि वह क्रियाशील ही रहना चाहते हैं तो उाके लिए कई सार्वजनिक और नैतिक रास्ते हो सकते हैं। वह कानून के छात्रों का निशुल्क मार्गदर्शन कर सकते हैं जिससे गरीबों के प्रतिभावान बच्चे भी योग्य बन सकेगें। वे और भी अनेक रास्तों से अपने सामाजिक सरोकारों को जिंदा रख सकते हैं ,जिससे न्यायपालिका के प्रति आम लोगों के मन में सम्मान बढ़ेगा और आस्था भी। वरना न्यायपालिका के प्रति अविश्वास मत अंततः लोकतांत्रिक प्रणाली को भी क्षति पहुंचाएगा। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों के दो और तरीके सामने आए हैं। एक है- ट्रिब्यूनल सिस्टम तथा दूसरा आर्बिट्रेशन सिस्टम। 75-80 साल के जज साहिवान ट्रिब्यूनल में जाते हैं और पैसे के लिए सत्ता प्रतिष्ठानों का हथियार बन जाते हैं। इसी तरह आर्वीटेशन में पंच बनकर पैसा कमाते हैं। क्या यह सब न्यायपालिका के लिए उचित है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए तथा अपनी मर्यादा स्वयं तय करना चाहिए।

Hindi belt versus Hindu belt

Underlining the glory of the Hindi belt, Badri Narayan writes that in the ancient past, it witnessed the writing of the Vedas, the Puranas and the Upanishads, and the rise of Buddhist, Jain and Shraman ideologies, and it was the region where contemplation was a constant process. He does not mention that this process involved revolution and counter-revolution, writes Kanwal Bharti

Kanwal Bharti

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Lok Sabha member S. Senthilkumar's comment that the BJP gets a majority of its votes from the Gaumutra states cannot be dismissed as a storm in a teacup. What he has said is true but it has touched a raw nerve of the Hindutavadis. That is the reason an attempt is being made to stir up a storm in the teacup. Interestingly, academicians have jumped into the controversy, more so than even the Bharatiya Janata Party (BJP) leaders. Badri Narayan Tiwari, director of the Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Allahabad, is one of them. Of late, speaking and writing in support of the BJP and the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) seems to have become his principal preoccupation. As soon as the opposition says anything against the BJP, Badri Narayan has to contradict it, even if it makes him sound laughable.

Yet another of his laughable contradictions has appeared in the form of an article titled "Hindi Patti Par Baar-Baar Siyasi Prahar" (Repeated political blows on Hindi belt) in the daily 'Hindustan' dated 8 December 2023. The comment about the BJP was political in nature and was made by a politician a DMK MP. Obviously, it should have been answered politically by the BJP leadership. But Badri Narayan Tiwari seemed to have been hurt more than the BJP was. Why has the comment upset him so much? The comment hasn't hurt the professor in Badri Narayan but the BJP-acolyte Brahmin in him. It is clear that he is a BJP supporter first and an academician next.

Had a professor written the article, it would have been an academic piece, logically analyzing why the BJP has been winning in the Hindi belt. But since it has been written from the perspective of a Hindutvavadi, it just seems to meander aimlessly through the maze of history.

Underlining the glory of the Hindi belt, Badri Narayan writes that in the ancient past, it witnessed the writing of the Vedas, the Puranas and the Upanishads, and the rise of Buddhist, Jain and Shraman ideologies, and it was the region where contemplation was a constant process. He does not mention that this process involved revolution and counter-revolution, as part of which Brahmanism, either through assimilation or destruction, eliminated all the thought streams challenging it. No writings by Ajivaks and Charvaks have survived. History tells us that the Brahmins scripted their mass slaughters and reduced their literature to ashes. The destruction of Buddhist mutts, viharas and temples and the killings of Buddhist monks during the reign of Pushyamitra Shunga are well documented. That the rise of Brahmanism in north India was not aimed at the uplift of the toiling masses but was meant to oppress and subjugate them is a fact that hardly warrants reiteration.

DMK Lok Sabha member S. Senthilkumar

Quoting Dr Ram Vilas Sharma, Badri Narayan writes that the Hindi belt witnessed a reawakening. He is right. The Brahmins did not allow a new awakening in this region. They did not allow the new ideas propagated by the Ajivaks, Charvak, Buddha, Siddhas, Naths and even Nirgun saints like Kabir and Raidas to prevail. The Brahmins did not rest till these ideas were completely annihilated. Revolution and counter-revolution was a seesaw battle between a reawakening and a new awakening in the Hindi belt. Under the BJP dispensation, Hindutva represents the forces of reawakening. Hindutva is a concoction of Sanatan religion, nationalism and violence and hatred against the Muslims, besides Ayodhya, Kashi and Mathura.

Badri Narayan says that the Hindi belt has had a long tradition of republics. That is the half-truth. Indeed, there were republics. But they were republics of the feudal forces, by the feudal forces, for the feudal forces. They were not republics of the people, by the people, for the people. The common man had no role in these republics. The feudal lords were the rulers and they scrupulously avoided doing anything that could go against their class interests. These republics paved the way for monarchies, which continued till the Sultanate, the Mughal and the British eras.

The Hindi belt, which Badri Narayan is so exultant about, is steeped in feudalism and the feudal lords still retain control over it. Nothing moves in politics without their consent. It wasn't long ago that women wrestlers staged a long sit-in at Jantar-Mantar, New Delhi, against Brijbhushan Sharan Singh, a feudal and an MP. Nothing came

out of it. Doesn't Badri Narayan know that in Uttar Pradesh, the entire stretch from Gonda to Ayodhya, Balrampur, Bahraich, Gorakhpur and Shravasti is dominated and controlled by the feudal lords and that the common man can't dare oppose them? The Hindutva of the BJP is running riot in the Hindi belt. Rajputs have their own armies. Even Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath has his own Hindu Yuva Vahini. Who doesn't know about Bihar's Ranvir Sena and the Karni Sena that operates in Rajasthan and Haryana! Then, the RSS has “84,000 arms”, and no one knows how many of these arms are Hindu Senas that frequently display their “valour” in the Hindi belt.

Ritualism: Brahmin purohits perform an aarti of the River Ganga

Badri Narayan is right when he says that, like the BJP in North India, the Congress has won a majority in South India. But Congress used to win a majority in the Hindi belt, too. What has changed now is that the BJP gets the highest number of votes along with ample monetary resources from the Hindi belt. I would like to tell Badri Narayan that the RSS-BJP used the Ram temple movement and their governments to convert the Hindi belt into the Hindutva belt. The Congress did not undertake any such exercise, so the BJP was bound to win elections.

“How far is it proper to brand the people of an area that faced the highest degree of oppression during British rule, an area from where the revolt of 1857 said to be and widely recognized as India's first war of independence as backward, irrational and symbolic of ritualism?” Badri Narayan wants to know.

What has hurt Badri Narayan the most is describing the Hindi belt as “irrational and symbolic of ritualism”. The frenzy

whipped up over Ram Lalla in Ayodhya, the "Pran Pratishtha" of the idol by Brahmins (the Brahmins cannot infuse life into their dead father's body but they are claiming that they can instil life in a stone idol), the tamasha of collecting one handful of soil from every home, Deepotsava at government expense in Ayodhya, the Prime Minister performing Ganga Aarti if all this doesn't seem ritualistic and irrational to Badri Narayan, it is because he is seeing them through the prism of Brahmanical religion and not science and logic.

Describing the 1857 rebellion as India's first war of independence smacks of Badri Narayan's love for Savarkar. It was Savarkar who had described the rebellion thus. But I want to make it clear that it was just a rebellion by the Brahmins and the feudal lords of India, especially of the Hindi belt, and it was aimed at preserving the princely states and kingdoms. The East India Company had initiated a series of social reforms. It had framed laws against the customs of Sati and untouchability and other barbaric brahmanical social practices. It had made the feudal lords, Nawabs, Brahmins and the common man equal in the eyes of the law. The revolt of 1857 was against all of these measures. The rebels did not want freedom for the country. They wanted freedom for the feudal lords and the Brahmins. This rebellion was crushed by the Dalits, who had suffered the most under the oppression by the feudal lords and the Brahmins. Had the rebellion succeeded, it would have taken centuries for democracy to be established in India and for the Dalits and the Other Backward Classes (OBCs) to get liberty and equality.

So, we should accept without any hesitation that the powerful Brahmanism-feudalism nexus is the biggest strength of the BJP in the Hindi belt. And that the people are under its thumb.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.